राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ३] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ३९ वां दिवस [संख्या ३०

सोमवार दिनांक ३० मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बजकर ८ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(वन, पंचायत, आयुर्वेद, श्रम, यातायात, शिक्षा, सहकारिता, आबकारी वित्त एवं चिकित्सा—विभाग)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ७२९

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल।

चिप बोर्ड फैक्ट्री, बांसवाड़ा।

७३०. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा सु०) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में चिप बोर्ड फैक्ट्री लगाने के इकरार से समस्त जिले के जंगलों का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया है?

(२) यदि हां, तो क्या ठेकेदार ने फैक्ट्री लगाई है? यदि लगाई है तो कहां? और यदि नहीं, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार उपरोक्त जंगलों का माल अपनी मर्जी से सीधा बाहर भेजकर व्यापार करता है जिससे स्थानीय मजदूरों को जो सरकार की मन्शा के अनुसार रोजी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही है?

उप-मन्त्री, वन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

Page No. 2

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रश्न के तीसरे भाग में लिखा है कि लकड़ियां बाहर भेजी जाती हैं। ये किस के जरिये भेजी जाती हैं? क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है?

श्री परसराम मदेरणा : पूरे जंगल का लाइसेन्स नहीं दिया है, जंगल के कुछ पोर्शन को इन्टीग्रेटेड प्लान्ट के लिए चिप बोर्ड फैक्ट्री को १०० मील का लाइसेन्स जारी किया है। १०० मील तक लाग्स काट कर बाहर भेज सकता है।

श्री विट्ठल : क्या प्रान्त के बाहर लकड़ी भेजने की इजाजत दी है ठेकेदार को?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें दो बातें हैं, इन्टीग्रेटेड प्लान्ट है, उसके अन्तर्गत दोनों प्रकार की चीजें हैं। जो चिप बोर्ड का मैटिरियल है वह चिप बोर्ड बनाने के काम आयेगा और सौ मिल के अन्दर जो लाग्स वगैरह कटते हैं उनको बाहर भेजने की इजाजत है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो एग्रीमेन्ट हुआ है, वह प्लान्ट लगने के बाद केरी आउट होगा। वह प्लान्ट लगा नहीं उसके पहले काम कैसे शुरू प्रारम्भ कर दिया?

श्री परसराम मदेरणा : प्लान्ट लगाने की ७ फरवरी १९६५ आखिरी तारीख है। उससे पहले प्लान्ट का काम शुरू कर सकता है, प्लान्ट लगा सकता है। उस एग्रीमेन्ट के आधार पर तीन साल के पहले पहले लगाना चाहिए था। सौ मिल उसने लगा ली है और सौ मिल लगा ली है तो नेचरली उसको लाग्स की आवश्यकता होगी। वह दिया जाता है। वह लकड़ी काट लेता और काट कर एक्सपोर्ट कर सकता है, बाहर भेज सकता है क्योंकि ऐसी कन्डीशन थी।

श्री विट्ठल : तीन साल के अन्दर फैक्ट्री लगाई नहीं अभी तक?

श्री परसराम मदेरणा : फैक्ट्रीको कहा है कि १९६५ तक चिप बोर्ड फैक्ट्री लगा सकते हैं। सौ मिल उसने लगा ली है।

श्री मुरलीधर व्यास : निश्चित रूप से मान्यता है कि एग्रीमेंट में है कि जब तक फैक्ट्री पूरी नहीं लगे तब तक लाग्स काट कर बाहर भेज सकता है? यह है निश्चित रूप से?

श्री परसराम मदेरणा : निश्चित रूप से है, वह एक्सपोर्ट कर सकता है बाहर। उनको एन्टीग्रेटेड प्लान्ट लगानेको दिया है, वह दोनों को लगाने के पहले सौ मिल लगाता है तो वह लगा सकता है और जंगल एलॉट किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ व कठूमर द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अनुदान

७३१. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री नत्थीसिंह)

(१) पंचायत समिति गोविन्दगढ़ व कठूमर (अलवर) में सन् ६२--६३ में कितनी धनराशि किस किस व्यक्ति को किस किस काम के लिए ऋण के रूप में एवं अनुदान के रूप में दी गई ? दोनों समितियों की पृथक पृथक सूची दी जावे ।

(२) क्या ऋण का उपयोग उसी कार्य में हुआ जिसके लिए कि ऋण दिया गया था ? अगर नहीं, तो किस किस का नहीं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे और यह भी बताया जावे कि उक्त विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(३) पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ व कठूमर किन व्यक्तियों के विरुद्ध पी० डी० आर० एक्ट के तहत वसूली की जा रही है और वह रकम मूल कितनी है और ब्याज कितना है ? यह वसूली कब तक हो जावेगी ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) पंचायत समिति कठूमर के बारे में सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका भी उल्लेख कर दिया गया है। पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा दी गई रकम उपयोग में लाई गई या नहीं इसकी जांच कराई जा रही है । ऋण की अवधि में उपयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

(३) पंचायत समिति कठूमर में पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत वसूली की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है । पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में जिनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही चल रही है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वसूली यथासम्भव शीघ्र की जायगी ।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नत्थीसिंह : जो कुओं के निर्माण के लिए किसी को हजार रुपया दिया है, किसी को डेढ़ हजार रुपया दिया है--यह क्या नीति है ?

श्री दौलतराम सारण : उनकी मांग और आवश्यकता के मुताबिक दिया गया है ।

श्री नत्थीसिंह : मांग के मुताबिक नहीं है । बाकायदा इसमें पक्षपात होता है । यह सरकारी नीति नहीं है कि किसी काश्तकार को हजार देते हैं. किसी को ढाई-तीन हजार देते हैं । बराबर आवश्यकता है दोनों को फिर एक को एक हजार देते हैं और दूसरे को डेढ़ हजार देते हैं । क्या सरकार इस बारे में पॉलिसी निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस करती है ? क्या आश्वासन देते हैं मन्त्री महोदय ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायत समिति देती है और पंचायत को मांग, आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ऋण और अनुदान देते हैं ।

(श्री दौलतराम सारण)

इसमें अलग अलग व्यक्तियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि किस को अधिक मिला है और किसको कम मिला है। किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पूछें तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं। साधारण रूप से नहीं कह सकता हूं। वैसे आवश्यकता और मांग के मुताबिक़ ऋण और अनुदान दिया जाता है।

श्री नत्थीसिंह : आपकी समझ में नहीं आया। मैंने अर्ज़ किया, अमूमन ऐसा होता है कि जो समिति के फेवर में है, जो कमेटी सेंक्शन करती है, एग्रिकल्चर कमेटी उसके फेवर के सदस्य हैं और जो काश्तकार हैं उनको डेढ़ हजार दिया हैं और जो उनके विरुद्ध है उनको एक हजार दिया है। इसका मतलब यह है कि उनके साथ पक्षपात किया गया है। क्या आप इसको मिटाने के पक्ष में है ?

श्री दौलतराम सारण : यह आपकी धारणा है। मैंने नहीं कहा। पक्षपात किसी समिति ने नहीं किया है।

श्री नत्थीसिंह : आपको जानकारी करनी चाहिए। लेकिन आप जानकारी करना नहीं चाहते। आप लिस्ट देखें, किसी को हजार, किसी को डेढ़ हजार। अध्यक्ष महोदय, ऐसी मिसालें हैं कि उस एरिया में नये कूओं का निर्माण किया गया उनको ढाई हजार दिये हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपका क्राइटेरिया क्या है, जिसको पसन्द करें उसको दे दें ?

श्री दौलतराम सारण : जो ऋण दिया जाता है वह कूए की गहराई, कुल लागत, मांग आदि को ध्यान में रख कर दिया जाता है। इसलिए यह कह देना कि पक्षपात किया गया है, ज्यादा दिया गया है या कम दिया गया है यह सही नहीं है।

प्रश्न संख्या ७३२

श्री उपाध्यक्ष : श्री पोहूमल।

(अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द जैन।

आयुर्वेदिक परीक्षाओं के उत्तीर्ण स्नातकों का पंजीयन

७३३ श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या यह सही है कि भिषगाचार्य और भिषगवर आयुर्वेदिक परीक्षाओं के उत्तीर्ण स्नातकों को अब तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री दौलतराम सारण) : जी नहीं। रजिस्ट्रेशन अनवरत किया जाता है।

Page No. 5

प्रश्न संख्या ७३४

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

जैतपुर-तलवास सड़क में आये जंगल का ठेका

७३५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में जैतपुर से तलवास सड़क का कार्य होने से करीब ५ मील के जंगल को काट कर सड़क निकाली गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ५ मील का एरिया सड़क के नाम पर १००-१५० फुट की चौड़ाई के क्षेत्रफल का जंगल काटा गया है ?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में सघन जंगल था जिसमें करीब १० हजार मन लकड़ी उपलब्ध हो सकती थी ?

(४) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की काटी हुई लकड़ी का ठेका कितने हजार रुपये में दिया गया था और कब और किस व्यक्ति को ?

(५) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत तलवास, ग्राम पंचायत जैतपुर की ग्राम सभाओं ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि वह इसका ठेका करीब १५,०००) रु० में लेने को तैयार है ?

(६) इस सड़क का कार्य कब से आरंभ हुआ था, जंगल का कटना कब से शुरू हुआ और ठेका कब किस व्यक्ति को दिया गया और बोली किस स्थान पर कायम की गई थी ?

(७) क्या यह सही है कि इस ठेके में भारी भ्रष्टाचार हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वन(श्री परसराम मदेरणा): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं, सड़क की चौड़ाई २४ फीट से ५० फीट तक है। केवल कहीं कहीं पर ८० व १०० फीट की चौड़ाई है।

(३) जी नहीं।

(४) इस क्षेत्र की कटी हुई लकड़ी का ठेका ३२५) रु० में श्री नरेन्द्रसिंह पंजाबी को १३-५-६३ को दिया गया।

(५) जी नहीं।

(६) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है क्योंकि वह कार्य पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा किया गया था। सिर्फ कटी लकड़ी का नीलाम डी० एफ० ओ० द्वारा किया गया। पहला नीलाम २५-४-६३ को जैतपुर ग्राम में व दूसरा बूंदी शहर में १३-५-६३ को हुआ और आखिरी बोली नरेन्द्रसिंह की लगी।

(७) जी नहीं।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : आपने 'जी नहीं' किस आधार पर कहा ? मैंने पहला प्रश्न पूछा है, "क्या यह सही है कि बूंदी जिले में जैतपुर से तलवास सड़क का कार्य होने से करीब ५ मील के जंगलों को काट कर सड़क निकाली गई है ?" आपने कहा, "जी नहीं।" पांच मील सड़क के लिए जंगल को नहीं काटा गया ? मैं अपना आधार बता रहा हूं, आपने किस आधार पर कहा ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने प्रश्न पूछा उसके पार्ट दो के रिप्लाई में साफ बता दिया गया है कि पांच मील जंगल नहीं काटा गया। सड़क की चौड़ाई २४ फीट से ५० फीट है। उसका अलाइनमेंट करना है। जो रास्ता सकड़ा था, उसको ८० व १०० फीट की चौड़ाई में काटा गया है। आलरेडी सड़क थी उसका री-अलाइनमेंट करना जरूरी था। जंगल को काट कर सड़क निकाली हो, ऐसी बात नहीं हैं। पुरानी सड़कों का अलाइनमेंट होता है। माननीय सदस्य जान सकते हैं, पांच मील जंगल काटने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : मैं बताना चाहता हूं, यह सड़क नई निकाली है। वहां जो बांध बनाया गया है उससे पुरानी सड़क बन्द हो गई थी। आपको जानकारी दी गई है डिपार्टमेंट से, वह बिल्कुल सही नहीं है। मैंने लिख कर श्री भीखाभाई, मंत्री महोदय, को दिया था कि मौके पर जाकर देखें। आपने कहा, "जांच करके कहा है।" आप इसकी जांच करायें तो मालूम होगा कि पच्चीस हजार का गोलमाल हुआ है। आप जांच करते तो संतोष हो जाता।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर बूंदी द्वारा जांच करवाई गई है।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : कब करवाई गई है, कब रिपोर्ट आई ?

श्री परसराम मदेरणा : तारीख मुझे मालूम नहीं है।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : तारीख कैसे मालूम नहीं है ? मैं कलेक्टर से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा। आप बताइये, कब करवाई गई है, कब रिपोर्ट दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो कलेक्टर, पहले अलवर थे, जो वहां अब नहीं हैं, उनका ट्रान्सफर हो गया है, उन्होंने जांच की है। आपको भी इत्तला दी थी लेकिन आप शामिल नहीं हुए। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि नीलाम पर लकड़ी दी गई है, ठेका दिया गया है—यह सही दिया गया है। लकड़ी सत्रह हजार मन नहीं हो सकती; आठ सौ, हजार के बीच में हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष में इतना बड़ा गोलमाल हुआ हैं। मंत्री महोदय को जानकारी दी जाती है वह अलग से होती है। आप स्वीकार करें तो मैं प्रत्यक्ष में आपको दिखाने के लिए

Page No. 7

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

तैयार हूं । उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब ने जांच की है । ग्राप बतायें कि उन्होंने कब जांच की है, कब रिपोर्ट की है ? उस रिपोर्ट को देखें तो मालूम हो कि कितनी सतर्कता के साथ रिपोर्ट देते हैं । जब हम जिम्मेदारी के साथ सूचना देते हैं तो जनता की सरकार के मन्त्री होने के नाते यह ग्रापकी जिम्मेदारी है कि उनको ग्राप देखें । ग्राप देखने के लिए तैयार हों तो मैं ग्रापको बताने के लिए तैयार हूं । ग्राप वह कह कर टालने को तैयार हैं जो ग्रधिकारी बताते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : जिम्मेदारी से हटने का प्रश्न नहीं है । इन्क्वायरी कराई गई है । जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा कि ग्राम सभाग्रों ने ग्रॉफर दी थी....

श्री हरीप्रसाद शर्मा : दोनों ग्राम सभाग्रों की मीटिंग में मैं शामिल हुग्रा हूं । ग्राप मिनट देख सकते हैं । वह ठेका ३०,००० में दिया जा सकता था ।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें तारीख नहीं होती ।

श्री परसराम मदेरणा : तारीख का प्रश्न नहीं है । कोई भी प्राइवेट ग्रादमी हो, ग्राम सभा हो, जो लकड़ी की नीलामी करने जा रहे हैं उसके लिए ग्रॉफर कम से कम राईटिंग में देनी चाहिए । एक बात, दूसरी बात है, प्रश्न में लिखा है, सरकार का ध्यान ग्राकर्षित किया गया कि ग्रॉफर करना चाहते है । ग्रगर कोई पर्टीक्यूलर ग्रमाउन्ट ग्रॉफर किया जाता ग्रौर उससे कम बोली पर नीलाम कर देते तो कह सकते थे कि घोटाला हुग्रा है । किसी भी ग्राम सभा ने इस तरह की ग्रॉफर दी नहीं । उसके बाद कम्प्लेन्ट हुई तो इन्क्वायरी हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स रूल्स के ग्रन्तर्गत जब बोली खत्म हो जाती है ग्रौर कोई दूसरा व्यक्ति या पंचायत वगैरह सवाई रकम जमा करा देते हैं तो डी. एफ. ग्रो. उसको रि-ग्रॉक्शन करा सकता है । ऐसा उन्होंने नहीं किया । हमने इस संबंध में इन्क्वायरी करा ली है ग्रौर राजस्थान सरकार उससे सेटिस-फाइड है । हमारे पास पी. डब्ल्यू. डी. में दरख्तों का रुपया है उसमें टोटल वेट दिया है उसमें साफ जाहिर होता है कि हजार मन से ज्यादा लकड़ी नहीं थी ।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : इस संबंध में मेरा चैलेन्ज है कि १० हजार मन लकड़ी थी ।

श्री परसराम मदेरणा : यह नीलाम की गई है वहां पर सब ठेके का काम करने वाले लोग मौजूद थे ग्रौर हाइयेस्ट बिड पर खत्म किया गया था ।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : ग्रापने चुपचाप यह नीलाम कर दिया ग्रौर उन पंचायतों को मालूम भी नहीं हो सका ।

श्री उपाध्यक्ष : Next.

Page No. 8

मिनिमम वेजेज रिविजन कमेटी ऑफ ट्रान्सपोट वर्कर्स

७३६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मिनिमम वेजेज रिविजन कमेटी ऑफ ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स सन् १९६२ में कायम की ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस कमेटी में सरकार ने तीन मालिकों के नुमाइन्दे, तीन मजदूरों के नुमाइन्दे तथा एक आजाद व्यक्ति, शामिल किये ? यदि हां, तो कृपया उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि स्टेट रोडवेज वर्कर्स यूनियन जैसी बड़ी यूनियन का इस कमेटी में कोई नुमाइन्दा नहीं लिया गया, जब कि इस यूनियन ने सर्वसम्मत्ति से एक नुमाइन्दा तय करके भी भेजा था ?

(३) क्या यह सही है कि मजदूरों की ओर से अधिकतर नुमाइन्दे ऑल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लोग थे तथा वे ट्रान्सपोर्ट यूनियन का प्रतिनिधित्व नहीं करते ? यदि हाँ, तो इन नुमाइन्दों को लिये जाने का क्या आधार है ?

उप-मंत्री, श्रम (श्री परसराम मदेरणा): (१) जो हां, संशोधित नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, यह आवश्यक नहीं था।

(३) जी नहीं, तीनों प्रमुख अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों से संबन्धित यूनियन का एक एक प्रतिनिधि लिया गया है। श्री दुर्गावत इंटक से, श्री अशरफ फौजदार एटक से और सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स यूनियन कोटा, हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि के रूप में लिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट-१ देखिए)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूची सदन की मेज़ पर रखी गई है वह आंखों से तो नहीं पढ़ी जा सकती अगर माइक्रोस्कोप लगा कर इसको पढ़ें तो पढ़ी जा सकती हैं। आंखों से नहीं पढ़ सकते हैं। आप इसको देखें तो आपको मालूम होगा।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय, कापी ठीक है। आप चश्मा लगा कर देखें तो साफ पढ़ सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके रंग का चश्मा मेरी आंखों में फिट नहीं होता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, कई बार जब सूची दी जाती है तो उसका टाइप ठीक नहीं होता और पढ़ने में नहीं आती इसलिये सप्लीमेंट्री उस पर नहीं कर सकते हैं। इसलिये इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था की जाय ताकि ठीक टाइप की हुई कापी दी जाए।

एक माननीय सदस्य: कई बार होता है।

श्री उपाध्यक्ष : (कापी का मुलाहिजा किया) ठीक तरह से टाइप होनी चाहिये। ठीक तरह से नहीं पढ़ी जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इंटक के कम हैं और एटक के ज्यादा हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपने बराबर रिप्रेजेन्टेशन दिया है। यह रिप्रेजेन्टेशन बिल्कुल गलत तरीके से दिया गया है। आपने उन लोगों को रिप्रेजेन्टेशन दिया है जिनकी इतनी यूनियन नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा: मैंने जैसा निवेदन किया कि तीन रिप्रेजेन्टेटिव्ज अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों से संबन्धित यूनियन के हैं उसमें स्टेट लेवल की बँच हैं उस बेसिस पर लिया गया है। इन्टक का एक, एटक का एक और एक हिन्द मजदूर सभा के प्रतिनिधि के रूप में लिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ट्रान्सपोर्ट की रोडवेज यूनियन है उसका प्रतिनिधि इसमें क्यों नहीं लिया गया ? आपने तीनों में से एक एक लिया यह तो सही है लेकिन जो इस यूनियन के धन्धे में काम करते हैं उनका प्रतिनिधि आपने क्यों नहीं लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमने इसमें से नहीं लिया। मोटर ट्रान्सपोर्ट, रोडवेज में काम करने वाले जो भी लोकल आर्गेनाइजर्स हैं, इस बेसिस को मान कर नहीं लिया कि अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों से संबन्धित एक एक प्रतिनिधि को ले लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी हर धन्धे में इसी तरह से प्रतिनिधित्व देने की है ? ऐसी नीति सरकार की है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस नीति को रिवाइज करने की सोच रहे हैं और आगे यह तय किया है कि १ अप्रेल, १९६४ के बाद में एक कमेटी ऐसी बनाई जावे जो पहले स्टेट लेवल पर ट्रेड यूनियन्स हैं उनसे पूछें कि वे कौनसा अपना प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं। लेकिन इस समय सरकार ने नोमिनेशन किया और अखिल भारतीय श्रमिक संगठनों में एक एक प्रतिनिधि सम्बन्धित यूनियनों में से लिया गया फिर मैं समझ नहीं पाया कि आपको इसमें क्या एतराज है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने ऑल इन्डिया लेबर यूनियनों से संबन्धित यूनियनों के आधार पर प्रतिनिधियों को लिया है। आयन्दा के लिये आप यह पॉलिसी सभी और धन्धों में अपनायेंगे क्या ? और जो स्टेट लेवल के इन्डस्ट्रीयल आर्गेनाइजेशन हैं, उनमें से प्रतिनिधि को लेने की नीति नहीं है, जैसे रोडवेज यूनियन है। तो क्या इस तरह आपने जो नीति अपनाई है वह हमेशा सभी धन्धों में अपनाई जावेगी।

Page No. 10

श्री परसराम मदेरणा : और तरह के धन्धों से आपका क्या मतलब है यह मैं समझ नहीं सका । लेकिन जो सवाल हमारे सामने है वह यह कि हमने रोडवेज कर्मचारी संघ को नहीं लिया है । ऑल इन्डिया ट्रेड यूनियन्स के स्टेट लेवल ऑर्गनाईजेशन है उनमे से एक एक प्रतिनिधि लिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : Next.

बस सर्विस-भवानीमंडी सोयत व भवानीमण्डी-धुधालिया

३३७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Transport Minister please reply:—

(1) Is it a fact that the buses sanctioned for Bhawani Mandi—Dhudhaliya via Dag are not operating for over a year and that no action has been taken against the defaulting parties inspite of representations ?

(2) What steps would the Government take to provide Bus facilities to the public of this area and by what time ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, गाड़ियां नहीं चल रही हैं । शिकायत आई है जिसको आर. टी. ए. की मीटिंग में तारीख ४-१-६४ को रखी गई थी परन्तु उस पर अभी आर. टी. ए. का पूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है ।

(२) मामला आर. टी. ए. के विचाराधीन है अत: सरकार द्वारा अग्रेतर कार्यवाही का प्रश्न ही नही उठता ।

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न पहले तय क्यों नहीं किया गया ?

श्री भीमसिंह : ये दो अलग अलग पार्टीज की बसें चलती थी । एक तो खान ब्रदर्स की जो डग भवानी मंडी सोयत वाया आवर पिड़ावा मार्ग पर और दूसरी बस भवानीमंडी सोयत वाया सुनेल मार्ग पर चलती थी । पहले वाली का केस आर. टी. ए. के सामने रखा तो उसके वकील ने आर. टी. ए. से समय मांगा और वह समय उसके वकील को दे दिया गया । दूसरी कोआॅपरेटिव सोसाइटी की बस चलती थी । उसको नोटिस दिया तो उस कोआॅपरेटिव ने कहाकि सुनेल से पिड़ावा के बीच रास्ता खराब था । बाद में रास्ते को ठीक करा दिया और यह १-११-६३ से रेगुलर रूट से चलती है ।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि साल भर से बसेज बन्द हैं और उनको रिसेन्टली नोटिस दिया तो इसके लिए कोई न कोई म्याद तो होनी चाहिये ।

श्री भीमसिंह : यह सही है कि एक साल से ऊपर हो गया हैं । उनको नोटिस दिया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया और उनका जवाब नहीं आने पर यह मामला आर. टी. ए. के सामने रखा गया और उनको शो-कॉज नोटिस दिया गया ।

श्री जुझारसिंह : जनता को आपके शो-काज नोटिस देने से सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, शो काज से उनकी मुसीबत दूर नहीं होती।

प्रश्न संख्या ७३८

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम !

ट्रान्सपोर्ट सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायतें, अलवर

७३९. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रामजीलाल नामक एक ट्रान्सपोर्ट सब-इन्स्पेक्टर लगातार पिछले ५--६ वर्षों से अलवर में ही मौजूद है ?

(२) इस दौरान में इसका तबादले के ऑर्डर कितनी बार किये गये और किन किन कारणों से रोके गये ?

(३) इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें किन किन लोगों ने कीं और सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

उपमंत्री यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) यह सही नहीं है । श्री रामजीलाल सब-इन्स्पेक्टर अलवर में तारीख २३ जून १९६१ से काम कर रहा है ।

(२) श्री रामजीलाल का तबादला ५ जून ६३ को अलवर से कर दिया गया था किन्तु किन्हीं प्रशासनिक कारणों से यह तबादला रोक दिया गया था ।

(३) इनके खिलाफ दो शिकायतें इस दौरान में आईं-एक श्रीमती गंगादेवी डाटा एम. एल. ए. द्वारा ता० २३-१-६३ तथा दूसरी श्री भूराराम मलहोत्रा द्वारा दिनांक १७-११-६३ को की गई । यह शिकायतें कुछ अनियमितताएं बरती जाने तथा भ्रष्टाचार के सिलसिले में थीं । किन्तु पूर्णतया सिद्ध नहीं हो सकीं । अनियमितताओं के लिए श्री रामजीलाल को ५-२-६३ को वार्निंग दे दी गई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ये कौनसी तारीख से अलवर में विराजमान हैं ?

श्री भीमसिंह : जैसा कि मैंने निवेदन किया जून, ६४ में तीन साल कम्प्लीट होंगे ।

श्री हरिराम चौहान : क्या यह भी सही है कि इससे पहले बीच में थोड़े दिनों के लिए ट्रान्सफर कर वापिस इनको अलवर में ले आया गया ?

श्री भीमसिंह : अभी के पोस्टिंग के बारे में पूछा गया, उसके लिए मैंने निवेदन किया । पहले के पोस्टिंग के बारे में पूछा नहीं इस सम्बन्ध में रेकार्ड मेरे पास नहीं, इसलिए मैं इस समय इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : बीच में केन्सेलेशन हुआ कितने दिन बाद हुआ ? किस तारीख को ट्रांसफर के आर्डर हुए और किस तारीख को केन्सेलेशन हुआ ? ऐसी कौनसी प्रशासनिक आवश्यकता पड़ी कि ट्रान्सफर केन्सिल किया गया ? क्या यह सही है कि इसमें कोई खास आदमी इन्ट्रेस्टेड है ? यह आपका कौनसा प्रशासनिक तरीका है ?

श्री भीमसिंह : देखिये, दो साल में आम तौर से ट्रान्सफर्स किये जाते हैं। पिछले साल इसे दो साल कम्प्लीट हुए, १४ सब-इन्स्पेक्टर्स के ट्रान्स्फर हुए. इसका कोई अकेले का ट्रान्स्फर नहीं हुआ है। फ्लाइंग स्क्वेड के कन्हैयासिंह का इसकी जगह भेजा जा रहा था। कन्हैयासिंह का रेकार्ड बहुत अच्छा था इसलिए कन्हैयासिंह को रिलीव करना मुनासिब नही समझा गया, उसका स्टे हुआ तो ओटोमेटिकली इसका भी केन्सिल हो गया।

श्री हरिराम चौहान : आपने ट्रान्सफर सोच समझ कर नहीं किया, सोच समझ कर करते तो केन्सिल नहीं करना पड़ता।

श्री भीमसिंह : ट्रान्सफर्स सोच समझ कर ही किये जाते हैं पर बाद में कोई प्रशासनिक कारण आ जाता है तो केन्सिल करना पड़ता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आपने फरमाया कि इसको वार्निंग दी गई है. वार्निंग देने के बाद भी ट्रान्सफर केन्सल कर दिया गया क्या यह ठीक है ? शायद आपको मालूम होगा यह मास्टर भोलानाथजी का रिश्तेदार है, इस वजह से बार बार इसके ट्रान्सफर्स केन्सिल किये जाते हैं।

श्री भीमसिंह : आपने फरमाया वह सब बात गलत है। एम. एल. ए. का आपने नाम लिया कि उनके द्वारा शिकायत की गई तो उस शिकायत पर डिप्टी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट को हमने मौके पर एन्क्वायरी के लिए भेजा पर कोई शिकायत उसके विरुद्ध साबित नहीं हुई केवल छोटी मोटी इर्रेगुलेरिटीज़ मिलीं, उसके लिए उसको वार्निंग दी गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न में आपने यह सूचना नहीं दी कि १९६१ से पहले कितने अर्से तक वे वहां रहे। मुझे जानकारी है कि १९६१ में जब उनका पोस्टिंग हुआ निरन्तर वह वहीं रह रहे हैं, ट्रान्सफर होकर वापिस वहीं आ गये हैं। दो साल में ट्रान्सफर करने का है पर वे वहीं कन्टिन्यू कर रहे हैं। उनके खिलाफ काफी शिकायतें आई हैं जिन पर गवर्नमेन्ट ने वार्निंग दी है तो क्या गवर्नमेन्ट आश्वासन देगी कि लोकल आदमी जो इतने अर्से से वहां रह रहा है उसको वहां से हटायेगी। वहां रखने में आखिर गवर्नमेन्ट को ऐसी कौनसी प्रशासनिक सुविधा है। ट्रान्सफर के सामान्य नियम हैं उन्हीं के अनुसार ट्रान्सफर होना चाहिये।

श्री भीमसिंह : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि दो साल कम्प्लीट होते ही ट्रान्सफर किया गया, कन्हैयासिंह को रिलीव नहीं किया गया था इसलिए उसको वहां रखा।

Page No. 13

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : चार चार, पांच पांच साल तक सब इन्स्पेक्टर्स एक ही जगह बैठे रह जाते हैं, उनके ट्रान्सफर्स कैन्सिल हो जाते हैं। पता नहीं, पोलिटिकल प्रेशर से केन्सिल हो जाते हैं। इसका क्या कारण है ?

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि कन्हैयासिंह को फ्लाइंग स्क्वेड से रिलीव कर दिया गया है ?

श्री भीमसिंह : अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री हरिराम चौहान : यह वार्निंग कब दी गई है यह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष : Next

श्री हरिराम चौहान : लाखों रुपया कमा लिया उसने, आपने वार्निंग दी तब तक।

श्री उपाध्यक्ष : Next question.

(श्री चौहान के पुनः खड़े होने पर)

Order please !

रवीन्द्र मंच का किराया

७४०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि रवीन्द्र मंच का पेशेवर कार्यक्रम के लिये ५००) रु०, २५०) रु० भवन और २५०) रुपया बिजली आदि खर्च के लिये किराये के लिये रखा गया है ?

(२) क्या यह सही है कि दिल्ली के तथा इस प्रकार के अन्य भवनों के मुकाबले में जयपुर के रवीन्द्र मंच का किराया अधिक है जब कि सप्रू हाउस के भवन का किराया केवल ३००) रु० ही है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इतना किराया लेने पर भी ग्रीन रूम, केन्टीन, बुकिंग हाउस आदि में आवश्यक फर्नीचर भी नहीं है और स्वीपर, फर्राश, चौकीदार आदि भी नहीं हैं ?

(४) यदि हां, तो ऐसा क्यों है और यह किराया किस आधार पर रखा गया ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं, वर्तमान में पेशेवर कलाकारों के कार्यक्रम के लिये रवीन्द्र मंच का किराया २५०) रु० प्रतिदिन अलावा वास्तविक बिजली पानी खर्च ही लिया जाता है।

(२) जी नहीं। राज्य सरकार के पास देश के अन्य भागों के रवीन्द्र भवनों के किराये की जानकारी नहीं है फिर भी ये दरें केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध अधिकारियों के परामर्श से निश्चित की गई थीं।

(३) रवीन्द्र मंच के ग्रीन रूम, केन्टीन आदि में आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था अस्थाई रूप से संगीत नाटक अकादमी द्वारा

Page No. 14

श्री निरंजननाथ आचार्य

की जाती है। स्थायी रूप से फर्नीचर की उपयुक्त व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यथासम्भव शीघ्र ही की जा सकेगी।

(४) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन की सफाई व देख रेख के लिये स्वीपर, फर्राश व चौकीदार आदि की व्यवस्था है। किराये का आधार प्रश्न संख्या २ के उत्तर में बताया जा चुका हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : बड़ी नजाकत से उत्तर दे रहे हैं आप ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपकी मुस्कान तो नहीं आ सकती।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि अभी रवीन्द्र मंच को किराये आदि पर देने के नियम नहीं बने हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीया सदस्या पूछ रही थीं।

श्री भैरोंसिह : हां, आप बताइये इसका उत्तर।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अब तक नहीं बने हैं वे बनने बाकी हैं।

श्री भैरोंसिह : नियम नहीं बने हैं तो फिर किराये वगैरह की व्यवस्था किन नियमों और किन आडर्स के आधार पर है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यहां के शिक्षा मंत्रालय को पूछ कर, सारी स्थिति को देख कर, क्या खर्चा है क्या व्यवस्था है, यह सब देखकर इनिशियल स्टेज पर व्यवस्था की गई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैंने यह पूछा है कि क्या सप्रू हाउस के किराये से इसका किराया ज्यादा है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया कि सप्रू हाउस का क्या किराया है, मैं यह जानकारी नहीं कर पाया हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे यहां पर रवीन्द्र मंच खोला तो किसी को किराये आदि के लिये नहीं पूछा गया। तो फिर किस बेसिस पर यह किराया रखा है ?

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर बात है कि गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाता है। कम से कम १५ दिन उनको मिलते हैं, आखिर यह समय मिलता है फिर वह दूसरी सरकारों से सूचना लेने में इस तरह की कोताही क्यों करती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोताही नहीं है।

श्री रामानंद अग्रवाल : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से परामर्श किया गया है, यह मंत्री

Page No. 15

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

महोदय ने उत्तर दिया है। फिर केन्द्रीय मंत्रालय से सप्रू हाऊस का किराया नहीं पूछा जा सकता ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप बताइये कि दूसरे राज्यों में कितना किराया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरे राज्यों में कितना किराया है, यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्यों नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पत्र व्यवहार जारी है। 'क्यों' का उत्तर नहीं दे सकता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह टालने की बात है। दो साल हो गए है उसको चालू हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न स्थगित किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कम्परेटिव स्टेटमेंट बनाने का प्रश्न है। दूसरे राज्यों में रंगमंचों का क्या किराया है उसकी जानकारी प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह जानकारी प्राप्त होने के बाद उस पर विचार करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी प्राप्त होने के बाद सारा स्टेटमेंट आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह प्रश्न मैंने दो माह पहले दिया था तो उसका उत्तर अब तक क्यों नहीं मंगा सके ? सप्रू हाउस दिल्ली में है, पूछने में कितना समय लगता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दो माह पहले आफिस में दिया गया था। हमारे यहां पर उत्तर की व्यवस्था की गई।

श्री रामानंद अग्रवाल : सप्रू हाउस का किराया पूछने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किस तारीख को चिट्ठी लिखी गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अजीब सवाल है।

श्री रामानंद अग्रवाल : We want to know your sincerety whether you have or not ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं इसका जवाब नही दे सकता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या यह सही है कि चिट्ठी नहीं लिखी गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी से मतलब चिट्ठी से और दूसरे जरिए से भी है।

श्री रामानंद अग्रवाल : आपने चिट्ठी लिखी है या नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : माननीय सदस्य मुझे पूछने दें। मैंने अपने सवाल में कहा है कि सप्रू हाउस का किराया केवल ३००) रु० है। आपने इसकी जांच क्यों नहीं की ? प्रश्न में साफ लिखा हुआ है और यहां ५००) रु० लिए जाते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ५००) रु० नहीं लिए जाते हैं। मैंने कहा है कि वर्तमान में पेशेवर कलाकारों के कार्यक्रम के लिए रवीन्द्र मंच का किराया केवल २५० रु० प्रतिदिन अलावा वास्तविक बिजली, पानी खर्च ही लिया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आप टालिए मत।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिजली पानी का अलग है जितना खर्च होता है उस हिसाब से।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जो बिजली पानी का खर्च होता है उनके मीटर्स नहीं पढ़े जाते हैं। आप मीटर्स पढ़ते हैं कि कितना खर्चा हुआ ? इसके अलावा इक्विप्मेंट नहीं है, फर्नीचर नहीं है, यहां तक कि टेलीफोन भी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बिना मीटर पढ़े किराए का प्रश्न बड़ा मुश्किल होता है। आपने इक्विमेंट के बारे में कहा है तो रवींद्र मंच को चले हुए अभी कितने दिन हैं ! हम प्रयास कर रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी से पूछा गया है। उसने कुछ व्यवस्था की है और इसकी इक्विप करने का जल्दी से जल्दी प्रयास किया जायगा। इसके अलावा बिल्डिंग बनते ही इक्विप्मेंट पर खर्च कर देना संभव नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आज तक लागत कितनी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न अलग है कि कितना खर्चा हुआ, कितनी आमदनी हुई। मैं जांच करके बता सकता हूं।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : यह सवाल पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मानिकचंद सुराणा : क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़) : एक सप्ताह मे उत्तर मंगा दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : This question is postponed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि आपकी इजाजत से ही सवाल पूछे जाने चाहिए। आप नाम लें तब सवाल हमको पूछना चाहिए। मैं १० बार बीच बीच में खड़ा हुआ हूं तो आपको कहना चाहिए कि फलाना आदमी बोले।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी इजाजत से ही पूछ सकते हैं और अब सप्लीमेंटरी सवाल पूछे जा रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फिर हमारे साथ अन्याय क्यों होता है। हम खड़े होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Adjustibility is the virtue of life

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : 'आइ कैच' करने की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : Next question.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मंत्री महोदय से कहा जाय कि जब उत्तर दें, डिटेल में दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आसन की आब्जर्वेशन्स हो चुकी हैं। उसके बाद में सवाल नहीं पैदा होता है।

कोआॅपरेटिव इन्स्पेक्टर के विरुद्ध गबन की शिकायतें

७४१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के नागरिकों ने कोआॅपरेटिव इन्सपेक्टर के खिलाफ लाखों रुपये के गबन की शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो कब और उस पर अबतक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह): यह सही नहीं कि सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के नागरिकों ने कोआॅपरेटिव इन्सपेक्टर के खिलाफ लाखों रुपये के गबन की शिकायतें की। परन्तु इस क्षेत्र की सहकारी समितियों के सदस्यों की ओर से श्री वीरूराम, भूतपूर्व प्रसार अधिकारी के विरुद्ध निम्न तीन सहकारी समिति में कुल ३०,३००) रु० के गबन की शिकायत प्राप्त हुई जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

Page No. 18

क्र०सं०	नाम समिति	दिनांक शिकायत प्राप्त होने की	क्या कार्यवाही की गई
१	३६-एस. टी. सी. बहुद्देशीय सहकारी समिति	जनवरी, ६४	एस. डी. ओ. हनुमानगढ़ द्वारा प्रारंभिक जांच की गई तथा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, गंगानगर द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।
२	९-बी. आर. पी, सामुहिक कृषि-सहकारी समिति	१०-९-६२	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, गंगानगर द्वारा जांच किए जाने पर आरोप सिद्ध नही हुआ बल्कि समिति के सदस्य द्वारा ही गबन किया जाना प्रकट होने से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तथा राजस्थान सहकारी अधिनियम १९५३ की धारा ५७ के अन्तर्गत धनराशि जमा करवाने का नोटिस भूतपूर्व कोषाध्यक्ष को जारी किया जा चुका है।
३	अहमदपुरा दलित वर्ग सहकारी समिति	१८-१०-६१	इस मामले की विभागीय जांच की जा चुकी है। गबन का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। श्री वीरूराम पर कार्य में लापरवाही व अन्य अनियमिततायें करने के लिए दोषी पाए जाने पर २ वार्षिक वेतन वृद्धि सदैव के लिए रोकने का दंड दिया गया। गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा इस मामले की रिपोर्ट जून ६३ में पुलिस में दर्ज करवाई जा चुकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि इन्हीं वीरूराम द्वारा बैंक से जो गांव के कोग्रॉपरेटिव के लिए डेढ़ लाख रुपया लिया, वह अपने पास में रख लिया और गांव के लोगों जिनके लोन की तकावी....

श्री भीमसिंह : कौनसी समिति के बारे में आप फरमा रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जो सूरतगढ़ में पंचायत समिति है । वहां इन्सपेक्टर की हैसियत से उसने कोई लोन लिया बैंक से । उस बैंक से रुपया लेकर उन लोगों को नहीं दिया और अपने पास में डेढ़ लाख की रकम रख ली । इस सम्बन्ध में कोई एन्क्वायरी हुई ?

श्री भीमसिंह : जैसे मैंने निवेदन किया इसकी जांच चालू है । कितनी २ रकम है ये सारे डीटेल्स मेरे पास नहीं हैं । जांच चालू है, हमने क्लोज नहीं की है । दूसरी और तीसरी क्लोज हो गई और उन पर एक्शन हो गया । पहली की विस्तृत जांच जारी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली की जांच चालू है, यह मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया । पर इसके साथ में प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जो वीरूराम सस्पेंड हुआ या उसको बहाल कर दिया गया है ?

श्री भीमसिंह : उसको दूसरे केस में सजा दी । दो साल के लिए उसके इन्क्रीमेंट्स रोक दिए गए । पहले केस में एस. डी. एम. के यहां केस चल रहा है । जब फैसला होगा तब सजा होगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समझ में नहीं आया । जांच जारी है, प्राइमाफेसी केस एस्टैब्लिश हो चुका है और दूसरे केस में एन्क्वायरी हो चुकी है । अब वीरूमल वहां आकर विटनेसेज को टैम्पर करता है....

श्री भीमसिंह : वह दूसरे केस में सस्पेंडेड थे । उसके अन्दर जांच होकर सजा हो गई । यह जो पहला केस है वह डिफरेंट केस है । कोर्ट के अन्दर पेंडिंग है । जांच जारी हैं, डिपार्टमेंटल जांच जारी है जब साबित होगा तब सजा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : जब जाच जारी है तो फिर उसको वहां पर रख कैसे लिया ?

श्री भीमसिंह : जहां तक मुझे जान पड़ता है यहां पर वह पोस्टेड था वहां पर नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : यह केस सरकार की तरफ से कोर्ट में भेजा है या कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी की तरफ से ?

श्री भीमसिंह : एम० डी० एम० और डिपार्टमेंट दोनों के पास शिकायत हुई थी और दोनों को मिला जुला कर कार्यवाही हो रही है । जांच हो रही है ।

श्री भैरोंसिह : गवर्नमेन्ट ने ए. डी. एम. को जांच करने के लिये स्वयं ने अपोइन्ट किया है या ए० डी० एम० के पास जो शिकायत आयी थी उस पर ही वे स्वयं सुओ मोटो कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री भीमसिह : ए० डी० एम० के पास भी आयी थी और डिपार्टमेन्ट के पास भी आयी थी। दोनों को मिलाकर जांच कराई जा रही है।

श्री भैरोंसिह : ए० डी० एम० के पास किस बात की शिकायत थी ?

श्री भीमसिह : कोई ३,१००) रु० के गबन की थी।

श्री भैरोंसिह : जब ए० डी० एम० ने कार्यवाही शुरू की तो सरकार ने क्या ए० डी० एम० को इन्क्वायरी करने के लिये आदेश दिया था ? किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जांच करनी होती है तो पहले सरकार से उसके बारे में परमिशन लेनी होती है। तो क्या सरकार से उन्होंने इसके लिये परमिशन ली थी ?

श्री भीमसिह : उनके कॉम्पीटेन्स में होगा तो किया होगा। सरकार ने तो मदद ही दी है।

श्री भैरोंसिह : परमिशन दी है या नहीं ?

श्री भीमसिह : स्पेसिफिक जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जवाब साइड ट्रैक हो गया है। प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने कहा कि पहले केस में उनको सस्पेन्ड नहीं किया। फैक्ट यह है कि चार्ज-शीट दी गयी एक दो तीन केस में, सबको एक केस में जांच की जा रही थी, उसका सस्पेन्शन बहाल करके यह मौका दिया जाय कि वह विटनेसेज को टेम्पर विथ करे यह बिल्कुल गलत कार्यवाही है।

श्री भीमसिह : वह वहां मौजूद नहीं है। ट्रान्सफर दूसरी जगह हो चुका है। पहले केस में सस्पेन्शन शामिल था यह तो मैं जांच करके बता सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिस बेसिस पर चार्जशीट दी गई उस बुनियाद पर सस्पेन्ड किया जाता है और इन्क्वायरी जारी रही है फिर बीच में सस्पेन्शन कैंसिल क्यों किया गया ?

श्री भीमसिह : जो इन्क्वायरी चल रही है ए० डी० एम० के यहां पहले केस का निवेदन किया। दो तीन के बारे में जितनी इर्रेगुलेरिटीज मिलीं और चार्जेज साबित नहीं हुए, उन इर्रेगुलेरिटीज पर जितनी सजा उनके हिसाब से होनी चाहिये थी वह यह हुई कि उनके दो ग्रेड इन्क्रीमेंट रोक दिये गये।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके जितने भी मामले हैं, पचासों चार्जेज हैं, गबन के हैं, रिश्वत के हैं, भ्रष्टाचार के हैं।

श्री भीमसिंह : जिन सदस्यों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी उन्हीं के खिलाफ उल्टे गबन के चार्जेज साबित हुए हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपसे कहता हूं कि वहां पर पार्टी बाजी है, पुलिस अधिकारियों ने मिल कर जिनके खिलाफ चार्जेज लगाये हैं उन से मिल कर गलत कार्यवाही की गई है । आप कहते हैं कि चार्जेज प्रूव ही नहीं हुए हैं ।

श्री भीमसिंह : यह तो आपका कथन है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप यह कहते हैं कि इस मामले में जो विरोधी सदस्य हैं चार्जेज उनके खिलाफ प्रूव हो चुके हैं क्या ?

श्री भीमसिंह : यह निवेदन करूं कि शिकायत आयी थी कि गबन किया । इन्क्वायरी हुई तो सदस्यों के स्वयम् के अन्दर यह निकला । नं० ३ जो उनके अन्दर इररेगुलेरिटीज़ थी उनके आधार पर दंड दिया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : गबन किस प्रकार का निकला ? सौ रुपया दो सौ रुपया की रसीद के बारे में कहते हैं कि गबन निकला जबकि उनका कहना यह है कि सरकार ने सारे कागज़ात अपने पास रखे हुए थे इस कारण उनमें दर्ज नहीं हो सकी क्योंकि इन्क्वायरी चल रही थी, सारे काजागत आप के पास थे । अलग कापी में दर्ज है । इतनी सी बात को लेकर कहते हैं कि उनके खिलाफ गबन है । लाखों रुपये के ट्रेक्टर खरीद लिये, भाई भतीजावाद है । जिस इन्स्पेक्टर के पास हज़ार रुपया नहीं था उसके पास आज पांच लाख रुपये की सम्पत्ति हो गई है । उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, मिस यूज़ किया, प्रधान और लोगों से मिल कर किया, उसके खिलाफ आप कहते हैं कि हमने इतनी सी कार्यवाही की, सस्पेन्शन भी विथ्ड्रा कर लिया । केशियर से सम्बन्धित कागजात आपके डिपार्टमेन्ट में इन्क्वायरी के सिलसिले में पड़े रहे और वह किसी केशबुक में दर्ज नहीं हो सकती और आप कहते हैं कि उन्होंने गबन कर लिया और उनके खिलाफ कार्यवाही की । आप इसकी जांच करा लीजिये । एक आदमी लाखों रुपयों की गड़बड़ करे.......

श्री भीमसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि चार्ज शीट दी जिन जिन पर चार्जेज प्रूव हुए तो कार्यवाही हुई । फिर भी सदस्य महोदय चाहते हैं तो माननीय सदस्य महोदय डिटेल्ड चार्जेज जो भी हों वे सरकार के सामने रखें, सरकार जरूर कार्यवाही करेगी । आप सरकार के साथ कोआॅपरेट करिये, सारे मसले रखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय एक प्रश्न है ।

क्या उप मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने यह माना है कि यह साबित हुआ है कि सदस्यों ने गबन किया है, सदस्यों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है और उसका क्या नतीजा है ? चालान पेश हुआ या नहीं ?

श्री भीमसिंह : डिटेल्स मेरे पास नहीं है, डेफिनेट रिप्लाई नहीं दे सकता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब गबन के मामले सदस्यों ने किये हैं, आप स्वयम् कहते हैं कि सदस्यों ने गबन किया है तो केस क्यों नहीं चलाया उनके खिलाफ ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न इतना ही है कि एक व्यक्ति के खिलाफ इम्प्लीमेंटेशन किस कारण से रोका गया है और इस प्रकार की इन्क्वायरी जब तक पूरी न हो जाय सस्पेन्शन खत्म कर लेना उचित नहीं है।

(विपक्ष द्वारा 'हियर हियर')

श्री मुरलीधर व्यास : आप (श्री ज्वालाप्रसाद) तो इसको किस कारण से पूछ रहे हैं, यह सब जानते हैं। आप इसको और तरफ मोड़ देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को और गबन को दबाने के लिए जिस ढंग से आप पूछ रहे हैं उसको सब जानते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सरकार कहती है कि उन्होने गबन किया....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं किया है ?

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं। माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, उनके भाई हैं, वहां के प्रधान हैं। उनसे मिले हुए हैं। कांग्रेस के लोग हैं और लाखों रुपयों के गबन को वे बचाना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई कन्सोलिडेटेड चार्ज शीट चार्जेज की बना कर नहीं दी। ११० केस हैं उनके खिलाफ। केवल तीन केस में चार्ज शीट दी गई है। मैं चेलैन्ज करता हूं सरकार को...

श्री मनफूलसिंह : गलत है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बिलकुल झूठ है....

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Next Question.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सात लाख का गबन किया है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : झूठ है....

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : व्यवस्था के बारे में....

Page No. 23

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मनफूलसिंह : मैं चैलेन्ज करता हूं।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री सामान्य प्रशासन): He is also throwing a challenge.

श्री मुरलीधर व्यास : हाफ एन हावर डिस्कशन के लिए रखा जाय।

श्री भीमसिंह : सजा भी हुई है।

श्री मनफूलसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने यह चार्ज लगाया है कि प्रधान मिला हुआ है, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इन्स्पेक्टर की शिकायत गलत की है और शिकायत करने वाले समलपुर की कोआॅपरेटिव सोसाइटी के सदस्य आज भी जेल में हैं और एक एक के ऊपर भी पुलिस का केस चल रहा है और कमेटी बैठी हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : श्री बुरीराम तो इनके साले लगते हैं और प्रधान हैं इनके भाई लगते हैं।

श्री मनफूलसिंह : गलत है, झूठ कह रहे हैं।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : जबरदस्ती बदनाम करते हैं।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अपने रिश्तेदारों को प्रोटेक्ट करते हुए आपको लज्जा नहीं आती।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ काफी चार्जेज आते हैं और आपके रिश्तेदारों को बचाया जाता है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please, Next question.

(शोरगुल)

(१.०० म० पू०)

बान्सी रेन्ज के कृषकों को जमीन

७४२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बान्सी रेन्ज, डिवीजन उदयपुर के कालीभीत एवं भरेव गांव के कृषकों की खातेदारी की कुछ जमीनें सुरक्षित जंगल के बीच में आई हुई हैं और उनको सैटलमेन्ट से पट्टे भी मिले हुए हैं?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीनों के कृषकों को सन् १९५३–५४ से वन

(श्री उदयलाल वर्दिया)

विभाग ने खेती से वंचित कर रखा है लेकिन उक्त जमीनों का भू-राजस्व तहसील लसाड़िया में बराबर कृषकों से वसूल हो रहा है।

(३) क्या यह सही है कि सन् १९५७-५८ में उक्त किसानों को सुधरी हुई ७० बीघा जमीन के बजाय २०० बीघा नोतौड़ भूमि देने का फैसला उप जिलाधीश, वल्लभनगर एवं डिवीजन रेन्ज अधिकारी ने करके २०० बीघा जमीन जंगलात की लाइन कटवा दी है ?

(४) क्या यह भी सही है कि उसकी तामील अब तक नहीं हुई और उक्त दो सौ बीघा जमीन राजस्व विभाग को नहीं दी गई है और इसके फलस्वरूप पिछले १० वर्षों से वन विभाग द्वारा किसानों को हानि पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो किसानों को इस प्रकार पहुंचाई गई हानि के लिए कौन उत्तरदायी है और इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन किसानों को दिये जाने के लिए एक निश्चित अवधि भी नियत करदी गई थी लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री सामान्य प्रशासन) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ अतः इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित किया जाय।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप लगाये गये हैं कि वे माननीय सदस्य के रिश्तेदार हैं इसलिये कार्यवाही नहीं की गई है, यह एक माननीय सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप है अतः इसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये डिनाई कर दें कि रिश्तेदार नहीं है।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : मेरे रिश्तेदार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यदि व्यक्तिगत आरोप है तो बाद में जवाब दिया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : I have requested for the postponement.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, that has been postponed.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए डेट फिक्स की जाय यह काफी गम्भीर सवाल है कि कितने साल से किसानों की जमीन ली गई है और भू-राजस्व बराबर वसूल हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सिर्फ एक सप्ताह के लिए पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की है।

प्रश्न संख्या ७४३

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री उदयलाल वर्दिया।

ग्राम पारसोला के लिए बस-सर्विस

७४४. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : [श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) द्वारा पूछा गया।] क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर ज़िले में ग्राम पारसोला एक मंडी है और वहां व्यापार एवं खनिज उद्योग बहुत ही अच्छा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में आवागमन की दृष्टि से उदयपुर की एक भी बस सर्विस नहीं है और इसके लिये प्रति वर्ष कई प्रार्थना पत्र जनता की ओर से प्रस्तुत हो रहे हैं ?

(३) क्या यह सच है कि उदयपुर से धरियावाद जानेवाली बस धरियावद ही रात्रि विश्राम करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पारसोला में रात्रि विश्राम निश्चित करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां, उदयपुर से पारसोला कोई गाड़ी नहीं जाती है। जनता की ओर से जो प्रार्थना पत्र आये हैं जो साधारण रूप में प्राप्त हुये हैं। नियमानुसार कोई फीस सहित प्रार्थना पत्र नहीं दिये गये हैं।

(३) जी हां, उदयपुर से धरियावद जाने वाली बस रात्रि को धरियावद में ही रहती है। नियमानुसार आवेदन पत्र आने पर आर० टी० ए० द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : यह गांव बहुत बड़ा है और खनिज सम्पदा भी काफी है क्या बस सर्विस चालू करने का विचार रखती है ?

श्री भीमसिंह : उसके लिए अलग से कार्यवाही की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

पलड़िया शाहबाद सड़क निर्माण में घोटाला

७४५. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पलड़िया तहसील तिजारा से शाहबाद को जाने वाली सड़क को पंचायत के द्वारा बनवाया गया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क के निर्माण में काफी गड़बड़ घोटाला हुआ था और लोगों ने लिखित में इसकी शिकायत भी की थी ?

(श्री हरिराम चौहान)

(३) क्या यह सही है कि एन्टी करप्शन विभाग की ओर से इसकी जांच शुरू की गई थी ? यह जांच कितने दिनों से चल रही है तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह इच्छा है कि क्वश्चन आवर पन्द्रह मिनिट के लिए और बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय १५ मिनिट और बढाया गया।

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) ऑडिट रिपोर्ट में इस सड़क के निर्माण कार्य में अनियमिततायें की जाना बताया गया है।

(३) जी हां। जांच के परिणाम की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हरिराम चौहान : कितने दिनों से जांच चल रही है ? आप इसको गबन मानते हैं या नहीं जब कि ऑडिट रिपोर्ट में गबन बताया है ?

श्री दौलतराम सारण : ऑडिट रिपोर्ट में हिसाब रखने के बारे में अनियमितताओं का उल्लेख होता है। वह ऑडिट रिपोर्ट पंचायत समिति को भेजते हैं, उसके बाद उनसे उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता है, फिर वह स्पष्टीकरण कलेक्टर के पास भेजते हैं और उसके बाद जो उचित कार्यवाही होती है वह की जाती है।

श्री हरिराम चौहान : यह कितने दिनों से कार्यवाही चल रही है क्या एक्शन लिया गया है इसकी एन्टीकरप्शन वालों ने भी जांच की है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एन्टीकरप्शन वालों ने जांच करके क्या सिफारिश की है ?

श्री दौलतराम सारण : जांच की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आयी है।

श्री हरिराम चौहान : इसमें कौन कौन अधिकारी इन्वोल्व्ड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। पहले स्थगित प्रश्न ले लिये जांय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभी क्वेश्चन्स ले लिये जांय। सप्लीमेन्टरी नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I have no objection, if you can accommodate within the time.

श्री रामानन्द अग्रवाल : If there are some important supplimentaries then they may be allowed.

श्री उपाध्यक्ष : I can accommodate if there is some very important question.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : But by the questionaire only.

गैस प्लान्ट वाटर पम्प के लिये तकाबी

७४६ श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नीम का थाना पंचायत समिति द्वारा १ मार्च सन् १६६१ से लेकर १५ मार्च सन्, १६६२ तक कितनी रकम कितनी गैस प्लान्ट वाटर पम्प के लिये दी गई है ?

(२) इनमें पंचायत समिति के सदस्यों में से कितने सदस्यों को कितनी रकम दी गई ?

(३) उपरोक्त रकम लेने वालों में से कितने लोगों ने जिस कार्य के लिये रकम ली उसमें लगा दी ? क्या यह सही है कि एक भी पम्पिंग सैट या गैस प्लान्ट आज तक उपरोक्त रकम में से नहीं लगा है ? यदि हां तो क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी ?

(४) क्या यह सही है कि इसके लिये नीम का थाना की पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जिम्मेदार हैं ? यदि हां तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही ?

उप–मंत्री, पंचायतः (श्री दौलतराम सारण) (१) इंजन लगाने के लिये कुल १२,०००) रु० की रकम तकावी के रूप में दी गई। गैस प्लान्ट के लिये कोई तकावी नहीं दी गई।

(२) पंचायत समिति के केवल एक सदस्य को ३,०००) रु० की तकावी दी गई थी।

(३) दो व्यक्तियों ने इंजन लगा लिये हैं जिन्होंने रकम का उपयोग नहीं किया है। उनसे एक मुश्त वसूली करने की कार्यवाही चालू है।

(४) जी नहीं

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह वसूली की कार्यवाही किस तारीख से शुरू की है ?

श्री दौलतराम सारणः वसूली की कार्यवाही २१।१।६३ से शुरू की है।

प्रश्न संख्या ७४७

श्री उपाध्यक्षः श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम चौहान।

भेड़ और बकरियोंके बाहर जाने पर टैक्स

७४८ श्री हरिराम चौहानः (तिजारा) क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान ने भेड़ और बकरियों पर राजस्थान से बाहर जाने पर टैक्स लगाया है ? इस टैक्स से

(श्री हरिराम चौहान)

कुल कितना रुपया राजस्थान सरकार को हर साल प्राप्त होता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस टैक्स में और कस्टम्स में, जो राजाओं के समय में लगता था, कोई फर्क नहीं है ?

(३) क्या राज्य सरकार इस टैक्स को वापस लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो कब तक ? और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री आबकारी एवं कर (श्री परसराम मदेरणा) (१) जी हां । १ अप्रेल, १९६२ से ३१-३-६३ तक भेड़ बकरियों और ऊंटों पर कुल १२, ११, २९२) रुपयों का कर वसूल किया गया था और साल १९६३-६४ में १-४-६३ से ३१-१२-६३ तक की अनुमानित आय दस लाख रुपया कर की है ।

(२) कस्टम व बिक्री या क्रय कर में बहुत अन्तर है ।

(३) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरिराम चौहानः अन्तर है कह देने से अन्तर नहीं पडता । कस्टम के नाम से बाहर भेड बकरियां जाती हैं उस हालत में तो लेते है, अब आप लेते हैं, पहले की और अब की हालत में क्या फर्क पड़ा है ? टैक्स के नाम से फर्क नहीं पड़ा । टैक्स तो वसूल होता है । यह कायदे के खिलाफ टैक्स है ?

श्री परसराम मदेरना : एपियरेन्स में कस्टम टैक्स की तरह ही दिखता है लेकिन यह कस्टम्स नहीं है । ओनर आउट साइड राजस्थान ले जाता है उस पर कस्टम लगता है । आउट साइड राजस्थान एनीमल ट्रान्जेक्शन होता है तो एक्सपोर्ट-परचेज टैक्स है । यह तो आउट पोस्ट पर ही वसूल हो जाता है । इसलिये कस्टम्स और परचेज टैक्स में भारी अन्तर है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओनर्स ले जाते हैं तब भी टैक्स लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

खादी बुनकर सहकारी समिति लिमिटेड, हिन्डोन

७४९ : श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : [श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन शहर में एक सहकारी समिति "खादी बुनकर सहकारी समिति लि०, हिन्डौन" के नाम से बनी हुई है ?

(२) यदि हां, तो यह समिति कब बनी ?

(३) क्या यह सच है कि इस समिति के अन्दर १०० सदस्य थे ?

(श्री अग्रवाल)

(४) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक सदस्य का २०) रु० का शेयर था और यह अब भी जमा है ?

(५) क्या यह सच है कि वह समिति अब कई साल से कार्य नहीं कर रही है यदि हां, तो क्यों तथा सरकार का उक्त समिति के बारे में अब क्या विचार है ?

(६) इस समिति में अब तक कितना नुकसान व कितना लाभ रहा है ?

(७) सदस्यों के शेयर की रकम को वापिस देने के बारे मे सरकार क्या सोच रही है और कब तक लौटा दी जायेगी।

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) यह समिति दिनांक ८.१२.४८ को बनी ।

(३) इस समिति के १०७ सदस्य हैं।

(४) जी.हां ।

(५) यह समिति गत दस साल से बन्द है क्योंकि समिति के सदस्य समिति के चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं और उन्होंने इस समिति का गठन केवल कन्ट्रोल का सूत लेने के लिये किया था और सूत पर कन्ट्रोल हटने पर कार्य करना बन्द कर दिया। अब समिति अवसायन में है।

(६) इस समिति को अब तक २,८२३) रू० ३४ नये पैसे का लाभ हुआ।

(७) सदस्यों की हिस्सा राशि समिति का अवसायन कार्य पूर्ण होने पर लौटाई जा सकेगी ।

श्री भैरोंसिंह : यह अवसायन में कब से है और अब क्या कार्यवाही हो रही हैं ?

श्री भीमसिंह : करीब एक साल हो गया है अवसायन में आये हुए।

प्रश्न संख्या ७५०

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदत्त सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल

वेस्पा स्कूटर्स के रजिस्ट्रेशन के वक्त दुर्घटना

७५१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कमल एन्ड कम्पनी जयपुर द्वारा वेस्पा स्कूटर के वितरण के समय अक्टूबर, १९६३ में एक आदमो भीड़ में मारा गया और कई आदमी जख्मी हो गये ?

(२) क्या यह सही हैं कि गड़बड़ इस कारण हुई कि कमल एण्ड कम्पनी ने वित-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रण के लिए औरतों की अलग क्यू लगवा दी जबकि इस प्रकार की पहले कोई घोषणा नहीं की गई थी ?

(३) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की कोई जांच कराई है ? अगर हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं

(३) जी नहीं। पुलिस विभाग से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट आ चुकी है।

(४) हर समय जन सुरक्षा हेतु दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार जागरुक रहती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो कहा है आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कि वहां पर औरतों की अलग लाइन नहीं लगाई गई तो क्या यह सही है कि लगाई गई थी अलग औरतों की जिसकी पहले कोई घोषणा नहीं की गई थी ?

श्री भीमसिंह : 'जी नहीं' कहा है, तो जी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फैक्चुअली गलत है, उपाध्यक्ष महोदय। सदन में जब रिप्लाई दिया था ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की बहस में तो यह स्वीकार किया था कि इस तरह लाइन लगाई गई थी, पर यह होम डिपार्टमेन्ट का मामला है। इससे ताल्लुक नहीं रखता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट श्री भैरोंसिंह।

विस्थापित स्वर्णकार

७५२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नियोजन निर्देशालय, श्रम तथा नियोजन, विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित विस्थापित स्वर्णकारों को दी गई सुविधाएं पुस्तिका में जिन सुविधाओं का उल्लेख किया गया है उनका किस सीमा तक अमल किया गया है ? इसके उपरान्त भी कोई घोषणा की गई है तो उसका कितना अमल हुआ है ? कृपया इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या सरकार ने ऐसे विस्थापितों की गणना करवाई है ? और यदि हां, तो ऐसे विस्थापितों की संख्या कितनी है ? और नहीं तो सरकार, का इस संख्या के विषय में क्या अनुमान है और किस आधार पर है ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए इसे अगली टर्न पर पोस्टपोन किया जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

Page No. 31

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए पहले भी सरकार ने यही कहा था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point af order, Sir, आपके आसन से कई बार इस बारे में आदेश दिये जा चुके हैं, पर किसी सवाल का अनकम्फर्टेबल जवाब होता है तो यह सरकार उस जवाब को टालने की कोशिश करती है। स्वर्णकारों के लिए सरकार ने प्रस्ताव पास किया है और अब तक कोई व्यवस्था नही हो रही है। न नियम बनाये हैं और प्रश्न पूछा गया तो कहते हैं, "पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड"। डेढ़ साल से यह चल रहा है और अभी भी सरकार पोस्टपोन, पोस्टपोन कहती है।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी से शर्क नहीं करना चाहती। किसी बात को छिपाने का प्रश्न नहीं है, पर जब जवाब नहीं आया नीचे से तो हम इसके सिवाय क्या कर सकते हैं?

(शोरगुल)

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए एवं बोलने लगे)

श्री भैरोंसिंह : आपके पास इस समय तक जो इन्फोर्मेशन आई हो तो वही बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक कोई सूचना नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने फिर हाउस का समय वेस्ट किया है, आपने इतने अर्से में सूचना क्यों नहीं मंगाई और मंगाई तो नहीं भेजने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अधिकारियों के खिलाफ आप एक्शन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कोई इसे इवेड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसी सेशन में लाने की कह रहा हूं, एक हफ्ते की मोहलत चाहता हूं इससे ज्यादा नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्व का प्रश्न है, इस बारे में आपकी व्यवस्था हो जानी चाहिये। यह स्थगित प्रश्न है। और बहुत महत्व का है, इसके लिये काफी समय दिया गया है, और अगर समय कम समझती है तो सरकार को अधिक समय लेना चाहिये था, नियमों में परिवर्तन करना था, पर यह सब नहीं करके इसे टालना और इस तरह से पोस्टपोनमेंट पर पोस्टपोनमेंट मांगना, यह उचित नहीं है। यह हमारे हकों का सवाल है और वह आपके द्वारा ही सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें व्यवस्था हो चुकी है पहले। सरकार इस विषय में जल्दी से जल्दी सूचना देने की कोशिश करेगी। Postponed for next week.

श्री परसराम मदेरणा : मैंने एक हफ्ते के लिये पोस्टपोन करने की प्रार्थना की है। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब इवेड करने की सरकार कोशिश करती हो।

Page No. 32

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अगर समय आपको अधिक चाहिये तो आप रूल्स को बदलवा लीजिये १५ दिन से एक महीना कर लीजिये आप जितने दिनों में मंगवा सकते हैं उतने दिन ले लीजिये, पर इस तरह से पोस्टपोनमेंट न मांगें आप।

श्री परसराम मदेरणा : यह समय तो सर्कमस्टान्सेज़ पर डिपेन्ड करता है।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी ही आपसे रिक्वेस्ट की है या पहले लिख कर मांगा है यह पोस्टपोनमेन्ट ?

श्री परसराम मदेरणा : लिख कर इत्तला भेज दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

सरप्लस अध्यापकों का एब्जॉर्शन

७५३. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अलवर व भरतपुर के कितने शिक्षक सरप्लस हैं ? उनकी संख्या प्रत्येक नगर में कितनी है ?

(२) क्या गांवों में स्कूलों में इन सरप्लस अध्यापकों को ग्रहण (एब्जोर्व) करने की शक्ति नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि गांवों की सैंकड़ों स्कूलों में अध्यापकों की कमी है जहां इन सरप्लस अध्यापकों का उचित उपयोग हो सकता है।

उप-मंत्री शिक्षा (निरंजननाथ आचार्य) : (१) केवल उदयपुर में १० अध्यापक सरप्लस हैं ?

(२) हां हैं।

(३) किन्तु सत्र के मध्य में ऐसा करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि इससे निर्धारित कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सत्र के बीच में किस गांव में भेजने से शिक्षा के कार्यक्रम में बाधा पहुंचती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि स्कूलों में काम कर रहे हैं प्रोग्राम अध्यापकों का एडजस्ट हो गया है, ऐसी स्थिति में दूसरी जगह भेजने से स्कूलों के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना होगा। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी सत्र में जो ये सरप्लस हैं उनको जहां जहां कमी होगी वहां वहां भेज दिया जावेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गांवों में एक तरफ तो टीचरों की कमी रहती है, और दूसरी तरफ उदयपुर जैसे शहर में जो कि मुख्य मन्त्री जी की कान्स्टीट्यूवन्सी है १० टीचरों को आप सरप्लस रख रहे हैं। उनको एब्जोर्व नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उदयपुर में ही क्यों आप सरप्लस रख रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : और जगह तो नहीं है ?

Page No. 33

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : सत्र के बाद भेज दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर्मचारियों का सेवा काल

७५४. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समाप्त होने पर जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा नियुक्त किये गये थे और विभिन्न विभागों से संबंध रखते थे उन्हें जिस विभाग से वे सम्बन्धित थे उन्हीं में भेजा गया था ?

(२) क्या इस प्रकार भेजे गये व्यक्तियों की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में की गई सेवाओं को सेवाकाल में गिना गया ?

(३) क्या जो अध्यापक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए गए थे उनको जिला परिषद् का कर्मचारी गिना गया किंतु उनके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेवा काल को सेवा काल में नहीं गिना गया ?

उप-मंत्री पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है आगामी टर्न के दिन इसका जवाब दे दिया जावेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था यह।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : नींद निकालने का शौक बहुत हो गया है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर–भरतपुर रूट पर यात्रियों को असुविधाएं

७५५. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर से भरतपुर रुट पर रोडवेज की बसों की कितनी संख्या हैं और वे किस किस समय पर चलती हैं ?

(२) क्या यह सच है कि इस रूट पर ग्राम शिकायत है कि यात्रियों को दिन भर बस स्टेण्डों पर खड़े रहना पड़ जाता है और ड्राइवर जगह होते हुए भी बसों को नहीं रोकते हैं ?

(३) क्या यह भी सच है कि बसें न मिलने के कारण लोगों के जरूरी कामों में नुकसान पहुंचता है ?

(४) तारीख २१-१०-६२ को दिन के तीन बजे जाने वाली बस से महुवा जाने वाले यात्रियों से कितना किराया सिन्धी कैम्प जयपुर से और कितना किराया घाटगेट जयपुर से चार्ज किया गया ?

(५) क्या यह भी सच है कि बसों के कन्डक्टरों के पास अब भी कम्पलेन्ट बुक नहीं

(श्री श्रवणलाल)

है तथा कम्पलेन्ट बुक देने से इन्कार कर देते हैं ?

(६) क्या यह भी सच है कि रोडवेज की बसों के अन्दर जाली टिकिट भी बिकते हैं ?

(७) यदि हां, तो सरकार इसके लिए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या व्यवस्था कर रही है ?

(८) सरकार उक्त रूट पर यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जयपुर से भरतपुर चार गाड़ियां और जयपुर से भरतपुर होती हुई आगरा की पांच गाड़ियां चलती हैं । समय सारिणी की एक प्रति सदन की मेज पर दी गई है ?

(२) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ?

(३) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई ।

(४) घाटगेट से महुवा का किराया प्रति यात्री ३) १६ न. पै. लिया गया । उस समय सिन्धी कैम्प से बुकिंग ही नहीं होती थी ।

(५) जी नहीं ।

(६) जी नहीं ।

(७) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(८) कोई शिकायत नहीं है अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रजिस्ट्रेशन कार्य अलवर

५७६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में रजिस्ट्रेशन का कार्य ट्रेजरी ऑफिसर से हटाकर तहसीलदार के सुपुर्द किया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि तहसीलदार महीने में लगभग १५ रोज दौरे पर रहते हैं, जब कि ट्रेजरी ऑफिसर नित्य प्रति वहीं पर रहते हैं ? क्या इस प्रकार तहसीलदार को यह काम सुपुर्द करने से जनता को नाहक परेशानी होने का अन्देशा है ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील दूसरी कचहरियों से काफी दूर पड़ती है तथा स्टाम्प आदि और अर्जीनवीस की मिलने की सहूलियत दूसरी कचहरियों में ही है जो कि ट्रेजरी के नज़दीक पड़ती है ?

(४) क्या सरकार रजिस्ट्रेशन का कार्य ट्रेजरी ऑफिसर से बदल कर तहसीलदार को न सौंपने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्री परसराम मदेरणा): (१) जी हां, रजिट्रेशन का कार्य अलवर शहर में ट्रेजरी ऑफिसर से हटाकर तहसीलदार के सुपुर्द किया जा चुका है।

(२) तहसीलदार महीने में करीब १० रोज दौरे पर रहते हैं और ट्रेजरी ऑफिसर वहीं रहते हैं। यह सही है वहां तहसीलदार के अलावा एक नायब तहसीलदार भी है और तहसीलदार की अनुपस्थिति में वे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की आज्ञा से सब-रजिस्ट्रार का काम कर सकते हैं। दोनों आपस में मिलकर ऐसा प्रोग्राम बना सकते है जिससे कि दोनों में से एक वहां मौजूद रहे और जनता को असुविधा न हो।

(३) जी हां। तहसील दूसरी कचेहरियों से एक मील की दूरी पर है मगर चार स्टाम्प बेचने वालों को उनके लाइसेन्स की शर्तों के मुताबिक तहसील में बैठने पर पाबन्द कर दिया गया है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : सात मिनिट प्रश्नों के लिये और बढा रहा हूं।

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या ३९९

श्री मजलिस खां

(अनुपस्थित)

श्री सुराणा

सीमावर्ती इलाकों के गैर सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें

५९१. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जैसलमेर बाड़मेर व बीकानेर के सीमा क्षेत्रों में कितनी प्राइमरी स्कूलें हैं ?

(२) क्या सरकार की सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए नई स्कूल खोलने की भी कोई योजना है ?

(३) क्या यह सही है कि सीमावर्ती इलाकों की कुछ गैर सरकारी स्कूलों में पाकिस्तान राज्य की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर के सीमा क्षेत्र में क्रमशः १०७, २२५, व १२ प्राथमिक शालाएं हैं।

(२) सत्र १९६३-६४ में सरकार ने जैसलमेर सीमा क्षेत्र में २२, बाडमेर में २१ व बीकानेर में १३ प्राथमिक शालाएं खोलने की स्वीकृति दी जिनमें से क्रमशः १६, २० व ४ खोल दी गई हैं।

(३) इस सम्बन्ध में कुछ सूचना प्राप्त हुई है जिनके बारे में सरकार जांच कर रही है और आज एक वक्तव्य में सरकार इस प्रश्न पर प्रकाश डालेगी।

Page No. 36

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करू कि आपने बीकानेर में १२ की संख्या बताई है, बीकानेर का भी बहुत लम्बा चौड़ा सीमावर्ती क्षेत्र है जब कि जैसलमेर और बाडमेर की तुलना में आपने बहुत कम स्कूलें वहां खोली हैं । जैसलमेर, बाडमेर में १०७ और २२५ आपने खोली हैं और इनके मुकाबले में बीकानेर में १२ । दस प्रतिशत से भी कम आपने वहां खोली हैं इनसे । पिछले वर्ष ६२-६३ में भी आपने बीकानेर में चार खोलीं तो मैं जानना चाहूंगा कि जैसा पहले भी सदन में सरकार ने घोषणा की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलें अधिक तादाद में खोली जायेंगी तो क्या इस संख्या को सरकार और बढावेगी ?

फिर वहां कुछ गैर सरकारी स्कूलों में पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं और इससे जो कुछ भी असर वहां के बालकों पर पड़ रहा है क्या सरकार उससे अवगत है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जहां तक प्राथमिक स्कूलें इन सीमावर्ती क्षेत्रों में खोलने का प्रश्न है सरकार चाहती है कि वहां अधिकाधिक खोली जावें । इसी आधार से इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकें वहां की प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं अभी वक्तव्य दे रहा हूं इस पर ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ७३२ ।

श्री भैरोंसिंह : ७३१ रह गया साहब ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) ७१७ ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ७३२ ?

श्री उपाध्यक्ष : That is too late.

प्रश्न संख्या ७१७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ७२६.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उपाध्यक्ष महोदय, ७२६ लूं या ७३२.

श्री उपाध्यक्ष : ७१७, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(स्थगित प्रश्न)
(दिनांक २७-३-६४)

मेडीकल रीइम्बर्समेन्ट बिल

७१७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Medical & Health Minister be pleased to reply:-

1. Is it a fact that Mr. T. P. Bharadwaj, Head of pathology Deptt, S. M. S. Medical College, Jaipur submitted twice the bill for

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

medical reimbursement and drew the amount ?

2. Was any complaint received in this behalf ? If so, what action was taken in that regard ?

उप-मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : प्रश्न का उत्तर २७ मार्च, १६६४ को सदन में दिया जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन को पोस्टपोन किया गया था और चेयर का यह आदेश था कि जब डाक्टर टी० पी० भारद्वाज के खिलाफ इतने सीरियस चार्जेज हैं उसके लिए उनको सिर्फ चार्जशीट दी गयी है तो उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ? इसका गवर्नमेन्ट कोई माकूल उत्तर नहीं दे सकी बल्कि भूतपूर्व होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ऐसी बातें मालूम होती हैं तो साधारणतया हम सस्पेन्ड करते हैं। तो ऐसे लोगों को सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ? और सरकार ने कहा था कि इसका समय मिलना चाहिए और तब उत्तर देंगे। इसलिए गवर्नमेन्ट की रिक्वेस्ट पर यह पोस्टपोन किया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से अब यह उत्तर आ रहा है कि हम २७ मार्च, को उत्तर दे चुके है यह कहां तक उचित है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : श्री भारद्वाज को चार्जशीट दी गई वह आपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गयी है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि यह मामला सब जुडिस है इसलिए इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामानंद अग्रवाल : सबजुडिस किसी कोर्ट में नहीं है। चार्जशीट दी गयी है। इस बिना पर गवर्नमेन्ट ने उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ये उपाध्यक्ष महोदय, सभी बीच में ठेकेदार बनते हैं। सतीशचन्द्रजी का सवाल है वह पूछ सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have got my right ,Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The question has been postponed for a complete reply next time.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय उप-मंत्राणीजी तैयार नहीं हैं तो मंत्रीजी को बुलवा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा आयेगा।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर)

सरकारी शिक्षण संस्थाओं में फीस

२३७. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान की सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किस किस प्रकार की फीस कितनी

(श्री श्रवणलाल)

कितनी वसूल की जाती है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन फीसों के वसूल किये जाने के सम्बन्ध में कौन से नियम हैं ? कृपया ऐसे नियमों की प्रति सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(३) फीस की रकम के उपयोग, सेफ कस्टडी तथा ऑडिट के क्या क्या नियम हैं ? कृपया उनकी भी प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(४) कौन कौन सी फीस सरकारी रकम में शुमार की जाती है और कौन कौन सी नहीं और क्यों ? क्या इन दोनों की व्यवस्था में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों और क्या ?

उत्तर

१. सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

२. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. जनरल फाइनेन्सियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स के चेप्टर ६ के आधार पर होता है।

४. इसका उत्तर प्रश्न भाग १ व २ में रखी गई सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई।)

पिछड़े वर्ग के लिए नई कालोनीज

श्री भानुप्रसाद कराड़िया, (चौमू) : २३८ क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में सन् १९५० से लेकर सन् १९६२ तक पिछड़े वर्ग के लिए कुल कितनी नई कोलोनीज़ बनाई गई हैं ? संपूर्ण पतों सहित व राज्य सरकार के सहायता व कर्ज़े की रकम सहित इनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सभी नई कालोनीज़ का कार्य पूर्ण हो चुका है या अधूरा है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) दस कालोनीज़ पूर्ण हो चुकी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुओं के लिए ऋण एवं अनुदान-बांसवाड़ा

२३९. श्रीनाथूराम (बागीदुरा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में किस किस पंचायत समिति में कृषि

(श्री नाथूराम)

सिचाई के कुओं के लिए कितना कितना ऋण एवं अनुदान सन् १९६१-६२, ६२-६३ और ६३-६४ में दिया गया है तथा कितने कुए कृषकों द्वारा पूर्ण किये गये हैं और कितने कुए अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि ऋण एवं अनुदान दिये जाने पर भी अधिकतर कुए पूर्ण नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) उक्त तीन वर्षों में ऋण एवं अनुदान दिये जाने से सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा हैं ? यदि नहीं बढ़ा है, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों में कई कृषकों को स्वीकृत शुदा ऋण एवं अनुदान पूरा २ नहीं मिला है जिससे कुए अपूर्ण हैं ? अगर नहीं, तो क्या सरकार ने जांच करवाई है ?

(५) क्या सरकार उपरोक्त विषयों की शीघ्र जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जहां कुए अधूरे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

(३) सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होने की सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है।

(४) जी नहीं। ऋण या अनुदान की स्वीकृत रकम की किश्त उन्हीं कृषकों को नहीं दी गई है जिन्होंने पहले दी गई रकम का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(५) अधूरे कुओं को पूरा कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जमीन बिक्री की मिसल में काट छांट

२४०. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या तहसील दूदू में नरायना के सरपंच, बंशीलाल वर्मा ने हनुमान मेहता की जमीन बिक्री की मिसल में जाल साजी से काट-छांट की है ?

(२) क्या उक्त मामले की जांच के लिए विकास अधिकारी, दूदू को लिखा गया था ? यदि हां, तो इस जांच का क्या नतीजा निकाला ?

उत्तर

(१) जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(श्री अमरसिंह)

(२) जी हां। जांच पूरी हो गई है। सरपंच को पृथक करने का अन्तिम नोटिस दि० २४-३-६४ को दिया गया है।

कृषि फार्म-पंचायत समिति, टोडारायसिंह

२४१. श्री जयनारायण सालोंदिया (निवाई): क्या विकास व पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति टोडारायसिंह के पास कोई कृषि फार्म है? यदि हां, तो कितने एकड़ का है?

(२) इस फार्म पर पंचायत समिति का अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और अब तक कितनी आमदनी हुई है? सालवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) सन् ६२-६३ में इस फार्म की कितने एकड़ भूमि पर किस २ तरह का अनाज बोया गया व उससे किस २ तरह के कितने अनाज की प्राप्ति हुई?

उत्तर

(१) जी हां। फार्म १५६ एकड़ का है।

(२) कृषि फार्म जून १९६३ से ही प्रारम्भ हुआ है। अभी तक कुल २४, ७४६) रु० का खर्चा व ३,१४८) रु० की आमदनी हुई है।

(३) कृषि फार्म सन् १९६२-६३ में प्रारम्भ ही नहीं हुआ था अतः उस वर्ष अनाज बोने व फसल होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कन्ट्रोल्ड कार

२४२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कार कन्ट्रोल आॅर्डर के लागू होने के पश्चात् किस किस वर्ष में किस-किस व्यक्ति को कौन-कौन सी कन्ट्रोल्ड कार मिली है? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(६.२३ म० पू०)

बारां में एक नाकेदार की हत्या विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): दिनांक ११ मार्च, १९६४ को टुण्डा गूजर बारां ने थाना बारां पर सूचना दी कि उसका लड़का जुगल किशोर नहान उत्सव के लिए तारीख १०-३-६४ को सायं ४ बजे गया था और तब से लापता है इसके पश्चात् दिनांक १४-३-६४ को ही सायं ४।। बजे श्री जगमोहनसिंह किरार बारां निवासी ने थाना पुलिस बारां पर सूचना दी कि बालाजी की

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

बावड़ी में एक आदमी के पैर दिख रहे हैं इस सूचना पर स्थानीय पुलिस थाना भारसाधक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उक्त बावड़ी में से एक लाश निकली जिसके गले पर एक रस्सी बंधी हुई थी और रस्सी के दोनों सिरों पर एक एक पत्थर करीब १०-१० सेर के बन्धे हुए थे इस पर पुलिस अधिकारी द्वारा १७४ सी० पी० आर० सी० की कार्यवाही की गई।

श्री टूण्डा गूजर ने उस लाश को अपने लड़के की होना शनाख्त किया।

(६.२५ म० पू०)

(श्री राम निवास मिर्धा अध्यक्ष पदासीन)

जिस पर मुकदमा नम्बर १६ धारा ३०२ सी० आर० पी० सी० दिनांक १४-३-६४ को थाना बारां पर पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान शुरू की गयी जो जारी है। अधीक्षक आरक्षी, मण्डल कोटा ने भी मौके का निरीक्षण किया व अब तक की अनुसंधान से कत्ल के उद्देश्य का कोई पता नहीं चला है। परन्तु स्थानीय पुलिस निम्न दो व्यक्तियों पर शक करती है।

१. श्री किशन निवासी बारां जो कि मुकदमा नम्बर १२ धारा ४५७, दिनांक १७-२-६४, थाना बारां, में गिरफ्तार है।

२. श्री पुरुषोत्तम लाल जाटव जो मुकदमा नम्बर १७ दिनांक १६-३-६४ धारा ३६४ थाना बारां में गिरफ्तार है।

श्री जुगल किशोर स्थानीय नगरपालिका के नाकेदार पद पर कार्य कर रहे थे।

सन् १९६३ में थाना बारां में कोई भी केस कत्ल या डकैती का दर्ज नहीं हुआ इस समय में निम्न अपराध पंजीबद्ध हुए जिनका विवरण इस प्रकार है।

मवेशी चोरी के ११ मुकदमें दर्ज हुए जिनमें १ झूंठा पाया गया व १० का चालान किया गया।

नकबजनी के २५ मुकदमें दर्ज हुए जिनमें ४ झूंठे पाये गये व १६ अदम पता रहे तथा ५ का चालान किया गया है।

साधारण चोरी के २६ मुकदमें दर्ज हुए जिनमें ४ झूंठे पाये गये २ की तफतीश नहीं की गई १२ अदम पता रहे व १ अदम सबूत रहा व १० का चालान किया गया।

सन् १९६४ में कत्ल, डकैती व मवेशी चोरी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ७ मुकदमें नकबजनी के दर्ज हुए जिनमें २ अदम पता रहे, ३ में अनुसंधान जारी है व २ का चालान कर दिया गया है।

साधारण चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका भी चालान कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): चोरी का माल कितना था और कितना बरामद हुआ, ये आंकड़े बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य: वह परसेन्टेज नहीं मालूम है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) मैं : जानना चाहता हूं कि कुए में इस प्रकार की एक लाश की शिकायत आई और उसके दोनों हाथों पर रस्सी से १०–२० सेर के पत्थर बन्धे हुए थे तो मेरी समझ में नही आया कि लाश, जिसके साथ १०–१० सेर के पत्थर बन्धे हुए हैं वह लाश कुएके ऊपर तैरकर कैसे आ सकती है ? क्या रामराज्य है कि पत्थर भी आपके राज्य में तैरने लग गए ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेडिकल जुरिस्प्रूडेन्स का सवाल है। पानी में जब लाश रहती है तो उसका वजन पत्थर के वजन को जमा नहीं सकता और फूल जाती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने लॉ आफ फ्लोटिंग बाडीज नहीं पढ़ा है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आदमी के साथ पत्थर भी मर जाते हैं क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह लाश फूल नहीं जाती है, फैल जाती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी तरह से वह फैल जाती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह श्री किशन और पुरुषोत्तम को कब कब गिरफ्तार किया गया और वह लॉक-अप में हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्री किशन निवासी बारा जो कि मुकदमा नम्बर १२ धारा ४५७ दिनांक १७-२-६४ थाना बारा, मे गिरफ्तार है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : और पुरुषोत्तम ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १६-३-६४ को ।

श्री भैरोंसिंह : वह कौन से मुकदमें में है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३६४ और ४५७ में ।

श्री दयाचन्द सोन (बारा मु०) : जब घर वालों ने रिपोर्ट की थी कि वह घर नहीं आया और चार रोज के बाद पता चला तो इन चार रोज़ के बीच में गवर्नमेन्ट ने क्या कार्यवाही की ?

(९.३० म० पू०)

सीमावर्ती स्कूलों में पाकिस्तानी पुस्तक पढ़ाने सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : अब आप दूसरा वक्तव्य देने की कृपा करेंगे ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास वाले गांवों में वहां की मुसलमान जनता अपने बच्चों में धार्मिक प्रेरणा हेतु उनको सरकारी स्कूलों में न भेजकर निजी मकतबो में भेजती है जहां मौलवी बच्चों को पाकिस्तान की प्रणाली पर शिक्षा देते हैं। कई जगह पाकिस्तानी पाठ्यक्रम भी अपनाया गया है। जिला बाड़मेर के पाड़ी का पार

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

और तामिलिपार ग्रामों में सरकारी स्कूल होते हुए भी श्री वली मोहम्मद, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा पाडी का पार व हाजी हकीम निवासी तामिलिपार ने स्वयं के मदरसे चला रखे हैं जिनमें मुसलमानों के बच्चे सरकारी स्कूलों के मुकाबले अधिक संख्या में हैं। पुस्तकें सिन्धी बियो के नाम से जानी का पार ग्राम के एक निजी मदरसे में पढ़ाई जाती है।

पाकिस्तान में छपी तथा प्रकाशित अन्य सिंधी पुस्तकें भी जो अरेबिक लिपि में है जिला बाड़मेर के ग्राम बावड़ी, तामिलिपार, खलीफ की बेरी, पानी का ढेंबा, नवातला तथा मलाना के निजी स्कूलों में पढ़ाई जाना पाई गई हैं। ये किताबें पाकिस्तान की कक्षा एक से सात तक में प्रेस्क्राइब्ड हैं तथा पाकिस्तान प्राइमरी स्कूलों में प्रेस्क्राइब्ड एक भूगोल है। एक सिन्धी भाषा में छपा तथा श्री .मजरूला डलामी अरबी वेलेंट पाकिस्तान द्वारा प्रकाशित इश्तहार भी ग्राम पानेला में पाया गया है जिसमें यह निर्देशन है कि स्कूलों में भी तालीम दी जावे तथा गैर मुस्लिम को काफिर समझा जाय।

पुस्तक 'सिन्धी बीयो' तथा अन्य उपरोक्त पुस्तकें तथा इश्तिहार का अध्ययन इस दृष्टि से किया जा रहा है कि यदि उसमें कुछ देश के लिए आपत्तिजनक सामग्री हो तो उस सम्बन्ध में कानूनी-कार्यवाही की जा सके।

इन किताबों में से उपरोक्त आधार पर वहां प्रेस्क्राइब्ड नहीं की जा सकतीं, परन्तु इनमें विचारधारा में पाकिस्तान के अनुकूल तथा भारत के प्रतिकूल प्रवृत्ति अवश्य जागृत होती है। इसको बन्द करने का यही एक मात्र तरीका है कि किसी भी संस्था में सरकार से बिना स्वीकृति प्राप्त किये किसी भी पुस्तक का पढ़ाना या रखना कानूनी तौर से अवैध घोषित हो।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आप यह बताएं कि इस प्रकार की अराष्ट्रीय प्रवृति पैदा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया है?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सरकार को इन सारी कार्यवाहियों की जानकारी कितने अर्से से है?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): मैंने जो पुस्तक रखी थी उसमें यह लिखा था कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि हिन्दुस्तान में कुछ उपद्रव पैदा करता है और उप-गृह-मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की बातें उन पुस्तकों में भी नहीं हैं तो क्या उन सभी पुस्तकों की जांच की गई है?

श्री अध्यक्ष: वह स्वीकार करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला: उन्होंने यह कहा कि रोक नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि जब तक कानून नहीं हो उसके बारे में तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): एक किताब में यह लिखा है कि "पाकिस्तान आबाद रहे और हम उसकी रक्षा अपनी जान

(श्री मुरलीधर व्यास)

की बाजी लगाकर करेंगे, इस की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे।" इस प्रकार की पाकिस्तान की बातें उनमें हैं, वह हमारे यहां के नागरिकों को जो यहां पर रहते हैं उनको यह पढ़ाया जाता है पाकिस्तान की सुरक्षा के सम्बन्ध में इस प्रकार की अपील रहे कि उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, इस प्रकार की बातें पढ़ें और वे किताबें पढ़ाई जायं और वहां पर जो शिक्षक सरकारी हैं उनके जरिये किताबें पढ़ाई गई तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विजयसिंह झाला : सिन्धी बी० ओ० में ...

श्री अध्यक्ष : श्री झाला, आप एक दफा में चाहे जितना बोल लें। समय समय पर खड़े नहीं हों।

श्री विजयसिंह झाला : सिन्धी बीओ में जो कविता है जिसका हिन्दी अनुवाद मैंने उपमन्त्रीजी को दिया था क्या उसमें इस प्रकार के तत्व नहीं हैं जो राष्ट्रीयता के लिए खतरा हिन्दुस्तान और राजस्थान में पैदा कर सकें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि उपमन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि एक ऐसा इश्तिहार भी देखा गया जिसमें यह लिखा था कि जो मुसलमान नहीं हैं वह काफिर हैं, इस प्रकार की घृणा पैदा करने वाला इश्तिहार है, और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि ये पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता तो क्यों नहीं रोका जा सकता। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का इश्तिहार बांटा जाना और इस प्रकार की पुस्तकें लगातार पढ़ाया जाना इस ओर संकेत करता है कि बोर्डर के ऊपर पाकिस्तानी स्पाईज जो हैं काफी कन्सेन्ट्रेटेड हैं और उनका बिजीनेस बाकायदा जारी है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इन्टेलीजेन्स विभाग, हमारे पुलिस विभाग, हमारे गृह विभाग ने इस सम्बन्ध के अन्दर क्या कदम उठाये हैं और उसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ? और यह रिपोर्ट क्या केवल माननीय सदस्य के प्रश्न उठाने के बाद या स्थगन--प्रस्ताव लाने के बाद आई है या इससे पहले भी सरकार के पास रिपोर्ट वगैरह है ? अगर रिपोर्ट वगैरह हैं तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? डी० आई० आर० का उपयोग किया गया या नहीं या डी० आई० आर० का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाना मुनासिब नहीं है और केवल राजनैतिकों के लिए ही रिजर्व रखा हुआ है ? मैं यह सब प्रश्न जानना चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय उपमन्त्री महोदय ने यह बताया कि इन पुस्तकों का निजी शिक्षणालयों में पढ़ाया जाना तब तक बन्द नहीं किया जा सकता जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई कानून इस प्रकार का नहीं हो। जहां तक इस प्रकार का जो इश्तिहार बताया गया है या इस प्रकार की पुस्तकों में इस तरह के तथ्य हैं जो कि हमारे देश के बारे में कोई दुर्भावना फैलाने वाले हों या किसी दूसरे देश

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के प्रति उस सम्बन्ध में हमारे देश के हितों के विरुद्ध वफादारी बताने वाले हों तो वह हमारे कन्स्टीट्यूशन के विरुद्ध है, और आई० पी० सी० में इस प्रकार की धाराएं मौजूद हैं जिनका इनको रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो होम डिपार्टमेंट के द्वारा इस संबंध में जैसे ही उनको सूचना मिली इस प्रकार का एक्शन लिया जाना चाहिए था। माननीय उपमन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि उस पर्चे बांटने वाले की जांच की गई, इस सम्बन्ध में कोई शख्स एप्रीहैन्ड किया गया, गिरफ्तार किया गया, या नहीं किया गया, या इस सम्बन्धमें अभी तक कोई कार्यवाहीकी जा रही है या नहीं की जा रही है? यह भी माननीय उपमन्त्री महोदय ने नहीं बताया कि इस प्रकार की निजी स्कूल कितने करीब हैं, और उन किताबों में जो भी कुछ लिखा है वह मौजूदा आई० पी० सी० के अन्दर जो प्रावधान हैं उनके तहत वे वर्जित हैं या नहीं? तीसरा यह भी नहीं बताया है कि राजस्थान सरकार यदि ऐसा समझती है कि कानूनी शक्ति उनके पास नहीं है तो केन्द्रीय सरकार को उन्होंने यह सूचित किया है कि ऐसा लेजिस्लेशन वह पास करे जिससे राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में कोई एक्शन ले सके?

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, सीमाप्रान्त के नाते विशेष ध्यान देना राज्य सरकार का दायित्व है। सरकार यह तो मानती है कि जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनके विचार में कुछ देश के विरुद्ध होने का सम्बन्ध है। सरकार यह मानकर चलती है। साथ ही वह यह प्रकट करना चाहते हैं कि कोई कानून हमारे सामने नहीं है जिसके द्वारा हम उन पर प्रतिबन्ध लगा सकें तो यह सरकार का पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि सीमा प्रान्त के निवासियों पर विशेष ध्यान दे तो इसकी जानकारी अवश्य मालूम करनी चाहिए थी। एक तरफ तो करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा को कायम करने के लिए और दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से ऐसा उत्तर दिया जाता है कि कानून नहीं है। तो राज्य सरकार ने कानून बनाने का एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात को रोकने की चेष्टा क्यों नहीं की गई? राज्य सरकार द्वारा इस बारे में जल्दी ही कदम उठाने का एक्शन क्यों नहीं लिया गया?

श्री विजयसिंह झाला: एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। यह किताब जो मैंने स्थगन प्रस्ताव के साथ में रखी थी वह हिन्दुओं को भी पढ़ाई जाती है। उस किताब पर हिन्दुओं के भी दस्तखत हैं। क्या मंत्रीजी यह जानकारी देंगे कि ऐसी पुस्तकें हिन्दुओं को पढ़ाई जाती हैं?

श्री अध्यक्ष: वह तो मखतबों में पढ़ाई जाती है।

श्री विजयसिंह झाला: नहीं, वे हिन्दुओं को भी पढ़ाते हैं। हिन्दुओं के बच्चों के दस्तखत हैं। हिन्दुओं को फोर्स के द्वारा क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा हैं इसलिए उनको जबरदस्ती पढ़ाई जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हिन्दू--मुसलमानों का प्रश्न नहीं, किसी को भी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए।

श्री फतेहसिंह (चोहटन) :

(अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपमंत्री महोदय बता दें कि क्या एक्शन लिया गया ?

श्री अध्यक्ष : दो तीन माननीय सदस्य और बोल लें।

श्री भैरोंसिंह : बोलने का सवाल नहीं है। यह तो फेक्ट है कि ये किताबें पढ़ाई जाती हैं। यह तो तथ्य है। इसका कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया वह बता दें तो क्लेरिफिकेशन हो जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उपमन्त्रीजी ने बताया, जो तथ्य हमारे सामने हैं उनको देखते हुए मामला बहुत गंभीर है। सरकार का यह कहना कि ऐसा कानून नहीं है जिसके द्वारा कार्यवाही कर सकें, उचित नहीं है। सरकार मामूली बात के लिए ओर्डिनेन्स जारी कर सकती है तो यह तो स्टेट की सिक्योरिटी का प्रश्न है। ऐसे मामले में ओर्डिनेन्स नहीं ला सकती थी क्या ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति सदन में आई है, निश्चितरूप से गम्भीर वातावरण पैदा हो गया है। माननीय उपमन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है वह बहुत ही खेदजनक है (करतल ध्वनि)। वे यह बता दें कि राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में यह बात कही है कि यह अधिकार हो तब कार्यवाही की जा सकती है। मैं समझता हूं यह स्थिति बहुत ही शोचनीय है। मैं माननीय उप मन्त्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि जैसी हिन्दुस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं जैसा कि आपने बताया बहुत बड़ी संख्या में हिन्दुस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान की शिक्षा दी जाती है उसको रोकने के लिए उनके पास कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है तो वे इस बात की इजाजत दे दें कि हिन्दुस्तान के और भागों में भी इस प्रकार की किताबें बांट दें। वे देखते हैं, जैसा उन्होंने वक्तव्य दिया, वे चाहते हैं कि यह विवाद का विषय बने, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह स्थिति बहुत गम्भीर है, आम तौर से जो नीति उनके द्वारा अपनाई जाती है उस आधार पर इसे न लें और स्पष्ट बतावें कि जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए राज्य सरकार ने क्या सख्त कदम उठाये हैं और राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? आपको इसकी इत्तला कब मिली और उसके बाद आपने क्या क्या कार्यवाही की ? यह सब स्पष्ट बतावें।

श्री अध्यक्ष : वास्तविक स्थिति क्या है यह बतादें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कई बातें रखीं। मैं इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिए व्यग्र हूं लेकिन मेरी विवशताएं हैं कुछ। दो मुद्दे इस प्रश्न में हैं अध्यक्ष महोदय, किताबें जो

Page No. 47

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

पाकिस्तान में प्रेसक्राइब्ड हैं वे हिन्दुस्तान के बोर्डर पर पढ़ाई जाती हैं और जिन मकतबों में पढ़ाई जाती है और जिन व्यक्तियों द्वारा पढ़ाई जाती है उनका इसमें इन्सटीगेशन होता है पढ़ाने के लिए ये दो मुद्दे इसमें हैं और ये जो मुद्दे हैं, इनकी सारी स्थिति का सामूहिक प्रभाव हमारे राष्ट्र हिन्दुस्तान पर क्या पड़ता है. माननीय सदस्यों ने मुझे कार्यवाही जानने के लिए आग्रह किया कि क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की जा रही है। रायसिंहनगर के माननीय सदस्य ने कहा कि बोर्डर की सिक्योरिटी का प्रश्न है, राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न पर सिक्योरिटी के आधार पर क्या कार्यवाही कर रही है इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं बाद में जवाब दूंगा। लेकिन जहां तक साहित्य का प्रश्न है, मैंने स्वयं ने मंजूर किया है कि पाकिस्तान के साहित्य की पुस्तकें आई हैं और मकतबों में पढ़ाई जाती हैं। इस पर भी यह कहा गया कि उनसे यह पूछा जाय कि जिन मकतबों में पढ़ाई जा रही हैं और जो इसमें मदद कर रहे है उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य सिक्योरिटी के पोइन्ट पर और आगे जो कदम सरकार उठाना चाहती है इस आधार पर इस प्रश्न को सरकार पर ही छोड़ दें तो अच्छा रहेगा।.... ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार निकम्मी साबित हो गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस स्थिति में नहीं हूं......

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया सिक्योरिटी के बारे में ? बल्कि उसने कोई जिम्मेदारी का काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सामान्य सुरक्षा का नहीं है, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है आप चाहें तो बतावें, न बतावें। इस समय प्रश्न हाउस के समक्ष यह है कि इन किताबों को यहां पढ़ाने से हमारे भारत के किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है. यदि हुआ है तो क्या सरकार उनको पढ़ाना उचित समझती है ? यदि उचित नहीं समझती है तो इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? प्रश्न केवल पुस्तकों का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उत्तर प्रदेश में ढाई घन्टे तक बहस हुई है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक किताबों की सामग्री का प्रश्न है, ये किताबें पाकिस्तान में प्रेस्क्राइब्ड है यह मैंने निवेदन किया। इसके लिए कानूनी कार्यवाही क्या हो सकती है यह सरकार के विचाराधीन है, सरकार इसके लिए जागरुक है कि ये किताबें मकतबों में न पढ़ाई जाय। इस सम्बन्ध में उचित कानूनी कार्यवाही की जाय ये दोनों प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं। मुझे विश्वास है यह प्रश्न यहां उत्पन्न हो रहा है, कानून के जरिये और दूसरे रूप में इस पर नियंत्रण हो सकेगा।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने राय ली है क्या ला डिपार्टमेन्ट की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा कि आपने हवाला दिया कानून का सम्बन्ध इस प्रश्न से है, उन सब पर हम विचार करना चाहते हैं। जैसा निवेदन किया पाकिस्तान का ताल्लुक इसके साथ है....

श्री अध्यक्ष : सदन को इस उत्तर से संतोष नहीं है। या तो इसका पूरा पता लगाना चाहें तो इसको स्थगित कर सकते हैं लेकिन निश्चित तौर से सदन को पता होना चाहिए कि सरकार कितनी गम्भीरता से इस प्रश्न को देखती है और क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): बिना कानूनी सहायता के भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान की पुस्तकें राजस्थान में आ कैसे गई यह देखने की बात है। क्या इसके लिये कोई परमिट लिया गया ? यदि नहीं लिया गया तो ये आई कैसे ? इस मामले को लंबा नहीं बढाया जा सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : साहित्य आना पाकिस्तान से, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अन्दर रोका जा सके....

श्री विजयसिंह झाला : योजना मंत्री जी ने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर दो दिन पूर्व....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया ....

श्री विजयसिंह झाला : व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे स्थगन प्रस्ताव पर दो दिन पूर्व योजना मंत्री जी ने स्टेटमेंन्ट दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है। दो पुस्तकें थीं वे जब्त कर ली।

श्री अध्यक्ष : आप इस बहस में नहीं पड़ें। जो विषय सामने है उस पर बोलें।

श्री विजयसिंह झाला : उप मंत्री महोदय का यह कहना है कि हमारे यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसके अन्तर्गत इन पुस्तकों को रोक सकें लेकिन योजना मंत्रीजी ने दो दिन पहले ही दो पुस्तकों को जब्त करने को कहा था।

श्री अध्यक्ष : इस विवाद में नहीं पड़ना है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सरकार स्वीकार करती है ये पुस्तकें पाकिस्तान में पढाई जाती हैं, सरकार स्वीकार करती है कि इन पुस्तकों को पढ़ाने से अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां बढती है। सरकार स्वीकार करतीहै किइसकी सूचनापहले मिल गईथी। सरकार यहभी स्वीकार करती है कि बिना परमिट के ये पुस्तकें हिन्दुस्तान में आई हैं। सरकार इस बात को भी स्वीकार करती है कि काफी अरसे से इस पर सरकार विचार कर रही है मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे मसलों पर सारे अधिकारी और मंत्री मंडल बैठ कर विचार करते हैं जब कि राष्ट्र के सामने इस प्रकार का संकट है। इस सदन के अन्दर मुख्य मंत्री जी कहते हैं और विरोधी सदस्यों से अपील करते हैं कि वे इस प्रकार की कार्यवाही न करें जिससे राष्ट्र के प्रति

Page No. 49

(श्री भैरोंसिंह)

अहित हो। मैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस घटना के बाद सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी इससे बडा निकम्मापन सरकार का नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बाकी चीजों के लिये हम आपका हुक्म मानने को तैयार हैं लेकिन एक बात के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, आप सरकार को आगाह कर दीजिये कि यदि सरकार इस प्रकार गैर जिम्मेदार तरीके से रुख लेकर चलेगी तो हमें सदन के द्वारा सरकार के सामने ऐसा संकट पैदा करना पडेगा जिससे दबकर इन बातों को स्वीकार करने के लिये सरकार मजबूर होगी। और बातों के लिये इवेजिव रिप्लाई देवें तो मैं समझ सकता हूं कि क्या हालत है और किस प्रकार की मजबूरियां हैं। लेकिन ऐसे गम्भीर मसले पर गैर जिम्मेदाराना रुख लेकर चलते हैं तो यह सरकार के लिये शोभा नहीं देता। मैं, सरकार, मंत्री मंडल के सदस्यों से और ट्रेजरी बेन्चेज से और उधर के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं किइस प्रश्नको जिम्मेदारी सेडीलकरने की आवश्यकता है। अगर गैर समझदार इसको डील करते हैं तो गैर समझदार को कुर्सी से उठा कर इधर बैठा दें। यह वाकई गम्भीर मुद्दा बन गया है जिसे ये हल नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष–श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो तथ्य अभी सरकार ने स्वीकार किये हैं उनमें यह बात साफ जाहिर हो गई है कि इस सरकार के द्वारा जो रक्षा के कदम उठाये जाने चाहिये थे वे सरकार ने नहीं उठाये हैं। इसलिए इस बुनियाद पर कि यह सीक्योरिटी का प्रश्न है, इस प्रश्न को हमें छोड देना चाहिए इस बात से यह सदन संतुष्ट नहीं हो सकता। यह बात अलग है कि इसे ओपन सेशन में इस वक्त डिस्कस नहीं किया जाय। लेकिन सरकार की इस बात में इतनी काम्प्लीसेंसी दिखती है कि इतने पूर्व इस बात के मालूम हो जाने के बावजूद कि अराष्ट्रीय बात हो रही है सरकार उस पर फौरन एक्शन नहीं ले सकी। हो सकता है कि बाद में कोर्ट या लीगल डिपार्टमेंट कहता तो रोज ऐसे मामले हो जाते हैं और रोजमर्रा रिट और अपीलें होती हैं। लेकिन हमारी सरकार ऐसे प्रश्न पर जिसमें राष्ट्रीय रक्षा का सवाल है, इतनी गारन्टीड होकर लीगल पाइन्ट पर गारन्टीड होकर एक्शन लेना चाहती है और महीने उस पर लगा देती है, लॉ डिपार्टमेंट की राय लेना चाहती है और फिर उसके बाद एक्शन लेना चाहती है। जब प्राइमा फेसी सरकार ने माना है कि किताबें ऐसी हैं जिनसे अराष्ट्रीय भावनायें फैलती हैं और किताबें इस तरीके से आई हैं जिसका कोई कानूनी पहलू नहीं है। मैं समझता हूं कि किताबें कायदे की होते हुए भी परमिट या और सिस्टम से आनी चाहिए। ऐसी हालत में जब होम डिपार्टमेंट मानता है कि कम से कम यह प्राइमा फेसी केस बनता है तो सर-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कार को एक्शन लेना चाहिए था और किताबों को पढ़ाने वालों के खिलाफ और किताबों को लाने वालों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिए थी। उसके बजाय सरकार इस तरीके से करती जा रही है, उससे हम सेटिसफाइड नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस तमाम प्रश्न को इस हाउस के सीक्रेट सेशन में डिस्कस किया जाय। इस बात को सरकार पर नहीं छोडना चाहीये क्योंकि हमें शक है कि यह सरकार केन्द्रीय सरकार को भी इन बातों की पूरी सूचना देती है या नहीं, क्योंकि इस सदन को भी इस सरकार ने अपने स्टेटमेंटों के द्वारा एडजोर्नमेंट मोशन्स के जवाब में अपने कान्फीडेन्स में नहीं लिया। इतने मौके आये होम डिपार्टमेन्ट की मांग पर बहस हुई, जनरल बहस हुई, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई-ये कई मौके आये जब सरकार इस सदन को कान्फीडेंस में लेती, कम से कम यह बताती कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही हैं। मुझे तो यह मालूम पड़ता है, स्थगन प्रस्ताव आने के बाद सरकार जागरुक हुई है और उसको जानकारी मिली है। ऐसी हालत में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इस सदन का एक सीक्रेट सेशन किया जाय। आज बोर्डर के प्रश्न पर एक तरफ सिक्योरिटी कौंसिल में इस प्रश्न को भेज कर भारत को ब्लेक मेल किया जा रहा है और देश पर जबर्दस्त दबाव दिया जा रहा है और दूसरी तरफ छुट-पुट हमले किये जा रहेहैं-ऐसी हालतमें हमको विशेष जानकारी होती है। हम केन्द्रीय सरकार के प्रति, प्रान्तीय सरकार के प्रति विश्वास रखते है लेकिन इस सवाल को सरकार पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए सरकार को सदन को कान्फीडेंस में लेना चाहिए और इसके लिए एक सीक्रेट सेशन बुलाया जाना चाहिए और सब तथ्य सदन में बताये जाने चाहिये। बहुत सी बातें हम भी ओपन सेशन में नहीं कह सकते हैं और उन्हें सीक्रेट सेशन में कहना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप इस बात पर गवर्नमेंट से आग्रह करके गवर्नमेंट को मजबूर करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था उसके जवाब में सरकार ने बताया कि सरकार ने जयपुर में सैकड़ों पुस्तकें जब्त की हैं जो सुरक्षा के सम्बन्ध मे अनडिजायरेबल हैं। मेरी समझ में नहीं आता, आपने या कोई अधिकारी ने कानून के तहत उस सम्बन्ध में वहां कोई कार्यवाही क्यों नहीं चलाई। आज डी. आई. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अधिकार दिये हुए हैं, वे क्या इस लिए दिये हुए हैं कि पालिटिकल पार्टीज के आदमियों को उठा कर जेल में डाल दें, क्यों नही उसके अन्तर्गत एक्शन लेते है। एन्टी-नेशनल कार्यवाही करनेवालों के खिलाफ आज एन्टी-नेशनल एलीमेंट राजस्थान में छाये हुएहैं और हमारी सरकार सोच रही हैकि क्या कार्यवाही सरकार कर सकती है। यह सरकार इस प्रकार अपनी कमजोरी जाहिर करके राजस्थान की सीमा की सुरक्षा कर सकेगी? सरकार कहती है हमारे पास अधिकार नहीं हैं। आपके पास जो डी. आई. आर. है उसे आप हिन्दुस्तान की रक्षा और राजस्थान की

Page No. 51

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रक्षा के लिए काम में नहीं ले सकते और राजनैतिक पार्टियों के खिलाफ, जो गेहूं का मूवमेंट चला, चीनी का मूवमेंट चला, डी. आई. आर. काम में ले सकती है और राजस्थान की सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा के सवाल में उसका उपयोग नहीं कर सकती। वह शर्म की बात है कि आप लॉ डिपार्टमेंट से इसका एग्जामिन अब्रतक नहीं करा पाये। आप समझते हैं, आप कानून के माहिर हैं। अधकचरे कानून के ज्ञान से काम नहीं चल सकता। आप कहते हैं कि सरकार जागरूक है। आपकी इस अलंकारिक भाषा से, रागात्मक भाषा से सदन का संतोष नहीं हो सकता। आप ठोस कदम उठायें तो संतोष हो सकता है और विश्वास कर सकते हैं। आप इसके लिए सीक्रेट सेशन करें, मुझे इसमें आपत्ति नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के गृहमन्त्री श्री नंदा ने कहा है कि देश में सिचुएशन इस प्रकार की है कि हमारी सीमाओं के देश, पाकिस्तान चीन से मिल कर या चीन पाकिस्तान से मिल कर हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक दंगे करवाना चाहता है और साम्प्रदायिक दंगे करवा कर जिस प्रकार काश्मीर के प्रश्न पर हिन्दुस्तान को बदनाम किया उसी प्रकार फिर से हिन्दुस्तान को बदनाम, हिन्दुस्तान की सरकार को बदनाम करना चाहते है। हम आपका विरोध करते हैं सिर्फ इसलिए कि हिन्दुस्तान की सरकार बदनाम नहीं हो। यह स्थिति पैदा नहीं हो। हम सरकार के साथ में हैं और सरकार के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश की रक्षा के लिए यह सरकार कोई भी कदम उठाये जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) : यह एक गम्भीर प्रश्न है जो बहस के दौरान में....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री, शिक्षा) : आप पहले बोल चुके हैं। आप दुबारा मौका ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बहस के तथ्यों पर नहीं जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : आप पहले बोल चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इश्तिहार हमारे बोर्डर्स पर बांटे गये, यह मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, उन में काफिर का नाम है, उनके द्वारा साम्प्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश की गई है। अध्यक्ष महोदय, यह बात पहली दफा नहीं हुई है। इसके पहले भी हुई है। आकासर में पाक नेशनल ने डाका डाला। उसके बाद से बोर्डर के ऊपर इस प्रकार के इश्तिहारों का वितरण हो रहा है, जिनसे साम्प्रदायिक भावना भड़के। इसके अतिरिक्त एक सवाल और है कि हमारे बच्चों के दिमागों में विष पैदा किया जा रहा है। सारे देश की स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की खुली इजाजत

Page No. 52

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो कि लोग इश्तिहार बांटें और पाकिस्तान के इश्तिहार बांटें जिनमें साम्प्रदायिक झगड़ा पैदा करने की भावना पैदा करने वाली बात हो, काफिर वाली बात हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन सरकार के साथ है, और जिस तरह का रवैय्या चल रहा है, जिस तरह से वह ब्लैकमैल करना चाहता है, प्रेसर डालना चाहता है, जिस तरह की टेक्टिक्स कर रहा है, हमारे माइन्ड्स को केप्चर करना चाहता है, बच्चों के माइन्ड्स को केप्चर करना चाहता है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि उसको तुरन्त सदन को कान्फीडेंस में लेते हुए कदम उठाना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा लॉ डिपार्टमेंट इस क्वेश्चन को एक साल से, डेढ़ साल से एग्जामिन कर रहा है और राय नहीं आ रही है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भेजी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सतीशचन्द्र जी कहते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट को रेफर नहीं हुआ है। लॉ डिपार्टमेंट को रेफर नहीं हुआ है और सदन को कहें कि लॉ डिपार्टमेंट जानकारी कर रहा है, अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर प्रश्न है। सदन को कहा जाय कि लॉ डिपार्टमेंट की राय जानी जा रही है और पिछले डेढ़ साल से एग्जामिन कर रहा है--लॉ डिपार्टमेंट के पास यह प्रश्न है या नहीं--मैं यह नहीं कहना चाहता हूं, मैं उप मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि गवर्नमेंट का यह एक्शन एक बार इल्लीगल भी हो तो सरकार को चाहिये यह था कि सदन के मिलने से पहले वह आर्डिनेन्स ले आती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी सरकार इन साम्प्रदायिक तत्वों को बढावा नहीं देना चाहती तो उसको चाहिए कि सदन में बिल पेश करे और दूसरे राष्ट्रोंकी टेक्स्टबुक्स,जो राज्य सरकार ने प्रेस्क्राइब नहीं की हैं उनको हिन्दुस्तान में पढ़ाया नहीं जा सके इसके लिए बिलपेश करे। अगर वह हाई कोर्ट में स्ट्राइक होगा तो उसको हम वेलीडेट करेंगे। और अगर उसमें पेचीदगियां आयेंगी तो भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि संविधान में संशोधन करे। इसको टालने की बात करें तो आज पाकिस्तान की किताबें पढ़ाई जाती हैं, कल चीन की किताबें पढ़ाई जायंगी और परसों रूस की पढ़ाई जायंगी--और इस प्रकार एक भयानक स्थिति पैदा हो जायगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट की राय का इन्तजार नहीं करना चाहिए। फौरन बिल पेश किया जाय। अगर वह गैर कानूनी होगा तो उसको रि-वेलीडेट करेंगे। उसके बाद भी गैर-कानूनी घोषित होगा तो संविधान में संशोधन कराने की प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक दिन भी हिन्दुस्तान में पाकिस्तान की टैक्स्ट बुकों को सदन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के संविधान के प्रति सरकार फेदफुल है, इसलिए इस चीज को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और समाप्त करना चाहिए और इस सम्बन्धित बिल सदन में पेश किया जाना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डी. आई. आर. में प्रॉविजन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सदस्यों ने जो इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला....

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसके सम्बन्ध में दो तथ्य निकलते है, एक तो जरनल लॉं के सम्बन्ध में कहा और दूसरा जो स्पेशल एमर्जेन्सी का कानून है उस प्रश्न पर कहा मैं पहले जानकारी कर चुका हूं और कहने के लिए तैयार हूं कि सीमा के क्षेत्र के प्रश्न पर हम सतर्क ही नहीं हैं बल्कि हमने सारे क्षेत्र को समझ रखा है।

(शोरगुल—'आपने कुछ नहीं समझा है' इत्यादि की आवाजें)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कुछ नहीं समझ पाये हैं आपको शर्म आनी चाहिए इसके लिये....

(शोरगुल एवं अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एन्टी सोशियल एलीमेंट वहां वर्क करते हैं उसके लिए.... .

श्री निरंजननाथ आचार्य : एन्टी सोशियल एलीमेंट हैं वे किस स्थिति में हैं, इसका भी हमें पूरा ध्यान है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने दो चार को डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था उनको भी छोड़ दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से जिनकी दोस्ती है....

श्री विजयसिंह झाला : इस प्रकार के नारे आप न लगावें और इस तरह से इस प्रश्न को न टालें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप पोलिटिकल नारे बाजी से इस प्रकार टालने की कोशिश कर रहे है वह न करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो शिक्षा दी जा रही है उस प्रश्न पर जो बातें कही गई उनके बारे में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से मैं इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी चिंता हमारे माननीय सदस्यों को है उससे ज्यादा हमको है।

("आपको कतई चिन्ता नहीं है" आदि आवाजें)

(शोरगुल)

इस पर जल्दी ही कुछ न कुछ किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती

(श्री भैरोंसिंह)

कि ऐसी निकम्मी सरकार से आपको त्याग-पत्र दे देना चाहिए और ऐसी निकम्मी सरकार भंग कर दी जाए। आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि वहां पर क्या हो रहा है और उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते जो वहां पर इस प्रकार की हरकतें करते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : आप जितनी गैर जिम्मेदारी से बात करते हैं उतनी गैर जिम्मेदारी से बोलते हैं। इस प्रकार की बातें आप करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डाके पड़ जावें और पाकिस्तान की किताबें पढ़ाई जावें और फिर भी आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री सदन की भावनाओं को उत्तेजित न करें और सदन का सहयोग लें और इस समस्या का कोई हल निकालें। इसको प्रेस न करके उसका क्या हल निकालें इस बात को छोड़ कर अन्य बात को भड़काने जैसी बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। जो सदन के सामने तथ्य आये वे बहुत गम्भीर हैं। मैं समझता हूं कि सदन में दोनों ओर बैठने वाले माननीय सदस्य इसकी गंभीरता को यहां महसूस करते हैं। प्रश्न यह आता है कि इस स्थिति में आगे क्या कार्यवाही की जावे इसके लिए सरकार द्वारा कहा गया कि आज वे इस स्थिति में नहीं हैं कि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जा सके। कानून की कमी है तो आगे सरकार की क्या मंशा है इस सम्बन्ध में मैं यह उपयुक्त समझता हूं कि होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर और सारे सम्बन्धित व्यक्ति इस पर विचार करें और सदन में जो मुद्दे उठाये गये हैं और जो माननीय सदस्यों की शंकायें हैं उनका निराकरण करने के लिए, माननीय सदस्यों की जो शंकाएं हैं उनके लिए तथ्य भी हैं, उन सबका एक संतोषजनक हल मिल सके इसके लिए मैं समझता हूं कि आज बहस न करके इस पर उपयुक्त समय पर बहस की जावे। सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके लिए वे जानकारी कर लें कि उनके पास क्या कानूनी अधिकार हैं और अगर वे ज्यादा अधिकार चाहते हैं तो उसके लिए क्या कार्यक्रम हो। जिससे सारी बातें अच्छी तरह से और व्यवस्थित ढंग से सदन में फिर लाई जायं और इसलिए इस सदन में इस समय इस पर चर्चा न होकर यह मसला यहीं समाप्त होना चाहिए। यह कहना कि कोई पार्टी या व्यक्ति जागरूक नहीं है, उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन में जो भी बहस होती है उसमें विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और सामान्य रूप से किया है। परिस्थिति इस तरह की थी, तो सरकार की ओर से गंभीरता से सजग होकर जिम्मेदारी से इस सारी समस्या पर विचार किया जाए और सरकार की जो भी कार्यवाही है और जो वहां बसते हैं उसके बारे में उनकी क्या योजना है और उसके बाद क्या करना है उस पर सोचा जाए।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय निर्धारित हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज वे स्थिति में नहीं है। इसके बारे में वे विचार करें और सरकार की सामान्य योजना है उसके बारे में अवगत करायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have placed the facts before the Speaker, Sir.

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा निवेदन किया कि फिर भी यह नीति सामान्य सुरक्षा की नहीं है जिससे सरकार जो कार्यवाही कर रही है वह नहीं बतावें। आज स्थिति केवल पाठ्य पुस्तकों से पैदा हुई है। इसमें सुरक्षा का प्रश्न नहीं है। इसलिये सरकार क्या कदम उठा रही है उनको सदन में रखने से रोकना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

कुछ विशेषाधिकार का प्रश्न है।

(१०.०६ म० पू०)

आय-व्ययक साहित्य माननीय सदस्यों को देने से पूर्व पत्र-प्रतिनिधियों को वितरित करने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक ६ मार्च, १६६४ को सदन के समक्ष वित्त मंत्री के भाषण के पहले ही दिल्ली में पत्र प्रतिनिधियों को बजट स्पीच तथा अन्य साहित्य वितरित करने के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री अग्रवाल ने अपनी सूचना में कहा है कि सदन को नये करों की प्रस्थापनाओं की जानकारी उस दिन के ६.३० बजे सायं से पहले नहीं थी और बजट सम्बन्धी साहित्य सदस्यों को करीब ७ बजे सायं वितरित किया गया था जब कि करों की सूचना और अन्य साहित्य दिल्ली में संचालक, जन सम्पर्क विभाग. द्वारा पत्रकारों को ६ बजे सायं से पहले ही दे दिया गया था। श्री अग्रवाल का तर्क यह है कि बजट प्रस्थापनायें पहले सदन में घोषित की जानी चाहिये और वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्थापनाओं का उनको सदन में प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकट करना सदन के विशेषाधिकार का हनन है।

मुझे जो सूचना दी गई है वह यह है कि जन सम्पर्क संचालक, ने पत्र प्रतिनिधियों को दिल्ली में ६ बजे के एक-दो मिनिट पहले ही बैठक बुलाई थी और उन्हें चाय पिलाने के बाद सील किये हुए बजट लिट्रेचर के पैकेट को खोला गया था। उनकी अलग अलग जांच करने के बाद और यह निश्चित करने के बाद कि प्रत्येक सैट में सभी तरह के डॉक्यूमेन्ट्स है, वे संवाददाताओं को दे दिये गये थे और इस सब में आधे घन्टे से कम समय नहीं लग सकता था।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, दिनांक ६ मार्च, १६६४ को सायंकालीन बैठक में, जो सायं ६ बजकर ४० मिनिट तक चली थी, राज्य का वार्षिक बजट १६६४-६५ प्रस्तुत किया गया था और वित्तमंत्री

(श्रीअध्यक्ष)

महोदय का भाषण और अन्य बजट साहित्य नोटिस ऑफिस में सदन की कार्यवाही स्थगित होने के तुरन्त पश्चात् बांटा गया था। अतः यह सम्भव है कि दिल्ली में पत्र-प्रतिनिधियों को बजट साहित्य माननीय सदस्यों से कुछ मिनट पहले ही प्राप्त हो गया हो। अब प्रश्न यह है कि बजट सम्बन्धी साहित्य अग्रिम में बांट देने से क्या कोई विशेषाधिकार का हनन होता है ? यह अब निश्चित हो चुका है कि बजट के लीकेज भी सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं है। इस विषय पर लोकसभा व अन्य राज्य विधान सभाओं तथा इस सदन में दिये गये निर्णय से भी उपरोक्त राय को पुष्टि होती है। अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इस सम्बन्ध में फिर भी, मैं यह बतलाना चाहूंगा कि इस वर्ष दिल्ली में पत्र प्रतिनिधियों को बजट साहित्य वितरित करने की जो व्यवस्था की गई, उससे माननीय सदस्यों को उक्त साहित्य उपलब्ध होने से पहले पत्र प्रतिनिधियों को प्राप्त होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह स्पष्टतया एक उपयुक्त चीज नहीं है। और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरह की व्यवस्था के बारे में पुनः विचार करेगी ताकि आयन्दा इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, बजट लीकेज माननीय मंत्री करें उसके लिये क्या व्यवस्था है और जिन्होंने बजट लीकेज किया उनको किस स्थिति पर पहुंचना पड़ा।

श्री अध्यक्ष : इस्तीफा देना पड़ा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या ये भी इस्तीफा देने का विचार रखते हैं ?

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि बजट की प्रतिलिपियों और दूसरा लिट्रेचर दिल्ली में ६ बजे पत्र-प्रतिनिधियों में बांटा गया या नहीं ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि पत्र-प्रतिनिधियों को बजट वगैरह और दूसरा सारा लिट्रेचर उस समय मिला जब कि यहां पर वित्त मंत्री का भाषण हो रहा था। और मेरा यही प्रश्न है कि दिल्ली में बजट वित्त मंत्रीजी के भाषण समाप्त होने से पहले पत्र-प्रतिनिधियों को मिल गया था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ये प्रतिलिपियां पहले ही मिल चुकी थी और इसका प्रमाण यह है कि जो स्पीच बजट पर दी उसका रिहर्सल हुआ और उसमें एक घन्टा लगा। वह ५ बजे प्रारंभ हुआ और एक घन्टे में समाप्त हुआ। मगर यहां पर रिहर्सल के अनुसार एक घन्टा ही नहीं लगा, मगर रिहर्सल के अनुसार वह भाषण जो ६ बजे समाप्त हो जाना चाहिये था उसके अनुसार दिल्ली में ठीक ६ बजे वहां पर सारे प्रतिनिधियों को बजट की प्रतिलिपियें दे दी गई। लेकिन यहां पर समय अधिक लग गया क्योंकि धीरे धीरे माननीय मंत्री बोल रहे थे और एक घन्टे के बजाय १ घन्टा और ४० मिनट लग गये। अतः ४० मिनट

(श्री मुरलीधर व्यास)

ज्यादा लग गये। इससे यह साफ है कि ४० मिनट पहले दे दी गई। जहां तक पहले देने का सवाल है वह ४० मिनिट पहले योजनाबद्ध तरीके से दिया गया। यह तो स्पष्ट है।

अब प्रश्न आगे का है। जहां तक व्यवस्था का सवाल है वह दे दी गई है वह ठीक है, परन्तु जिस प्रकार दूसरी जगहों पर वित्त मन्त्री के द्वारा लीकेज हुआ है तो उन्होंने त्याग पत्र दिया है, इसलिए उस अच्छी परम्परा को निभाने के लिए हम भी मांग करते हैं कि वित्त मन्त्री को एक दफा तो इस मुद्दे पर त्याग-पत्र देना ही चाहिए। मैं समझता हूं कि बड़ी योजनाबद्ध तरीके से सारा काम हुआ था, हवाई जहाज से सरकार ने आदमी भेजा था, इतना खर्चा किया तो मैं चाहता हूं कि वहां बजट हम लोगों से पहले ही दे दिया गया है, इसलिए इस सम्बन्ध में आपकी योग्य व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न मेरे सामने गम्भीर रूप में आता है, मैं आपके द्वारा ही निर्णय कराना चाहता हूं। आपने भी स्वीकार कर लिया कि बजट की प्रतियां माननीय वित्त मन्त्रीजी के बजट भाषण से पहले ही पत्र प्रतिनिधियों को मिली हैं। ६.४० पर उनका बजट भाषण समाप्त हुआ है, अन्त में जाकर टैक्सेज़ के प्रोप्रोजल्स दिये हैं। बजट में टैक्सेज़ की सीक्रेसी मेन्टेन करने में कारण यह है कि टैक्सेज़ के प्रोपोजल्स का किसी कारण से लीकेज हो जाय तो जिनको टैक्स देना है, वे लोग उन टैक्सेज़ से बच सकते हैं और इसका भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के दोनों के ही अर्थतन्त्र पर असर पड़ सकता है। इसलिए टैक्सेज के मामले में इधर बजट भाषण दें और उधर उस तरफ साइमलटेनियसली टैक्स लगें, इस प्रकार के प्रिकॉशन्स लिये जाते रहे हैं और हमेशा लिए जाने चाहिए। तो मैं वित्त मन्त्रीजी को पूछना चाहूंगा कि क्या डाइरेक्टर, पब्लिसिटी विभाग, क्या फाइनेन्स विभाग का पार्ट एण्ड पार्सल है, जो उनको पहले ही बजट की प्रतियां दे दी गईं? यह एक बड़ा अहम् प्रश्न है, इसका जवाब दें। दूसरा प्रश्न यह आता है कि उनका बजट भाषण समाप्त होने से पहले ही बजट भाषण की प्रतियां प्रेस वालों को मिल गईं तो क्या यह बजट लीकेज नहीं है? विशेषाधिकार का प्रश्न न बनता हो, पर बजट का लीकेज तो है। आपने फरमाया कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य सदन में प्रस्ताव रखेंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है, पर आपकी रूलिंग से यह स्पस्ट होना चाहिए कि बजट लीकेज हुआ है या नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है उसको मैं देख लूं और वाकई उस व्यवस्था में यह है कि लीकेज़ हुआ है तो…

अनेक माननीय सदस्य : त्याग पत्र दे दूं….

श्री बालकृष्ण कौल : आप सुन लीजिये। जो व्यवस्था हुई है उसको मैं पहले पढ़ लूं और देख लूं, उसमें अगर यह

(श्री बालकृष्ण कौल)

है कि बजट की प्रतियां पहले बंट गई हैं और लीकेज़ हुआ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह तो है सब व्यवस्था में ।

श्री बालकृष्ण कौल : मै पढ़ कर देखूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने व्यवस्था दो है उस संबन्ध में माननीय वित मंत्री जी ने यह कहा है कि उस व्यवस्था में वजट लीकेज़ हुआ तो वे इस्तीफा दे देंगे ।

इस बात की सम्भावना पैदा हुई कि माननीय सदस्यों के सामने बजट स्पीच अपने से पहले ही प्रेस प्रतिनिधियों को मिल गई । इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष आपने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन्स नहीं दिये हैं कि इतने बजे वजट स्पीच की प्रतियां प्रेस-प्रतिनिधियों में बांट दी गईं और तब तक बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री नहीं पढ़ पाये थे । आपने अपने ऑब्जर्वेशन्स में सिर्फ बजट लीकेज़ की सम्भावना की तरफ संकेत किया है । दस-बीस प्रेस प्रतिनिधियों के समक्ष जब बजट भाषण की प्रतियों के पुलिन्दे की सील खोली गई और उनमें ये प्रतियां, सदन में इन प्रतियों के बांटने से पहले ही, वितरित कर दी गईं तो यह स्पष्ट रूप से लीगल एन्क्वायरी का प्रश्न है । अतः मैं निवेदन करूंगा कि आपकी व्यवस्था में बजट के लीकेज़ की ओर स्पष्ट संकेत किये हुये हैं तो इसकी लीगल इन्क्वायरी की व्यवस्था करें और उस इन्क्वायरी से डेफिनिट तौर पर यदि यह पाया जाय कि बजट का लीकेज़ हुआ है तो फिर वित्त मंत्री ब्रिटेन की परम्परा का पालन करेंगे, जैसा कि आपने अभी स्वीकार किया है ।

आपके द्वारा ऑब्जर्वेशन में बजट लीकेज की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है, इसलिये आपके द्वारा इसकी लीगल एन्क्वायरी कराई जानी चाहिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बात कही कि यदि बजट लीकेज़ हुआ है तो त्याग-पत्र दे देंगे । आपने अपनी व्यवस्था के अन्तर्गत कहा है कि लीकेज हुआ है····

श्री अध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा कि लीकेज हुआ है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने नहीं कहा है तो मेरी अर्ज है कि आप जिस प्रकार की बात कह रहे हैं, जब तक पूरा स्पष्टीकरण नहीं कर दें इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सकेगा । वे कहते हैं कि यदि आपकी रूलिंग से यह पाया गया कि लीकेज हुआ है तो वे इस्तीफा दे देंगे, तो हम यह चाहते हैं कि जो कुछ वक्तव्य देना है अभी दे दें कि यह बजट यहां पर इतने बजे सदन के माननीय सदस्यों को दिया गया और दिल्ली में प्रेस प्रतिनिधियों को इतने बजे दिया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न केवल टैक्निकल परम्पराओं का नहीं, बल्कि

(रामानन्द अग्रवाल)

वास्तव में इस राज्य को आर्थिक हानि और लाभ का भी है। यह सही है कि आपने अभी व्यवस्था दी है, इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय नहीं दिया है कि लीकेज हुआ या नहीं, परन्तु जो फैक्ट्स सामने आये हैं उनसे यह बात सिद्ध हो गई है कि जो प्रोग्राम वित्त मन्त्री महोदय ने बनाया बजट प्रतियां दिल्ली में देने का, उससे पूरी सम्भावना हो गई कि वे प्रतिलिपियां पत्र-प्रतिनिधियों को बजट स्पीच खत्म होने से पहले मिल गईं। बजट के आखिर में टैक्स प्रोपोज़ल्स थे, ट्रैक्टरों के टायर और ट्यूब्स पर टैक्सेज के प्रोपोजल्स थे, इन पर २ पर्सेंट से ६ पर्सेंट सेल्स टैक्स किया, यह सभी को जानकारी है कि बजट के जो भी परिणाम होंगे, उसके प्रति बिजनैस कॉम्युनियटी बहुत जागरूक रहती है और वह उस वक्त अपना पूरा इन्तजाम रखती है कि पूरी की पूरी करेक्ट इन्फोर्मेशन जल्दी से जल्दी मिले जिससे कि वे बिज़नैस कर सकें और टैक्सेज़ से बच सकें। इस प्रकार की जानकारी दिल्ली में बजट भाषण से पहले ही बिज़नैस कॉम्युनियटी को हो जाय कि इन इन चीजों पर सेल्स टैक्स २ पर्सेंट से ६ पर्सेन्ट होने वाला है तो वे निश्चित रूप से अपनी खरीद फरोख्त करके इस राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं या अनुचित लाभ वे लोग दूसरी जनता के मुकाबले में ले सकते हैं, जैसे भी सर्कम्स्टान्सेज हों। तो मैं समझता हूं कि यह बजट का लीकेज है और आप इस सम्बन्ध में स्पष्ट अपनी व्यवस्था अवश्य देंगे। यदि आपकी यह भी रूलिंग हो कि लीकेज होने के बाद भी इस सदन के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता तो जैसा अभी वित्त मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि विशेषाधिकारों का हनन नहीं होने के बाद भी यदि बजट का लीकेज हुआ है तो वे परम्पराओं के अनुसार इस्तीफा दे देंगे, तो आप इन सारी अवस्थाओं पर विचार करके अपना निर्णय दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में आपने अभी व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के दौरान में माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि अगर बजट लीकेज होगा तो वह इस्तीफा देंगे, इससे सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, कम से कम मैं नहीं समझ सका। इसलिए मैं केवल एक प्रश्न का, जो कि मैं आपकी व्यवस्था के बाद में समझ सका हूं, उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा। अभी माननीय भैरोंसिंह जी ने स्पष्टीकरण पूछा था कि माननीय सदस्यों को वित्तमन्त्री के भाषण की जो प्रतिलिपि वितरित की गई ६.४० मिनट पर उससे पूर्व उनके भाषण की प्रतिलिपि पत्रकारों को दिल्ली में भेज दी गई। इस संबंध में जवाब दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दें। यह स्थिति सरकार का जो जवाब आया है उससे बनती है या नहीं। इसके क्या लीगल इम्प्लीकेशन्स होंगे उस पर हम बाद में विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र ने जब इस बात की सूचना दी तो उस सम्बन्ध में मुझे पहले निर्णय यह करना था कि विशेषाधिकार का हनन होता

(श्री अध्यक्ष)

हैं या नहीं और जो तथ्य सरकार की ओर से यहां बताए गए उनके आधार पर यह निर्णय किया गया है उससे कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है। अगर लीकेज मान लिया जाय तो भी विशेषाधिकार का हनन नहीं होता है। इसलिए इस पर जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिस तरह से माननीय सदस्य जांच करना चाहते हैं नियमों में उसके लिए आवश्यक नही था कि इस तरह की जांच की जाय और न आवश्यक है। सदन के सामने इतनी बातें आती हैं और जांच करना शुरू किया, तो फिर प्रश्न आएगा कि बजट लीकेज की टैक्निकैलिटीज क्या हैं। इसलिए मेरा कहना यह था कि जो व्यवस्था इस वर्ष की गई, बजट के वितरण की दिल्ली में उससे ऐसी संभावना है कि माननीय सदस्यों को मिलने से पहले पत्र प्रतिनिधियों को बजट का साहित्य मिल सकता है और इस साल भी ऐसा संभव है। यह इसलिए मैंने कहा कि भविष्य में जो यह प्रोसीजर इस साल अपनाया गया है उसके ऊपर मुझे विचार व्यक्त करने को थे, इसलिए मैंने कहा। अगर यह नहीं कहता तो आवश्यक नहीं था, फिर भी मेरे खयाल से जो व्यवस्था की गई वह अनुचित है, उपयुक्त नहीं है, इसलिये उपयुक्त नहीं कि इसके अन्तर्गत माननीय सदस्यों को साहित्य मिलने से पूर्व अन्य व्यक्तियों को मिल सकता है। इसलिये जिस तरह की जांच के लिये माननीय सदस्य कहते हैं, मैं समझता हूं कि नियमों के अन्तर्गत इस तरह की जांच करना सम्भव नहीं है और न इस तरहकी जांच की गई। जहां तक सामान्य प्रक्रिया का सवाल था मेरे जो भी ऑब्जर्वेशन्स हैं, मैंने दे दिए हैं और मैं समझता हूं इससे ज्यादा इस समय विवाद करना उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्तमंत्री महोदय कम से कम इतना तो स्पष्टीकरण कर दें कि वहां पर दिल्ली में पत्रकारों को साहित्य कब वितरीत किया गया, वह किस समय पर वितरीत किया गया, यह तो कम से कम कहें। सरकार को क्या कहना है ? मैं आपसे सहमत हूं कि आप इस तरह की जांच नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सरकार की ओर से कोई जवाब तो आए। एग्जेक्ट टाइम बताया जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : जब मैंने डिपार्टमेन्ट से इन्क्वायरी की उस वक्त मैंने यह भी जानने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या भेद है। मेरे जानने का नतीजा यह निकला कि यहां से जितने बजट प्रपोजल्स थे, मेरी स्पीच थी दिल्ली भेज दिए गए थे फाइनेंस डिपार्टमेन्ट के आदमी के साथ और वहां पर डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ने एक प्रेस कॉन्फरेन्स बुलाई थी करीब ६ बजे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६ बजे या साढ़े छः बजे ?

श्री बालकृष्ण कौल : ६ बजे लोगों का आना शुरू हुआ। जब सब लोग आ गए तो उसके बाद वहां टी पार्टी भी थी। टी सर्व की गई और जब टी खत्म हुई, तब फाइनेन्स डिपार्टमेंट का जो आदमी था उसने वह जो सील्ड कवर था उसको खोलकर वहां

(बालकृष्ण कौल)

जो प्रेस कोरस्पोंडेंट्स थे उनको वितरित किया। उसका कहना यह है कि यह साढ़े छ: के बाद हुआ और इसकी मैंने तस्दीक करनी चाही कि यह बात ठीक है या गलत, क्योंकि एक माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस तरफ खींचा कि यह गलत है यह कह कर कि पी० टी० आई० के पास यहां जो मेसेज आया है वह ६ बजे आया है। फिर मैंने जब पी० टी० आई० का मेसेज देखा तो वह दिल्ली से ७ बजकर दो मिनट पर ट्रांस्मिट हुआ है। यह तो वाकयात हैं। इन वाकयात को देखते हुए यह कहना कि वहां ६ बजे मेरी स्पीच वितरित की गई और साथ ही इस बात का जोर देना कि वहां जो वितरित हुई वह माननीय सदस्यों को जब कॉपियां मिलीं उससे पहले मिली, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं। जिस वक्त मैंने स्पीच पढ़ी उनको मिली या न मिली, उस वक्त पढ़ने के दौरान में ये सब चीजें जाहिर हो गईं कि क्या क्या बजट प्रापेज़ल्स हैं, क्या क्या टैक्सेशन प्रोपोजल्स हैं, जब इनको मालूम हो गया और फिर यदि स्पीच बाहर चली जाय तो मैं समझता हूं कि कोई लीकेज नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपकी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था से जाहिर हो कि बजट लीकेज हुआ है तो आपकी व्यवस्था को मानते हुए मेरा फर्ज है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी जो तथ्य रखे हैं इन तथ्यों की जानकारी जबानी की है या इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के बाद रिकॉर्ड पर राइटिंग में सारी चीजें आई हैं। मामला बहुत गम्भीर है। इसमें एक मन्त्री महोदय के त्यागपत्र और उसके राजनैतिक जीवन का सवाल है। इसलिए आप सदन को पूरी जानकारी दें। आपने इस सम्बन्ध में कहा कि डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ने आपको यह जानकारी दी है। मैं एक डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स की बात नहीं कहता। आपने फाइनेंस डिपॉर्टमेंट का कोई स्टेटमेंट रेकार्ड किया है? जहां तक डाइरेक्टर का सवाल है उसके लिए पी० ए० सी० का सर्टिफिकेट मौजूद है कि शपथ लेने के बाद भी वह झूंठ बोल सकते हैं इसलिए मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या स्टेटमेंट है? और अध्यक्ष महोदय जब आप चेम्बर में पधारेंगे और आप यदि चाहेंगे तो जो आदमी वहां मौजूद था उसको उपस्थित कर सकता हूं। दिल्ली के राजस्थान हाउस के अंदर डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ने बजट के सारे प्रोपोजल्स बजट का भाषण, ६ बजने में दो मिनट थे लोगों ने कहा कि हमें बिठा दिया था। जब ६ बजे, घंटा लगा, ठीक ६ बजे सारे बजट प्रपोज़ल्स, टैक्सेशन प्रोप्रोज़ल्स की सामग्री, पत्रकारों में बांटी गई और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बारे में मुझे निश्चित जानकारी मिली है। कहते हैं कि ७.२ पर पी० टी० आइ० ने ट्रांस्मिट किया। आप अनुमान लगाएं यदि साढ़े छ: के बाद ६.४० पर हाऊस खत्म हुआ, साढ़े ६ के बाद राजस्थान हाऊस (दिल्ली) पर लोगों को बजट प्रोप्रोज़ल्स मिलते, बजट भाषण मिला, सामग्री मिली, फिर वहां से उठकर दो मिनट चार मिनट डाइरेक्टर साहब से बातचीत की, कार

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

में बैठे या टैक्सीज़ पकड़ी और दफ्तर आए और उसके बाद पी० टी० आइ० से मैसेज ट्रांस्मिट करेगा। या कोई हैलीकोप्टर था जो ५ मिनट में पहुंच गया। उसके बाद आपने जांच की है कि राजस्थान हाऊस में कौन मौजूद थे। आपने किसी का स्टेटमेंट रेकार्ड किया है? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं यह आपका कन्फेशन कि ७.२ पर वहां से पी० टी० आइ० की न्यूज़ ट्रांस्मिट हुई है, आपका भाषण इस सदन में ६.४० पर समाप्त हुआ है, इस सारे समय में, २२ मिनट के समय में, कहां राजस्थान हाऊस में न्यूज ट्रांस्मिट किए गए। आप इन्क्वायरी करें। यह प्राइमा फेसी सदन के सामने साबित हो गया है कि वहां पर बजट प्रोप्रोजल्स और आपका भाषण और टैक्सेशन प्रोप्रोज़ल्स ६ बजे वितरित किए गए, साढ़े ६ बजे से पहले वितरित किए गए। मैं समझता हूं कि इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है। आप इस्तीफा दे जाइए। फोटो खींचने वाले गए थे, आपकी भी फोटो खींची गई थी। आप इस्तीफा देकर अजमेर तशरीफ ले जाइए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। माननीय वित्त मंत्री यह बता दें कि आपने अपने फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के आदमी और डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स इन दोनों को दिल्ली में कितने बजे वह सामग्री पत्र प्रतिनिधियों को देने के आदेश दिये थे?

श्री बालकृष्ण कौल : ६॥ बजे के बाद।

श्री भैरोंसिंह : जो भी बजट घोषणा है उसको उन्होंने ६॥ बजे डिस्ट्रिब्यूट करना शुरू कर दिया?

श्री बालकृष्ण कौल : बता नहीं सकता।

श्री भैरोंसिंह : तो लीकेज हुआ है।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा जो भाषण था वह करीब ६॥ बजे समाप्त हुआ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ६.४० बजे समाप्त हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो तथ्य माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताये हैं और जो आपने दिये हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि फाइनेन्स का कोई आदमी नहीं था और डाइरेक्टर आफ पब्लिक रिलेशन्स के मि० राघवन लेकर खुद गये थे?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझ से अभी यह उम्मीद न की जाय कि कौन सेक्शन क्लर्क गया था, मैं पता करके बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको यह जानकारी नहीं है कि कोई फाइनेन्स डिपार्टमेंट का आदमी गया था? कोई नहीं गया।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरी यह इन्फोर्मेशन है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट का आदमी साथ था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह साफ जाहिर हो जाता है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो ऑर्डर ६।। बजे वितरित करने के बारे में दिया गया है, मैं चाहूंगा कि उस ऑर्डर को जब्त किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय को यह मालुम नहीं है कि वित्त मंत्रालय का कौन अफसर वहां गया था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो इस बात की जानकारी की है कि वहां पर वित्त मंत्रालय की ओर से इतने समय पर बांटा गया इसकी जानकारी संतोषपूर्ण नहीं है। जो वहां पर गये थे उन्होंने अगर वित्त मंत्री महोदय ने इसकी जानकारी की होती कि दिल्ली में इतनी बजे सील तोड़ी और इतनी बजे यह बांटी गई तो नेचुरली यह फैक्ट उनकी नोलेज में होना चाहिए था कि अमुक अफसर कौन था। इस तथ्य को स्वीकार करने से यह बात साफ जाहिर है कि वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को कोई जानकारी नहीं की है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात भी भ्रमपूर्ण है। वित्त मंत्री महोदय की जो चीज़ वह यहां बताते हैं यकीन करने लायक नहीं है, जो स्टेटमेन्ट अभी आपने दिया वास्तव में यकीन करने लायक नहीं है, जिस संजीदगी से वित्त मंत्री महोदय को जानकारी स्वयं करनी चाहिए थी, जो अफसर गया उसकी पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी थी, उसको बचाने के लिए वे यह चाहते हैं इसलिए जो जानकारी अभी उन्होंने दी वह संज़ीदगी से नहीं दी और जो तथ्य उन्होंने रखे हैं और अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो तथ्य आये हैं उनसे भी असंगति है क्योंकि आपने अपनी व्यवस्था में इस बात को साफ कहा है कि जिस तरीके से वहां पर बांटी गई है, यहां पर ६.४० बजे बजट स्पीच समाप्त हुई और उनको चाय पार्टी पर ६ बजे बुलाया गया, इस समय के बीच उनको वह वितरित कर दी गई, यह तथ्यपूर्ण है या नहीं, आप यह कहते हैं कि यह सम्भव भी नहीं है। तो मैं समझता हूं, इन दोनों बातों में भी असंगति है, इसलिए वित्त मंत्री महोदय डेफिनिट तौर पर इस बात को नहीं एस्टेब्लिश कर सके हैं कि यह जो बजट स्पीच है वह उनको ६.४० बजे बाद ही दी गई है और जो तथ्य सामने आये हैं जो माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी ने कहा है, मुझे भी पर्सनल जानकारी है और पत्रकारों से मिला हूं, डेफिनिट कहा है कि उन्हें ६ बजे ये चीजें मिल गई थीं। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं यह लीकेज की बात बिल्कुल साबित हो जाती है और वित्त मंत्री महोदय वास्तव में उन परम्पराओं को कायम रखना चाहते हैं तो अपने कहने के अनुसार इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री मानिक चन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने कम्पलीटली आपको यह सब्मिट कर दिया है कि आप अगर यह फाइन्डिग दें कि बजट लीकेज हो गया है तो वे इ्स्तीफा पेश कर देंगे। हमें वित्त मंत्रीजी से हमदर्दी है। पुराने वित्त मंत्रियों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं और काबिल भी हैं, पर यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्रश्न व्यवस्था का है। आपके सामने यह प्रश्न आया है कि बजट लीकेज की सम्भावना हो सकती है। ७.२ बजे दिल्ली में पी० टी० आइ० से ट्रान्स्मिट हुआ, हाउस में ६.४० बजे बजट स्पीच समाप्त हुई, २० मिनिट में ही बजट की प्रति पी० टी० आइ० को मिल गई और ...

श्री बालकृष्ण कौल : इतना और बता दूं कि सिनोप्सिज के साथ दिया गया।

श्री मानिकचंद सुराणा : आपने सिनोप्सिज दिये होंगे और आपकी स्पीच ६.४१ पर भी पत्र प्रतिनिधियों को दी गई तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारा व्यक्तिगत कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है कि वित्त मन्त्री इस्तीफा दें, लेकिन सवाल सिद्धान्त का है और व्यवस्था का है, ६ बजे प्रेस प्रतिनिधियों को चाय पर बुलाया गया। प्रेस प्रतिनिधि समाचार जानने को इतने उत्सुक होते हैं कि उनको उस चाय वगैरह का उस समय कोई ख्याल नहीं होता, उन्होंने फोरन पेकेट मांगा और डी. पी. आर. ने दे दिया, उन्होंने चाय की चुस्की नहीं ली होगी कि आपकी स्पीच और सिनोप्सिज़ को पहले पढ़ा होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्ट्रर महोदय ने भी आपको सब्मिट किया हुआ है और अपोजिशन की भी राय है और उनको आप पर पूरा भरोसा है, आप इस विषय में इन्क्वायरी कन्डक्ट करें। पी० टी० आई० की एविडेन्स ली जाय, टाइम्स ऑफ इन्डिया और जितने भी पत्रों के पत्रकार वहां मौजूद थे, हिन्दी के भी मौजूद थे, उर्दू के भी मौजूद थे, उन सब की विटनेस ली जाय और उनकी एविडेन्स से यह साबित हो जाय कि उनको यह बजट भाषण ६.४० बजे के बाद बांटा गया है और यहां आपकी यह फाइन्डिंग हो कि ६.४० बजे के पहले बांट दिया गया, जैसा आप कहते हैं कि ६.३० बांटा गया, और ६.३१ पर भी यदि यह बांटा गया है तो टेक्निकली यह बजट लीकेज है और इसकी सम्भावना हो जाती है। इसलिए इसकी इन्क्वायरी नहीं कराना उचित नहीं होगा और जब दोनों पक्ष सब्मिट करते हैं तो आप उस इन्क्वायरी को कन्डक्ट करें और विधान सभा का अधिवेशन १० अप्रेल तक समाप्त होने वाला है उससे पहले आप सदन में घोषणा कर सकते हैं, जो भी उसका नतीजा निकाले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, दो तथ्य सामने आये हैं। एक तो फाइनेन्स मिनिस्टर ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने इस बात की जानकारी की कि बजट लीकेज़ हुआ है, और उनकी जानकारी में यह सूचना मिली है कि ७.२ बजे पी० टी० आई० से ट्रांस्मिशन हुआ है और ६.३० बजे बाद बजट भाषण वितरित हुआ है। जब फाइन्स मिनिस्टर से यह पूछा जाता है कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट का कौनसा आदमी गया तो वे इन्कार करते है और यह स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इन्क्वायरी की। तो उन्होंने उस आदमी से बातचीत की होगी और जानकारी की होगी और इतने जल्दी वे उस आदमी का नाम भूल जांय यह बात समझ में नहीं आती।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दूसरा वित्त मन्त्री का यह कहना कि ६.४० पर वितरण हुआ और ७.२ पर ब्रॉडकास्ट हो गया मेरे खयाल में तो दुनियां में कहीं ऐसा रेकार्ड नहीं है, दुनियां के रेकॉर्ड को मात कर दिया और हिस्ट्री में एक मिसाल क्रियेट कर दी है कि प्रेस को वितरण किया, पत्र प्रतिनिधियों ने चाय की चुस्की ली या नहीं प्रेस नोट बनाया, ट्रान्स्मिशन के लिए दिया, वहां गये, टेलीग्राम दे दिया, और ७.२ बजे वह दिल्ली में ट्रान्समिट हो गया। वित्त मन्त्री इस्तीफा दें या न दें, उस व्यक्ति को गोल्ड मेडल जरूर दे दें।

श्री बालकृष्ण कौल : टेलीप्रिन्टर से गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, प्राइमाफेसी आपको भी इसमें पूरी शंका है। आपने भी इसको प्राइमाफेसी स्वीकार किया है कि बजट लीकेज की सम्भावना है और जितनी दलीलें टाइम के सम्बन्ध में आ रही हैं वे इस ओर आपको ले जाती है कि बजट का लीकेज हुआ है। चाय पार्टी अरेन्ज की गई स्पेशली। दिल्ली आदमी गये। आखिर वित्त मन्त्री इतने बेकरार थे कि इतनी जल्दी पब्लिसिटी हो जाय?

पब्लिसिटी चार-पांच घंटे पीछे हो सकती थी। ये संभावनायें पैदा ही क्यों की जिससे बजट लीकेज की संभावना पैदा हो सकी। आप स्पेशल प्लेन से चाहे किसी आदमी को भेजें, चाहे रेगुलर प्लेन से भेजें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट या पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर डिस्टिब्यूट करता है वह, मंत्री महोदय पीछे भी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते थे। उसमें दिक्कत क्या थी। आपका बजट लीकेज हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं सकती हो। आप भी गौरवान्वित होइये इस्तीफा देकर जिसप्रकार ब्रिटिश सरकार में हुआ है। आपका नाम भी अमर हो जायगा वरना लोग भूल जायेंगे।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें एक बात और रह गई, अध्यक्ष महोदय। इस इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेन्ट के साथ सिनेप्सिस बनाकर भी डिस्टीब्यूट की गई। वह सिनोप्सिस फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने बनायी या डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर ने बनायी। इसका मतलब यह हुआ जयपुर में ही सिनेप्सिस बनाकर दे दी गई। अच्छा तो यह हो कि उस सिनेप्सिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय। अगर सिनेप्सिस फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट द्वारा नहीं बनायी गई है तो दुनिया की कोई ताकत यह साबित नहीं कर सकती कि इसका लीकेज नहीं हुआ है....

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, यह जो शंका पैदा हुई कि सिनेप्सिस डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स ने बनाये, मैं निवेदन करना चाहता हूं सिनेप्सिस फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने ही बनाये हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसकी कापी आप सदन की मेज पर रख दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह सिनेप्सिस भी उसी के साथ गया था ?

श्री बालकृष्ण कौल : हमारा क्लर्क साथ था, डी. पी. आर. का आदमी था।

श्री माणिकचंद सुराणा : आपके यहां का क्लर्क था ऑफिसर तो था नहीं।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : वह क्लर्क डी० पी० आर० के साथ गया था ?

श्री बालकृष्ण कौल : क्लर्क गया था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह एक विशेष प्रकार का प्रश्न सामने आया है। इस बारे में इस सदन में आपकी तरफ से कई बार आदेश हुए हैं, व्यवस्थायें हुई हैं। यह बजट का लीकेज़ यह पहली बार ही हुआ हो, यह बात नहीं, लगातार दो सालों से तो यही नजर आ रहा है। जो बात चल रही है उसकी जांच होना निहायत आवश्यक है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कोई फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की एजेन्सी नहीं है। उसको यह चीज़ किस वक्त दी गई। पहले भी व्यवस्था हो चुकी है, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इसकी एजेन्सी हो सकती है।

दूसरा, प्रश्न यह है कि यह निश्चित बात है कि बजट प्रोपोजल्स उनके हाथ में दे दी गई ठीक छः बजे। वह किस कारण दिये ? इन तथ्यों से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि ये छः बजे दिये गये। उस समय सब जगह के अखबार वाले थे। यहां के पेपर वाले भी थे और उसी रोज यहां से सायंकाल निकलने वाले पत्र में छाप दिये गये। इससे हमारे एक्सचेकर पर क्या असर होता है, यह भी देखने की बात है। रबर टायर आदि पर जो टैक्स बढ़ाया गया उससे दिल्ली वालों को जहां से ये चीजें आती हैं उन को फायदा हो गया। इसके अलावा बुलियन मार्केट वालों ने भी इससे फायदा उठाया। इस प्रकार की सीक्रेसी मेन्टेन न होने से एक्सचेकर को नुकसान हुआ है इस बारे में जांच होना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सदन में आपके द्वारा आदेश-निर्देश होते रहते हैं उनको सरकार लैथर्जी में लेती है और वह एक प्रकार की आदी हो गई है। इस मामले में निश्चित रूप से जो आशंका है उमका स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह कार्यवाही किस के आदेश मे हुई, इसमें सरकार का कितना हाथ है, एडमिनिस्ट्रेशन का कितना हाथ इसमें है, इन सब बातों की जांच होना बहुत आवश्यक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब आप इस बात के लिये जांच का निर्देश दें, कुछ तथ्य और भी ऐसे हैं जिनका समावेश भी उसमें होना आवश्यक है। हमारी सूचना है कि इसका लीकेज़ न केवल वहीं पर हुआ है बल्कि यह जो बजट स्पीच तैयार की गई है, बजट स्पीच मंत्री महोदय ने तैयार नहीं की, बल्कि उनको प्राइवेट सेक्रेटरी, श्री वार्ष्णेयजी हैं उनके यहां तैयार हुई है। अगर यह बात सही नहीं है तो वित्त मंत्री महोदय बता दें तो हम उसको मान लेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : Where is the leakage ? टाइपिस्ट ने टाइप की है वह भी लीकेज़ है क्या ?

Page No. 67

श्री रामानन्द अग्रवाल : बजट स्पीच उनके द्वारा तैयार की गई या नहीं, यह तथ्य है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : I am not prepared to say anything on the floor of the House.

श्री मुरलीधर व्यास : त्यागपत्र देंगे या नहीं देंगे, यह बात दूसरी है लेकिन इतना जरूर है कि बजट जैसी सीक्रेट चीज को लेकर एक क्लर्क को भेजना उपयुक्त नहीं है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के विश्वस्त अधिकारी को भेजना चाहिये। मेरा वित्त मंत्रीजी से निवेदन है कि इस पर विचार करेंगे कि विश्वस्त आदमी को नहीं भेजना कहां तक उचित है।

श्री विजयसिंह झाला : इस्तीफा दें या न दें, कम से कम इसका जवाब तो दे दें।

(१०.४५ म० पू०)

राजस्थान विश्वविद्यालय १९६४ के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६२ के द्वारा विश्वविद्यालय के सीनेट व सिन्डीकेट संबन्धी चुनाव के लिये राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६४ में जो संशोधन किये गये हैं, उनका मुख्य मंत्रीजी द्वारा जान-बूझकर उल्लंघन किया गया है और इससे उन्होंने सदन का अवमान (कॉन्टेम्प्ट) किया है। श्री अग्रवाल ने यह भी बतलाया है कि राजस्थान विश्वविद्याल (संशोधन) अधिनियम की धारा ११ (२) के अन्तर्गत कठिनाइयों के निवारण संबन्धी जो आज्ञा जारी की गयी थी उससे सदन का अपमान हुआ है।

मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने से कोई विशेषाधिकार का हनन होता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा राज्य विधान मंडल, उसके सदस्यों एवं समितियों के विशेषाधिकार वे ही हैं जो हमारे संविधान के आरम्भ में हाऊस ऑफ कामन्स के थे और हम किसी नये विशेषाधिकार का निर्माण नहीं कर सकते। अतः मैं श्री अग्रवाल द्वारा दी गयी सूचना से संबन्धित विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

आज सदन में इससे संबन्धित राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जायेगा और उस पर बहस के दौरान में श्री अग्रवाल को भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा। माननीय शिक्षा मंत्री बहस का उत्तर देते समय उनके द्वारा इस संबन्ध में जो भी मुद्दे उठाये जायें उनका स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

अब आगे की कार्यवाही आरम्भ होगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६४

(अध्यादेश विषयक संकल्प की प्रस्तुति)

सब से पहले श्री सतीशचंद्र अग्रवाल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे । फिर माननीय मंत्री महोदय अपना प्रस्ताव रखेंगे उसके पश्चात श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री रामानन्द अग्रवाल प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, इस पर सीमित बहस होगी और उसके पश्चात इस पर मतदान होगा ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक १९६४ जो सदन के सामने आने वाला है जिसके संबन्ध में राज्यपाल महोदय ने दिनांक ४ फरवरी, १९६४ को The University of Rajasthan (validation of the Recenstituted Authorities) Ordinance, 1964 निकाला इस संबन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार :

" यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान विश्व विद्यालय (पुनर्गठित सत्ताओं का वैधकरण) अध्यादेश, १९६४ को अस्वीकृत करता है "

अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं इस संबन्ध में कुछ कहूं मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । यह जो अध्यादेश जारी किया गया है और इस अध्यादेश के संबन्ध में जो कारण सदन की मेज पर रखे हैं मैं इस संबन्ध में आपकी व्यवस्थाओं की ओर जो भूतकाल में दी हुई हैं आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हुए अध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाहूंगा । डिस्ट्रिक्ट जज, जयपुर ने ३, फरवरी १९६४ को जो फैसला दिया है उसफैसले के खिलाफयूनीवर्सिटी ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील कर दी है जहां तक मेरी जानकारी है । जबअपील दायर कर दी है तो यह सम्पूर्ण मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है और हाई कोर्ट निर्णय लेगी कि आया डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का फैसला सही है या गलत है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह मामला एक प्रकार से सबजुडिस है और सब–जुडिस मामले पर यहां बहस करना उचित नहीं होगा ।

(१०.५१ म० पू०)

आय व्ययक साहित्य माननीय सदस्यों को देने से पूर्व पत्र पतिनिधियों को विपरीत करने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न विषयक

(पूर्वक्रम से)

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने बताया था कि हमने बजट स्पीचें भेजी और आदेश दिया था उनके लिये कि ९.३० बजे उनको वहां उपस्थित पत्र प्रतिनिधियों को बाटें । यह गलत है और कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया था कि कितने बजे प्रतियों के पैकेट खोल कर बाटें । इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया वह गलत है ।

Page No. 69

श्री योगेंद्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन कर दूं कि जैसा उन्होंने कहा क्लर्क भेजा गया था, कोई क्लर्क निश्चित रूप से नहीं भेजा गया फाइनेन्स विभाग का। यह कहा जा सकता है कि क्लर्क के भेजे जाने की सूचना गलत दी है। इस बजट के साथ श्री राघवन गये हैं और पब्लिक रिलेशन्स ऑफसर गये हैं, पर कोई क्लर्क नहीं गया और कोई टाइम का आदेश भी नहीं दिया गया। यह बात भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। वित्त मन्त्री जी ने इस तरह का गलत स्टेटमेन्ट सदन में देकर सदन को गुमराह किया है और सदन को गलत सूचना दी है। गलत ढंग से अपने केस को बिल्ड अप किया है। लीकेज हुआ है इस बजट का।

श्री भैरोंसिंह : इमीजिएटली इस मामले की इन्क्वायरी होनी चाहिये। क्लर्क गया है तो उसे बुलाना चाहिये। ऑर्डर उसको या दूसरे को क्या दिया गया है इसकी फाइल को जब्त किया जाना चाहिये अभी तक भी कोई आर्डर इस तरह का नहीं दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी बार बार इस सदन में कहते रहे हैं कि क्लर्क गया है। अगर क्लर्क गया है तो किससे गया है, कैसे गया है, क्या हवाई जहाज से गया? और फिर उनके इस कथन को सदन के माननीय सदस्य चैलेन्ज करते हैं तो यह सदन की प्रतिष्ठा के लिये एक अहम सवाल है। सदन में वित्त मन्त्रीजी कोई वक्तव्य दें और उसको इस तरह से चैलेन्ज किया जावे तो या तो वित्तमन्त्री जी इसी समय खड़े होकर कह दें कि क्लर्क गया और इस आदेश के मुताबिक गया तो सही बात सदन को मालूम हो जावेगी। पर आज स्वयं उपस्थित होते हुए भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं. तो मैं समझता हूं कि आपने सदन को गलत बात कह कर गुमराह किया है और यह सबके विचारने का सवाल है।

इसको भी जाने दीजिए। आप सरीखे जिम्मेदार मन्त्री का वक्तव्य इतना गलत हो, यह हम सबके लिये सोचनीय स्थिति है। इसलिए कहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा होगा, अन्यथा सारा सदन इस मामले में गुमराह होगा।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत): ६॥ बजे पैकेट खोले जावें, ऐसा कोई आदेश वित्त मन्त्रालय की तरफ से जो क्लर्क उधर गया था उसको नहीं था।

क्लर्क गया था, रात को गया था, बजट के एस्टीमेट लेकर गया था। पर बजट स्पीच और सिनोप्सिस राघवन लेकर गया था और उसमें फाइनेन्स विभाग का कोई क्लर्क नहीं था। और पर्टिक्यूलर टाइम की सूचना नहीं दी गई।

६॥ बजे का ऐसा कोई ऑर्डर हो तो वित्तमन्त्रीजी सदन की मेज पर रख दें; और इसके बाद मे वित्त मन्त्रीजी यह भी बतावें कि बजट स्पीच जब आपकी यहां समाप्त हो गई, तो क्या ठीक उसके बाद फोन से दिल्ली इत्तला की गई? या वायरलेस से मैसेज

Page No. 70

भेजा गया कि स्ट्रीच समाप्त हो गई है, अब प्रतियां डिस्ट्रिब्यूट कर दी पर स्थिति यह है कि न तो ट्रन्क कॉल किया गया, न टेलीफोन या वायरलेस मैसेज भेजा गया और न टाइम की सूचना डी. पी.आर. के रिप्रेजेन्टेटिव राघवन को दी गई थी, न क्लर्क को टाइम दिया गया था कि इस टाइम पर खोलें वे पैकेट और वास्तव में सच्चाई यह है कि वे पैकेट ६। बजे खोल दिये गये थे और प्रेस के प्रतिनिधियों को ६। बजे सारों को दे दिये गये थे। इस तरह यह मामला बहुत गम्भीर है। यदि इस तरह के गम्भीर मामले भी बिना पूरी जांच किये, बिना प्रोपर इन्क्वायरी किये चले जावेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई स्वस्थ परम्पराएं अपने बीच में नहीं निर्माण कर पायेंगे। न व्यक्तिगत यह प्रश्न है न इससे किसी का कोई लगाव है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, यह प्रश्न सिद्धान्त का है, इसकी इसलिए जांच की जानी चाहिये और फिर उसके फाइन्डिंग सदन में आने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले भी निवेदन कर चुका था कि इस सम्बन्ध में जांच करना उपयुक्त नहीं होगा। इसका न नियमों में प्रावधान है और न कहीं पहला कोई प्रिसिडेन्ट है कहीं का भी। इन सारे प्रश्नों का मन्त्री महोदय ने स्वतः उत्तर दिया है। तो ये प्रश्न जांच के द्वारा तय नहीं हो सकते। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मन्त्री महोदय सामने हैं, उपयुक्त समझेंगे वे तो बाद में भी जानकारी करके सदन को अपनी जानकारी से अवगत करा सकेंगे। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाना कि जांच होनी चाहिये, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं है और इस तरह की जांच करना न आवश्यक है, न ऐसा प्रावधान है, न कहीं पर इस तरह की जांच की गई है।

इसलिये इसकी जांच के प्रश्न में न पड़कर इसे अन्य तरीकों से ही तय किया जावे। ये मसले ऐसी जांच से तय नहीं होते। ऐसी बातों से तो मानस बनता है और सबका और अब यह मन्त्री महोदय की इच्छा पर निर्भर है कि जिस तरह की बातें यहां आती हैं उनका वे जवाब दें। स्वेच्छा से ही तो वे कह सकते हैं। नहीं तो इस्तीफा देने को तैयार हूं ऐसा क्यों कोई कहते? पर फिर भी बात उठाई गई है तो वे उपयुक्त समझेंगे तो उस शंका का निवारण करने के लिये वे भविष्य में वक्तव्य दे सकते हैं। इसलिये इस पर चर्चा न उठाकर पूर्व निश्चित कार्यक्रम पर बहस की जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : इस तरह से तो नतीजे पर पहुंच भी नहीं सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : पर कम से कम वित्त मन्त्री ने कहा है कि त्याग पत्र दे दूंगा और उनकी बातों को इस तरह से जब चैलेन्ज किया गया है तो उत्तर तो स्पष्ट रूप से आना चाहिये। और इसका निर्णय तो होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : तो इसका निर्णय कौन करे?

श्री मुरलीधर व्यास : कोई इन्क्वायरी बिठाने के लिए तैयार हैं?

श्री अध्यक्ष : मैंने इस बारे में निवेदन कर दिया। अब आगे बहस जारी रहेगी।

(१०.५८ म० पू०)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक १९६४ (पूर्व क्रम से संकल्प पर वाद विवाद विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने व्यवस्था का सवाल खड़ा किया कि राजस्थान यूनीवर्सिटी ने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है, ८ अप्रेल की तारीख लगी है जब एक मैटर हाईएस्ट कोर्ट में पेन्डिंग हो तो उसके बारे में सदन में चर्चा करना सबजुडिस होगा। यह डिसीज़न को भी इफेक्ट कर सकता है। इस तरह से कोई मामला सबजुडिस हो और उस पर कोई ऑर्डिनेन्स जारी किया हो और साइमल्टेनियसली वह हाइएस्ट कोर्ट में भी चल रहा हो और यहां भी यह अपने ढंग का पहला ही मसला है। ऐसा मसला पहले नहीं आया इसलिए आपकी इस पर व्यवस्था चाहूंगा कि यह कहां तक नियमानुसार है और परम्पराओं की दृष्टि से उचित है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है, कि अपील किस बात की है, किसने की है। सरकार पार्टी है कि नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, सरकार पार्टी है अपने अध्यादेश जारी किया है और वह किस लिए इसके कारण सदन की मेज पर रक्खे हैं उसने उनमें स्पष्टतया इस बात का उल्लेख किया है कि :

"1. As a result of the judicial decisions, the functioning of the University of Rajasthan has been affected and doubts have arisen as to the validity of the Senate and Syndicate as reconstituted under the University of Rajasthan (Removal of Difficulties) (First) Order, 1962, continuance in office of the members thereof and as respects the action taken or things done by the said authorities. The Bill is, therefore, designed to render effective the functioning of the said University and to remove these doubts. Accordingly provisions have been made for the validation of the constitution of these authorities, continuance in office of the members thereof and action taken or things done by such authorities. That the Bill seeks to replace the University of Rajasthan (Validation of the Re-constituted Authorities) Ordinance, 1964.

2. Opportunity has also been taken to amend section 5 of the Act, consequent upon the amendment of the Rajasthan Agricultural University Act, 1962, by the

Page No. 72

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Rajasthan Agricultaral University (Amendment) Act, 1963, for the purpose of re-defining the territorial limits of the said University."

(११.०० म.पू.)

यह उसके कारण हैं जो सदन की मेज पर रखे हैं वे है और अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज ने ३ फरवरी को फैसला दिया। उस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील हुई है और उस अपील की एक प्रतिलिपि हाईकोर्ट का ओरीजिनल सम्मन है जिसके ऊपर हाईकोर्ट की मोहर है, दस्तखत है सारी चीजें हैं जिसमें ८ अप्रेल, १९६४ की तारीख पेशी नियुक्त की गयी है और इसमें यह लिखा है :

"IN THF HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

The Registrar of Univereity of Rajasthan.

vs.

etc. etc.

Civil Second Appeal against judgment and decree dated 3rd February, 1964, confirming the decree for permanent injunction passed by Shrimati M. Kapoor, against the University of Rajasthan."

इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला जो कि ३ फरवरी को हुआ जिसके बारे में यह लिखा है कि यह ऑर्डिनेन्स ४ फरवरी को जारी किया गया है उसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में यूनिवर्सिटी की तरफ से अपील दायर करदी गई है और इसमें ८ अप्रेल की तारीख है और यह अपील अभी हाईकोर्ट के विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज तक के इतिहास में ऐसीजानकारी नहीं है कि किसी सम्बन्ध में कोई 'कार्ट का फैसला हुआ हो और अपील जिसकी हाईकोर्ट में चल रही हो उस संबंध में कोई वैलीडेशन बिल सदन में डिसकस किया गया हो। यह मैटर कम्पलीटली सबजुडिस है और ऐसे मामलों पर सदन को विचार नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कि हाईकोर्ट इस संबंध में क्या निर्णय लेता है। हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले को मनसूख कर देता है और यूनिवर्सिटी के संबंध में उसी पोजीशन पर आ जाती है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले से पहले थी तो यह सदन इस प्रकार का अमेन्डिग बिल लायेगा तो वह नेगेटिव हो जायेगा, रिडन्डेन्ट हो जायेगा और नल एण्ड वोइड हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि एक मैटर जब हाईकोर्ट में पेन्डिग है उसके ऊपर हमें नहीं बैठना चाहिए। यह आर्डिनेन्स ४ तारीख को जारी कर दिया गया था और चूंकि मैटर काम्पिटेन्ट कोर्ट में पेन्डिग है तो यहां डिसकस नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह मैटर सबजुडिस है इसलिए इसको यहां पर सदन में विचार नहीं होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ने कहा कि यूनीवर्सिटी को काम करने में दिक्कत होगी। तो जो पोजीशन मुनसिफ और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के बीच में थी वही हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के बीच में रह सकती है। यदि पुनः कोई संकटकालीन स्थिति पैदा हो जाये तो हम विचार कर सकते हैं लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, चाहूंगा।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आर्डिनेन्स हमारे सामने है अभी इसकी लाइफ है और इस पर मेरी राय यह है कि अभी डिस्कशन नहीं किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। अभी यूनिवर्सिटी को ऐसी पावर्स हैं कि वह सारा इन्तजाम कर सकती है। तो मेरी भी यही धारणा है कि सारे हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की हिस्ट्री में पहली बार यह वैलेडेटिंग बिल हमारे सामने पेश हुआ है। जबकि हाई कोर्ट में इसके बारेमें अपील की गई है जो कि अपीलेट कोर्ट के फैसले के बाद तो वाइस चान्सलर ने दोनों रास्ते अपने हाथ में लिए हैं। एक तरफ तो हाईकोर्ट में अपील कर दी और दूसरी तरफ वैलीडेटिंग बिल ले आये हैं। तो जबकि मामला हाईकोर्ट में पेन्डिंग है और सबजुडिस है तो हमारे यहां पर उस पर बहस किया जाना कोई कीमत नहीं रखता। मेरी राय में जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई दिक्कत सामने आने वाली नहीं है, कोई वैक्यूम पैदा होने वाला नहीं है कोई कैआस आने वाला नहीं है। सारे प्रॉविजन्स हमें इजाजत देते हैं और सारा इन्तजाम हम इस बीच में कर सकते हैं : Vice chancellor रि-अपॉइन्टमेन्ट करने के लिए अगर कोई आदमी सारे एक्ट्स को, आर्डिनेन्स को, ऑर्डिनेन्स को चेन्ज करता है और सरकार को गलतफहमी में डालकर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज़ आर्डर के तहत मैं आपका प्रोटेक्शन सीक करता है कि यह हमारे हाऊस के प्रिवलेज का सवाल है और ऐसा व्यक्ति हाऊस के सामने पेश होना चाहिए। यदि उसको पेश करने की इजाजत आप नहीं देते तो आज के डिस्कशन को बन्द कर देना चाहिए जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला इस बारे में न हो जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, यूनीवर्सिटी में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। एक सीनेट और सिन्डीकेट प्रॉबेबली कान्सटीट्यूट हुई और कुछ लोगों के वोटिंग राइट्स को रोक दिया गया और वाइस चान्सलर का जो अपॉइन्टमेन्ट था वह एग्जास्ट हो चुका था लेकिन उसको कन्टीन्यू रखा गया। इस आधार पर मुनसिफी जयपुर ईस्ट में एक केस फाइल हुआ। उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां पर हुई। दोनों कोर्ट से डिफेन्डेन्ट के हक में डिसाइड किया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियां राजस्थान के इतिहास में बहुत कम आई हैं कि इस प्रकार से रांगली एक्ज़ीक्यूटिव बॉडी कॉन्सिटीट्यूट की जाये, सीनेट कोन्सिटीट्यूट की जाये और ऐसी स्थितियां भी बहुत कम आई है कि एक यूनिवर्सिटी का अमेन्डिंग बिल लेजिस्लेशन के अन्दर रखा गया हो और लेजिस्लेशन ने उसको स्ट्रांगली री-एक्ट कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो, उसके हर क्लाज़ को री--एक्ट किया हो और इस बात को लेजिस्लेशन ने, लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स ने एग्ज़र्ट किया हो कि एक एक आदमी को प्रोटेक्शन देने के लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहस न करें, पाइन्ट आफ आर्डर पर ही बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बहस नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर पोइन्ट ऑफ आर्डर पर ही बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अच्छा तो अध्यक्ष महोदय, साइमलटेनियसली एक वैलीडेटिंग बिल लाया गया है। उस स्थिति में कन्ट्रोल करने के लिए वैलीडेटिंग बिल लेजिस्लेटिव असेम्बली के अन्दर पुट--अप हो चुका है और जहां तक उसके प्रेज़ेन्टेशन की बात है उसका सरकुलेशन मेम्बर्स के अन्दर हो चुका है और उसके साइमलटेनियसली एक वैलीडेटिंग बिल लेजिस्लेटिव असेम्बली में पुट--अप हुआ है और यूनीवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले की अपील के अन्दर हाई कोर्ट में जाये अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सदन के प्रिवलेजेज़ पर एक गम्भीर कुठाराघात है। लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स के पावर्स को मिनिमाइज़ करके आंकने की बात है। ऐसी घटना विश्व विख्यात की पहले भी हैं और वह जुडीशरी के द्वारा है। यूनीवर्सिटी आटोनोमस बाडी है। अगर सदन के अन्दर कोई बात कही जाती है तो यह नारियल के खोल की तरह टक्कर लगाना पड़ता है। कहा जाता है कि डिसकस मत कीजिए, बात मत कीजिए, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक गम्भीर परिस्थिति के सम्बन्ध में एक वैलीडेटिंग आर्डिनेन्स आता है और रेगुलर रूटीन के अन्दर लेजिस्लेटिव असेम्बली में पुट -अप हो और वह आटोनोमस बॉडी इतनी छोटी करके लेजिस्लेटिव असेम्बली को मानती है कि वैलीडेटिंग बिल को मेम्बर्स डिसकस करेंगे। उसके मैरिट्स में जायें वही यूनीवर्सिटी उसी के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में अपील में जाते है। क्या जरूरत थी राजस्थान सरकार को इस वैलीडेटिंग बिल को मेम्बर्स को देने की और इस असेम्बली में लाने की? अगर उनको डिस्ट्रिक्ट जज की अपील हाई कोर्ट के अन्दर करनी थी तो इस आर्डिनेन्स को लागू करने की क्या ज़रूरत थी? अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सदन के अधिकारों का हनन है, सदन के अधिकारों का मज़ाक है और उनको तुच्छ करके जानने की स्थिति है। निश्चित रूप से यह डिफेमेटरी है सदन के लिए जो इस यूनीवर्सिटी ने किया है। वैलीडेटिंग बिल लाने के बाद जब कि उसके डिस्कशन की तारीख निश्चित हो चुकी है वह डिस्कशन के अन्दर आने वाला है उसके बावजूद भी हाईकोर्ट के अन्दर यूनिवर्सिटी जाये और 'टू प्रांग्स क्रियेट' करे और सीज़र के दो पत्तों के अन्दर लेना चाहे इस चीज को दोनों तरफ से अपनी स्थिति को सेफगार्ड करना चाहे, यह बहुत गम्भीर चींज है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं समझता हूं कि जब यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट के पास गई है, मेटर सबजुडिस हो चुका है तो इस सदन को इस बारे में गम्भीर नोट लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के इस बिल को आज डिसकस नहीं किया जाना चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले का इन्तजार करना चाहिए। जैसे मुन्सिफ के फैसले के बाद में डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले का इन्तजार किया गया। वही की वही परिस्थिति आज है कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इन्तजार करें और इस सम्बन्ध में सीरियस नोट भी लें कि एक आटोनॉमस बॉडी के नाम पर एक आंटोनॉमस बोडी का अधिकार ले रही है, जो यूनिवर्सिटी ने इस सदन के बारे में लिया है वह हमारे प्रिविलाजेज को ललकार रही है। इस सम्बन्ध मे भी नोट लिया जाय।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे नियमो में इस प्रकार का प्रावधान है कि मेटर सबजुडिस हो तो उन विषयों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। यह एक निर्विवाद सत्य है और सत्य बात है तो लॉ डिपार्टमेंट भी इसको मानेगा। यह एक कानून की स्थिति की बात है कि अपील की गई है। जो आर्डीनरी प्रासिडिंग्स तैयार की गई हैं उन ओरीजिनल प्रोसीडिंग्स पर कोई निर्णय लिया गया और उस निर्णय की प्रतिक्रियास्वरूप एक ऑर्डिनेन्स राज्य सरकार को लाना पड़ा। यह राज्य सरकार को भी मानकर चलना होगा। उस ऑर्डिनेन्स के दूसरे प्रतिस्वरूप यह बिल हमारे सामने आया है, और उस बिल में और उस ऑर्डिनेन्स में कोई अन्तर नहीं है, इन प्रावधानों में भी कोई अन्तर नहीं है। जो जिस विषय पर आज सदन में चर्चा करने जा रहे हैं निश्चित रूप से वह विषय इनके निर्णय के लिए रखा हुआ है। यह मुमकिन हो सकता है। यह मानकर क्यों चला जाय कि हाई कोर्ट का क्या निर्णय होगा ? यह मुमकिन हो सकता है कि हाईकोर्ट का निर्णय राज्य सरकार के अनुरूप हो, यह मुमकिन हो सकता है कि हाईकोर्ट का निर्णय राज्य सरकार के प्रतिकूल हो जाय। तो जो ऑर्डिनेन्स लाये हैं और उस ऑर्डिनेन्स के सब्सीक्वेन्टली जिस बिल पर आज सदन में चर्चा कर रहे हैं उसकी भावना यही तो है कि जो कुछ भी कार्यवाही यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई उसको अवैध घोषित कर दिया किसी अदालत ने तो ऐसी स्थिति में उसको वेलिडेट करने के लिए यह कानून बनाना आवश्यक हुआ। समझ लें कि हाईकोर्ट का निर्णय आपके हक में हो जाता है और अभी यह निर्णय हो जाता है कि अवैध नहीं थी कार्यवाही तो आपकी स्थिति क्या होगी ? फिर इस कानून को बनाने की मन्शा क्या होगी ? जो विषय सबजुडिस है, मैं समझता हूं कि जिस पर एक अदालत ने निर्णय दिया है और दूसरी अदालत का निर्णय होने वाला है उसी विषय पर हम दुबारा चर्चा करते हैं तो यह कहां तक उचित होगा ? आपस में दो शक्तियों के अन्दर पारस्परिक संघर्ष पैदा हो जाय। इन सब बातों पर विचार करते हुए आपको व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, जो पोइन्ट ऑफ आर्डर उठाया गया है माननीय सदस्यों की

Page No. 76

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और मै उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि जिस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन ऑफ दी प्रोवीजन्स आफ दी कान्स्टीट्यूशन है, एक तो यह आधार हो सकता है या दूसरी बात इन्टरप्रिटेशन ऑफ दी रूल्स ऑफ बिजनेस. इन दोनों के इन्टरप्रिटेशन्स आइदर ऑर के प्रश्न पर कोई पाइन्ट आफ आर्डर उठाया जा सकता है। माननीय सदस्यों ने सारी स्थिति बताई लेकिन फिर भी इस प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डाला तो उनका पोइन्ट ऑफ आर्डर इस प्रोवीजन के अन्तर्गत आता है।

खैर, इस प्रश्न को अलहदा रखते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह आर्डिनेन्स जो गर्वनर महोदय द्वारा प्रमल्गेट किया गया है उस ऑर्डिनेन्स के माध्यम से जो एरर्स और गलतियां इस सम्बन्ध में, कानून के सम्बन्ध में हुईं उनको रेमेडी किया। बड़ा प्रश्न तो यह है कि ऑर्डिनेन्स की तिथि सम्भवतः एक को समाप्त हो रही है, और उसके बाद अगर उसके पूर्व इस लेजिस्लेशन को पास नहीं किया जाता तो युनिवर्सिटी की स्थिति वापिस जैसी पहले थी वैसी ही हो जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या हो जायगी ?

श्री निरन्जाननाथ आचार्य : Please don't disturb.

दूसरा प्रश्न मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का जब जजमेंट हुआ तब हमने इन्तजार किया। डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के अन्दर भी ऑर्डिनेन्स लाया जा सकता था, लेकिन नहीं लाया गया। डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के बाद जो स्थिति यूनिवर्सिटी की हुई और जिन गलतियों के आधार पर यूनिवर्सिटी का फन्क्शन होना बन्द हो गया, उसके बाद में ऑर्डिनेन्स लाया गया। डिस्ट्रिक्ट जज के मुख्य तीन मुद्दे थे फैसले में। पहला मुद्दा तो यह ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बन्द क्यों हो गये ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ... था कि जिन्होंने दावा किया है इलेक्शन लड़ने का सीनेट व सिन्डीकेट का उनका कोई हक था या नहीं था ? दूसरा मुद्दा था कि वाइस चान्सलर के एपोइन्टमेंट की तारीख की स्थिति क्या है ? तीसरा मुद्दा यह था कि सेक्शन ११ के अन्तर्गत १९६२ के एमेंडिंग एक्ट के अन्तर्गत क्लाज (२) का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता था अथवा नहीं किया जा सकता था रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थिति अभी है युनिवर्सिटी की और इस लेजिस्लेशन का नहीं लाने से जो स्थिति बिगड़ सकती है वह यह है कि यह डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी मान्यता की है जिस मुद्दे पर कि एपोइन्टिंग डेट वाइस चान्सलर की कौन सी थी ? जिस तारीख को आर्डर चान्सलर का हुआ उसको माना जाय अथवा उस तारीख को जिस तारीख को वाइस चान्सलर ने अपना पद सम्हाला। चूंकि डिस्ट्रिक्ट जज और मुन्सिफ

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कोर्ट ने इस प्रश्न को जो डेट ग्रॉफ एपोइन्ट-मेंट को यानि जिस दिन नियुक्ति की आज्ञा दी उसको उन्होंने मान लिया। इसका मतलब यह हुआ कि १ नवम्बर १९५९ को जब कि वइस-चान्सलर यहां उपस्थित नहीं थे अगर उस तिथि को मान लिया जाता है तो दो महीने का जो अन्तर है, उस दो महीने के अन्तर्गत जो स्थिति पैदा हुई उसका सारी युनिवर्सिटी पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुख्य मुद्दा यह तो मान लिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कि जहां तक इलेक्शन ग्रॉफ सिन्डीकेट ग्रौर सीनेट का सवाल है वह प्रतिकूल हो सकता है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह पॉवर्स युनिवर्सिटी में सीनेट के अन्तर्गत हल हो सकती है, लेकिन उसके अन्तर्गत जो मुख्य प्रश्न है कि जिस तारीख को वाइस चान्सलर ने सम्हाला ग्रौर जो वेरियेशन इसके अन्तर्गत जैसा कि कोर्ट ने कहा है उस वेरिवेशन के आधार पर जो एपोइन्टमेन्ट की तारीख जिस दिन उन्होंने पद सम्हाला उस तारीख को माना गया है। अगर उस तारीख को नहीं माना जाता है तो युनिवर्सिटी का फन्क्शन बन्द होता है। युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर हैं वे सिन्डीकेट के चेयरमेन हैं, ग्रौर इस तरह की कई कमेटियों के चेयरमेन हो सकते हैं, ग्रौर साथ ही कई सिलेक्शन्स ग्रौर कई एपोइन्टमेंट्स उनके द्वारा हो सकते हैं, तो यह सारी स्थिति इस दरमियान में हुई है उसको रेमेडी नही किया जा सकता है।

दूसरा जहां तक एमेंडमेंट का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कहीं भी डिबार लेजिस्लेशन को नहीं किया जा सकता है। जो कानून में गलतियां हो गई हैं। किसी लेजिस्लेशन में हो गई हैं उनको रेमेडी करने के बारे में लेजिस्लेटर्स को पूरा अधिकार है। यानी यह प्रश्न कि जब मुन्सिफ के यहां होता तब ग्रार्डिनेन्स निकाला जा सकता था ग्रौर तब भी ग्रॉर्डिनेन्स लेजिस्लेशन के माध्यम से सब्स्टीट्यूट किया जा सकता था ग्रौर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होता तब भी निकाला जा सकता है। इसी तरह से हाईकोर्ट के सामने अपील पेंडिंग है तब भी लेजिस्लेटर्स को डिबार नहीं किया जा सकता इस लेजिस्लेशन को पास करने के प्रश्न पर। इस प्रश्न पर जो केस हाई कोर्ट में है वह बहुत स्पष्ट हैं ग्रौर जहां तक कॉस्टीट्यूशन का है वह बहुत ही स्पष्ट हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं वह पढ़कर सुनाता हूं,—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस में है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आर्टिकल २४५ की कमेन्ट्री है :

"In India it is competent for the legislature to put an end to the finality of a judicial decision and re-open a past controversy and even to pass a validating Act to declare to be valid a law which has been pronounced to be void by the court. By so enacting, the legislature does not exercise a judical function. It is competent for the legislature to rectify a mistaken view of the law."

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि हम पास नहीं कर सकते, आपने यह कहा है कि उसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिये और जुडिशियल डिसिज़न को वेट किया जाना चाहिये। वेट करने से जो स्थिति पैदा होती है उसका जिक्र किया था। अपील में जो प्रश्न उठाये गये हैं वे सारे ये प्रश्न नहीं। इन प्रश्नों को हमने वेलिडेट कर दिया है ऑर्डिनेन्स के माध्यम से और इसको भी करेंगे। लेकिन एक प्रश्न जो उठाया गया है वह यह है रजिस्टर्ड ग्रेज्युएट्स with regard to their rights. रजिस्टर्ड ग्रेज्युएट ने प्रश्न उठाया था कि मेरा अधिकार था चुनाव में भाग लेने का उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रोक दिया। हाई कोर्ट में एक ही प्रश्न उठाया है। मुझे निवेदन करना है कि यह प्रश्न कोर्ट ऑफ लॉ का है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २४ पोइन्ट्स हैं ग्राउन्ड्स ऑफ अपील में।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी बात मान भी ली जाती है तो भी मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ में अधिकार है इन्टरप्रिटेशन का, इन्टरप्रिटेशन में यदि गलती हुई है तो आगे कार्यवाही हो सकती है, मुन्सिफ ने जो इन्टरप्रिटेशन किया उससे आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गये और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील की है तो उसका अधिकार है, कर सकता है, मान लीजिये यदि हाई कोर्ट का फैसला दूसरी तरह हो जाय तो भी लेजिस्लेचर पर असर नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह जो पोइन्ट ऑफ आर्डर उठाया गया है यह कोई सीरियस ऑब्जेक्शन नहीं है. इसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि सरकार जब कोई मामला डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिये भी भेजती है और यहां उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार उत्तर देती है कि यह मामला सबजुडिस है। और यह मामला जब कि हाई कोर्ट में पेंडिंग है इसके बारे में यह कहा कि हमने ये बातें हाई कोर्ट में चैलेन्ज नहीं की हैं। युनवर्सिटी की जिन बातों के लिये यह ऑर्डिनेन्स निकाला है उसमें मुख्य मुद्दा यह है कि सीनेट और सिन्डीकेट दोनों ही लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बोडिज़ हैं या नहीं यदि ये नहीं हैं आपने ऑर्डिनेन्स निकाला है, आपका यह कहना कि हमने हाई कोर्ट में चैलेन्ज़ किया है उसमें ये मुद्दे नहीं उठाये हैं, मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि कृपया पूरी तरह से तैयार होकर आवें जिन पोइन्ट्स पर अपील की है उसके पैरा नं० १७ की ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"That the learned lower court has erred in holding that the Syndicate was not a properly constituted body."

आपने इसको चैलेन्ज किया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सारा पढ़ दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राउन्ड नं० १७ खत्म हो गया। मैं आपकी तरह आधा नहीं पढ़ता हूं। ग्राउन्ड नं० १४ में लिखा है :

"That the learned lower court has erred in holding that the date of starting service for the term of office........"

जो वाइस चान्सलर के बारे में झगड़ा है ४ जनवरी, ७० हो या १ नवम्बर ५९ से उनका टर्म शुरू हुआ। इस विवाद को डिस्ट्रिक्ट जज ने चालू सिन्डीकेट सीनेट और वायस चान्सलर के बारे में फैसला दे दिया है। पुराने के बारे में हाई कोर्ट में मामला पेन्डिंग है। इसलिये यह कहना कि हाईकोर्ट के सामने मसला नहीं है, ठीक नहीं है। इन सारी चीजों की अपील नहीं की गई है। यह गलत चीज है। जैसा कि मन्त्रीजी ने कहा पहले के सम्बन्ध में मैं इस संबंध में कोई विवाद नहीं करना चाहता लेकिन मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं कि इसमें दो स्थितियां पैदा होंगी। एक तो यह कि हमने बिल पास कर दिया और हाई कोर्ट ने युनिवर्सिटी की अपील को मन्जूर कर लिया, डिस्ट्रिक्ट जज और मुन्सिफ के फैसले को रद्द कर दिया, १ नवम्बर से ४ जनवरी तक वायस चान्सलर की अपोइण्टमेंट को मान लें आरसिन्डीकेट को भी लीगली कांस्टिट्यूटेड मान लें तो इस क़ानून के पीछे यहां समय खराब करके सदन इसे पास करने जा रहा है उस कानून का फिर कोई मतलब नहीं होगा, इस वेलिडेटिंग बिल का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब हाई कोर्ट इन फैसलों को क्वेश कर देता है तो युनिवर्सिटी के सामने कोई संकट की स्थिति नहीं होती है।

आज की तारीख में यह कहना कि युनिवर्सिटी संकट में है, उचित नहीं है। शायद मन्त्रीजी को पता नहीं है कि युनिवर्सिटी की सिन्डीकेट, हमने जो कानून बनाया है उसके अनुसार लीगली कस्टिट्युटेड हो चुकी है. आज की तारीख में जो सिन्डीकेट है उसका इलेक्शन हो चुका है। उसके ९ लोग प्रोपरली और ड्यूली इलेक्टेड है। उसमें चार लोगों का झगड़ा है, ३ डीन्स है और १ वाइस चासलर का झगड़ा है। १५ लोगों की सिन्डीकेट में कुल ५ आदमियों का झगड़ा है। सिन्डीकेट में ९ आदमी प्रोपरली कांस्टिट्यूटेड एण्ड इलेक्टेड हैं। ऐसी हालत मे युनिवर्सिटी का कौनसा काम रुकता है? या तो यह कहें कि हमारे सारे कानून, सारे ऑर्डिनेन्स, सारे बिल न तो सीनेट के लिये हैं और न सिन्डीकेट के लिये, न युनिवर्सिटी के लिये न डीन्स के लिये हैं बल्कि ये सारे कानून एक आदमी के लिये हैं जिनको हमें रखना है। आपका संकट क्या है? १ नवम्बर ५९ से ४ जनवरी १९६० तक २ महीने ४ दिन का पीरियड है उसका क्या होगा? आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि डिस्ट्रिक्ट जज ने सेकिन्ड टर्म के लिये कुछ नहीं कहा। लेकिन उनकी टर्म १ नवंबर, ५९ से ४ जनवरी ६० तक नहीं थी। वाइस चान्सलर की प्रेजेन्ट टर्म के बारे में डिस्ट्रक्ट जज ने कुछ नहीं कहा, सीनेट और सिन्डिकेट की प्रेजेन्ट टर्म के बारे में झगड़ा नहीं है। १ नवम्बर ५९ से ४ जनवरी ६० तक वे वाइस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चान्सलर रहें उस पीरियड की तनख्वाह उन्होंने गलत ले ली जिसका उनको हक नहीं था। हो सकता है कि प्रजेन्ट सिन्डीकेट उनसे वह तनख्वाह वापिस मांगे, यदि इतना ही सवाल है कि युनिवर्सिटी की सिन्डीकेट वापिस तनख्वाह मांगती है और वाइस चान्सलर देने की स्थिति में नही है तो जहां ५५ लाख रुपये युनिवर्सिटी के लिये खर्च किये है तो इतनी सी रकम की क्या बात है ? यदि वाइस चान्सलर वापिस नहीं करते है और सिन्डीकेट अड़ जाता है २ महीने और ४ दिन की तनख्वाह के लिये तो महरबानी करके, बाल भारती के लिये आप १। लाख का चन्दा कर सकते हैं तो इसके लिये भी निकल जाइये अभी इसी सदन में इतना चन्दा हो जाता है २५) ५०) मेरे लिख लीजिये, केदारजी बैठे हैं कुछ उनसे ले लिजिये। १) भैरोंसिहजी का लिख लीजिये, आठ आने आप अपने लिख लीजिये, इस तरह से पूरा कर लीजिये। आखिर मसला क्या है ? हम विवाद नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप सदन को समझा दीजिये। ३ मसले आये। सिन्डीकेट लीगली कॉस्टिट्यूटेड बोडी है। कहां पर ५ का कोरम हैं, वे लोग फैसला कर सकते हैं और जो लीगल एक्शन होगा उसको सिन्डिकेट ले सकती है। सिन्डीकेट ओटोनोमस बोडी है, उसको हमने अधिकार दिया पूर्णरूप से एक्शन ले सकती है, लीगली कांस्टिट्यूटेड है और ५ का कोरम है. एक तरफ यह स्थिति है, युनिवर्सिटी का फंकशन चालू है। मुंसिफ और डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के बीच में काम चलता रहा है, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी, स्टे ओर्डर दे दिया उनको अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सूरत मे आप ओर्डिनेन्स जारी कर दें और उसको वेलिडेट कर दें यह मुनासिब नही है। वाइस चान्सलर की सेनिअर टर्म के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, सिन्डीकेट लीगली कांस्टिट्यूटेड है, इसमें दिक्कत नहीं है, सीनेट लीगली कांस्टिट्यूटेड है या नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दे रखी है वह रिजेक्ट हो जायगी तो सामने आइये।

यह अधिकार आपको फिर मिलेगा, फिर हम विरोध नहीं करेंगे। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज परिस्थिति नहीं है इस पर विचार करने को क्योंकि यह मामला हाई-कोर्ट में पेंडिग है और इसीलिए यह सवाल खड़ा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके डिस्कशन को पोस्टपोन किया जाय। हाई कोर्ट से अपील का फैसला होगा, उसमें प्राइमा फेसी कोर्ट कह देती है कि डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला गलत है। तो ऐसी स्थिति में इस सदन मे कानून पेश करना, वादविवाद में पड़ना और झगड़े में जाना, माननीय मंत्री महोदय, किसी भी दृष्टि से उचित नही होगा। इस पर विचार करते हैं तो यह विवाद व्यापक हो जायगा, अभी दो दिन पहले एक मेहता साहब का जिक्र हुआ, आज दूसरे मेहता साहब का जिक्र आये- हम नहीं चाहते कि मेहताओं का जिक्र आये। इसलिए आप हाई कोर्ट में फैसला होने दीजिये, हाई कोर्ट का फैसला दस अप्रेल को हो जायगा। हाई कोर्ट का फैसला दस अप्रेल को हो जाय तो फिर आप देख लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब इस पर बहस नही होगी।

माननीय सदस्यों ने चर्चा उठाई उसका उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया। विशेष रूप से श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने आपति की है कि इस विधेयक पर सदन में विचार नहीं हो सकता क्योंकि इसके सम्बन्ध में हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, और सब-जुडिस होने के नाते सदन में चर्चा नहीं कर सकते। यह सही है कि हमारे नियमों में ऐसा प्रावधान है—कोई प्रश्न या सकल्प इत्यादि से सम्बन्धित विषय जब तक हाई कोर्ट में या अदालत में सब-जुडिस हो तब तक उस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन मेरी व्यवस्था यह है कि वह बन्दिश विधेयकों और बिल्स पर लागू नहीं होगी। वेलीडेडिग बिल लाया तभी जाता है जब किसी अदालत ने फैसला गलत दिया हो या फैसला दिया हो वह सरकार के लिए आपत्तिजनक हो और जो सरकार की मन्शा है वह पूर्ण नहीं होती हो—इसीलिए विधेयक अमेडिग बिल, बेलीडेटिंग बिल सरकार लाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में अमेडिंग या वेलीडेटिग बिल लाया जाता सकता है, इसलिए हम अगर यह व्यवस्था रखते है कि कहीं पर भी, किसी बात पर विचार हो रहा है—अदालत में तो उस पर विधेयक नही लाये जा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि वेलीडेटिंग बिल्स की मन्शा है वह कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरी व्यवस्था यह है कि सब जुडिस मामले हैं उनसे सम्बन्धित मामलों पर सदन में विचार नही किया जा सकता यह प्रावधान इस प्रकार के विधेयक पर लागू नही होगा। इसलिए इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On an another point of order यह जो बिल सदन में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव आया है और जो इन्ट्रोड्यूस हो चुका है, इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एन्ड रीज़न्स में लिखा है :

As a result of the judicial decisions the functioning of the University of Rajasthan has been affected and doubts have arisen as to the validity of the Senate and Syndicate asreconstituted under the University of Rajasthan(Removal of Difficulties) (First) order 1962 continuance in office of the members thereof and as respects the action taken or things done by the said authorities.

स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को पढने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आप इस नतीजे पर पहुंचेगे कि यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान (रिमूवल आफ डिफीकल्टीज़) (फर्स्ट) आर्डर, १९६२ जो २८ अक्टूबर सन् १९६२ को जारी किया गया उसके आधार

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

पर सिंडीकेट और सीनेट के मामले में, उनके कान्स्टीट्यूशन के सम्बन्ध में जो कुछ भी इल्लीगलिटी, इम्प्रोप्राइटी और सन्देह पैदा हो गये हैं उनको लीगलाइज और वेलीडेट करने के लिए यह बिल सदन में लाया गया है। अगर यह चीज नहीं है तो फिर यह बिल बेकार है, रिडेन्डेन्ट है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान (रिमूवल आफ डिफीकल्टीज़) (फर्स्ट) आर्डर १९६२ जिसका हवाला स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में दिया गया है और जिसको वेलीडेट करने के लिए बिल लाये हैं सीनेट और सिंडीकेट के कान्स्टीट्यूशन को तो इस २८ अक्तूबर १९६२ के रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर के तहत सीनेट और सिंडीकेट का री-कान्स्टीट्यूशन हुआ है या नहीं ? अगर हुआ है तो बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स के अनुसार इसके प्रावधान उचित हैं और अगर नहीं हुआ हैं तो फिर जिस आधार को स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रिजन्स में दिया है उसको पास कैसे कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्क्रेप पेपर है, रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर के तहत सीनेट और सिडीकेट कान्स्टीट्यूट नहीं हुई है इसलिए इस बिल के प्रावीजन्स हैं वे बेकार है।

इसके साथ ही इस सम्बन्ध में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके प्रीएम्बल में यह लिखा हैं, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं :

"A Bill further to amend the University of Rajasthan, Act, 1946, in the manner hereinafter appearing and to provide for the validation of the Senate and Syndicate as reconstituted under the University of Rajasthan (Ramoval of Difficulties) (First) Order, 1962, continuance in office of the members thereof, and certain other matters connected therewith"

प्रीएम्बल में लिखा है, स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में लिखा है अब दोनों में लिखे होने के कारण अगर रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर के तहत सीनेट और सिडिकेट री-कान्स्टीट्यूट हुई हैं, २० अक्तूबर, १९६२ को तो मंत्री महोदय कह दें। अगर नहीं हुई है तो बिल के प्रावीज़न्स बेकार हैं। प्रावीजन्स प्रीएम्बल के खिलाफ नहीं जा सकते, स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए इस बिल पर विचार नहीं हो सकता जब कि बिल के प्रॉवीजन्स स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के अनुसार नहीं हों।

श्री निरंजनाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मैं थोड़ा कह दूं। यह मुन्सिफ कोर्ट के अन्दर जो तीन मुद्दे उठाये गये उनमे पहला मुद्दा यह था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो यह बता दीजिये, रिमूवल आफ डिफीकल्टीज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ग्रार्डर, १६६२ के तहत यह कान्स्टीट्यूट हुई है या नहीं है ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : मेन पोइन्ट, सबसे बडा पोइन्ट यह है कि यूनियर्सिटी ग्रॉफ राजस्थान (रिमूवल ग्राफ डिफीकल्टीज) (फर्स्ट) ग्रार्डर, १६६२ के ग्रन्तर्गत री-कान्स्टीट्यूशन था। इमका पहला क्लाज ग्रौर दूसरा क्लाज इस प्रकार है :

"If any difficulty arises as to the reconstitution of any authority of University after coming into force of the University of Rajasthan (Amendment) Act, 1962 or otherwise in giving effect to the provisions thereof the State Government may, in consultation with the Vice Chancellor, as occasion may arise, pass an order to remove the difficulties..................................

ये डिफीकल्टीज के रिमूव करने का एमर्जन्सी का क्लॉज़ एक है, जो इस प्रकार है : that the old bodies shall cease to exist when new badies are created under the provisions of the Act. पुरानी बोडी रहेगी उस वक्त तक रहेगी जब तक नई बॉडी न बन जाय। इसमें क्लॉज २ के ग्रन्तर्गत पूरा ग्राधार ग्रौर पूरी ग्राजादी ग्रन्डर दी ला इलेक्शन करने की दी गई है, एक के ग्रन्तर्गत रेमेडी है, ग्रगर कोई एरर हो जाय इलेक्शन के ग्रन्दर तो उसकी रेमेडी करने का प्रावधान दिया गया है। जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया वह यह है कि रिमूवल ग्राफ डिफीकल्टीज़ ग्रार्डर के तहत सीनेट ग्रौर सिंडीकेट का निर्माण कर दिया जब कि क्लॉज़ २ के ग्रन्तर्गत किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमने होल्ड किया कि क्लाज़ दो काम में नहीं लाया जा सकता, ग्रौर जहां इलेक्शन का प्रावधान है उसके ग्राधार पर सीनेट ग्रौर सिंडीकेट का निर्माण हो सकता है, न कि क्लॉज़ दो के ग्रन्तर्गत। माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि यह सीनेट ग्रौर सिंडीकेट का निर्माण हुग्रा है यह रिमूवल ग्रॉफ डिफीकल्टीज़ ग्रॉर्डर के ग्रन्तर्गत हुग्रा है या नहीं। यह डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले से प्रमाणित हो जाता है, उसमें हैं कि इनका कॉन्स्ट्रीट्यूशन, वाइस चान्सलर ने सीनेट ग्रौर सिंडीकेट का निर्माण उसके ग्रन्तर्गत किया यह न्यायसंगत नहीं था। यह ग्रदालतों ने माना है, यह निष्कर्ष निकाला है कि सीनेट ग्रौर सिडीकेट का क्लॉज़ दो के ग्रन्तर्गत निर्माण हुग्रा है, जज ने यह होल्ड किया हैं। इसलिए यह सवाल पैदा नहीं होता कि सीनेट ग्रौर सिंडीकेट को कॉन्स्टीट्यूट किया था वह उस ग्राधार पर हुग्रा या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फैसले में कहां लिखा हुग्रा है कि सीनेट ग्रौर सिंडीकेट कान्स्टीट्यूशन है वह रिमूवल ग्रॉफ डिफीकल्टीज़ ग्रार्डर के तहत हुग्रा है। उन्होने कहा है कि एप्लाई नहीं होता।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला जहां ग्राया है, यूनिवर्सिटी

(श्री निरंजननाथ ग्राचार्य)

ने प्रश्न रखा कि सीनेट और सिन्डीकेट बना ली है इसलिए पहला प्रश्न मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने तय किया है, उसके बाद किया है, यहां पैदा नहीं होता। दोनों फैसलों को देखकर रिमूवल ग्राफ डिफिकल्टीज़ ग्रार्डर के तहत किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या ग्रापकी यह मान्यता है कि २८ अक्टूबर, १६६२ को रिमूवल ग्राफ डिफिकल्टीज़ ग्रार्डर जारी किया गया उसके तहत सीनेट और सिन्डीकेट का कान्स्टीट्यूशन हो गया ?

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : मान्यता जजमेंट में है, वही मान्यता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जजमेंट में जो मान्यता है वही ग्रापकी मान्यता है तो उसे ही मानें।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : जजमेंट में है, वह यह है :

"Whereas the diffictulty arises regarding the constiution of the Senate, after the coming into force of the Rajasthan University Amendment Act, 1962...Government in consulation with the Chancellor hereby makes the following order..."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह प्रश्न नहीं है, वह प्रश्न दूसरा है। प्रश्न यहां यह है कि जब रिमूवल ग्राफ डिफिकल्टीज़ ग्रार्डर २८ अक्टूबर, १६६२ को जारी किया और उसके तहत सीनेट और सिन्डीकेट का रीकान्स्टीट्यूशन हो गया पर ग्रापकी जानकारी में वह अमेंडमेंट नहीं है जो अमेंडमेंट सर्कुलेट हुआ है। मुख्य मुद्दा तो वही है यह तो सैकेन्डरी थिंग है। उन्होंने सर्कुलर इश्यू किया है :

"Reconstituted authortties means the Senate and Syndicate of the University of Rajasthae, reconstituted under the Removal of Difficulties Order :"

यह है सीनेट और सिन्डीकेट का पर उनको बहम पैदा हो गया, मैंने चेम्बर में भी कहा था कि लेकूना है। ग्रापने अमेंडमेंट किया है, वह यह है :

"Shri N.N. Acharya to move that Clause 2 in sub-clause (4) for the words 'reconstituted under the Removal of Difficulties Order' substitute the words' as first reconstituted after the commencement of the amending Act".

कभी भी कान्स्टीट्यूट हुई हों, जो सदन में पारित किया है, १२ नवम्बर १६६२ से लागू हुआ ग्रापको जानकारी नहीं है, २८ को कान्स्टीट्यूट हुई, बाद में हुई या पहले हुई। अगर ग्राप यह नहीं कह सकते, और बिल में

Page No. 85

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जो व्यवस्थाएं हैं उनके तहत कान्स्टीट्यूशन नहीं हुआ है तो वेलिडेट करने का यह बिल बिलकुल बेकार है। इसलिये साफ बताइये कि सीनेट और सिन्डीकेट का रीकान्स्टीट्यूशन २८ अक्टूबर, १९६२ के रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत हुआ या नहीं। यदि हुआ तो इस पर विचार करेंगे और यदि नहीं हुआ तो कैसे हुआ. किसके द्वारा हुआ, कब हुआ, यह बताइये । तभी रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के आधार पर विचार किया जा सकता है। यह स्पेसिफिक क्विश्चन है, स्पेसिफिक ही जवाब दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : University of Rajasthan (Amendment) Act, 1962. से कान्स्टीट्शन हुआ, इसी से आपत्तियां उठाई हैं फिर प्रश्न कहां पैदा होता है कि हुआ या नहीं हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने क्या कहा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने पढ़ कर सुना दिया जो हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २८ अक्टूबर, १९६२ के आर्डर के तहत सीनेट सिन्डीकेट रीकान्स्टीट्यूट हो गई ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हां, इस रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के अन्तर्गत सीनेट और सिन्डीकेट का कॉन्स्टीट्यूशन नोमिनेशन के माध्यम से हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है, रिमूवल ऑफ डिफि-कल्टीज ऑर्डर के तहत हुआ या नहीं ?
(उपमन्त्री महोदय के अधिकारी दीर्घा की ओर जाने पर)

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, ट्रेजरी बेंचेज में कोई नहीं है, वेक्यूम पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसे पूरा कर देता हूं। माननीय सदस्य ने यह ओब्जेक्शन उठाया की स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। Reconstituted authority means the senate & Syndicate of the University of Rajasthan. माननीय सदस्य कहते हैं कि अदालत के निर्णय के तहत रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर लागू नहीं होता तो जो जो आज्ञा सरकार की ओर से निकली हैं, जो सरकार समझती है रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत निकली है सीनेट और सिन्डीकेट को रीकान्स्टीट्यूट करने के लिए उसके वैधकरण के लिए यह अमेंडमेंट लाया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां है यह ?

श्री अध्यक्ष : उप मन्त्री महोदय ने पढ़ कर सुनाया उसी के तहत करते हैं। शायद माननीय सदस्य का यह कहना है कि उसके तहत करने का अधिकार नहीं है पर उप-मंत्री महोदय का कहना है कि जो रीकान्स्टीट्यूशन हुआ है उसका वैधीकरण करना आवश्यक है इसके द्वारा वैधकरण किया जा रहा है। रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत ठीक हुआ या नहीं हुआ है, माननीय सदस्य की आपत्ति के बाद उन्होंने कहा कि यह शब्द हटा कर, कर रहे हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें दम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दम इसी में मान लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैसे तो भले ही हम इसे पास करें पर प्रश्न यह है कि रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत सीनेट और सिन्डीकेट का रीकॉन्स्टीट्यूशन नहीं हुआ है। जिसे वे मानते हैं और अमेंडमेंट अगर हुआ है तो बेकार है, नहीं हुआ तो उसके तहत विचार करेंगे। जब तक वह अमेंड्मेंट स्वीकार नहीं होता तब तक यह अमेंडिंग बिल स्क्रेप आफ पेपर है, बेकार है। रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत यह किया गया कि जिन लोगों का इलेक्शन होना चाहिए, ६२ के सितम्बर में हमने कानून पास किया, उसमें दिया गया कि सीनेट और सिन्डीकेट इस प्रकार से होंगी। पर उन्होंने सरकार को लिख दिया कि जल्दी से जल्दी नोमिनेशन कर दिया जाय ११ (२) के तहत सरकम्वेन्ट कर के, तो सरकार ने एक आज्ञा निकाली केवल कुछ लोगों के बारे में और जिन लोगों का इलेक्शन होना चाहिए था उनका नोमिनेशन कर दिया, २८ अक्तूबर के रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत आज्ञा जारी करदी कि इनको नोमिनेट करते हैं, जिनमें से कुछ को नोमिनेट करने का अधिकार था व कुछ को नोमिनेट करने का अधिकार नहीं था, इलेक्शन करना चाहिए था पर उनका नोमिनेशन कर दिया गया। २८ अक्टूबर के रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत सीनेट, सिन्डीकेट का रीकान्स्टीट्यूशन नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो वह आदेश पढ़ कर सुनादें जिसके जरिये यूनिवर्सिटी की सीनेट सिन्डीकेट कान्स्टीट्यूट हुई हैं। यूनिवर्सिटी की सीनेट सिन्डीकेट कान्स्टीट्यूट हुई तभी मानी जाती हैं जब कि मेम्बर्स का नोमिनेशन वगैरह सभी पूरा हो जाता है जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटी तभी कान्स्टीट्यूट हुई मानी जाती है जबकि कोओप्शन वगैरह हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा आपको इस सदन के दो माननीय सदस्यों को नोमिनेट करने का अधिकार था, ३ नवम्बर, १९६२ को आपने श्री केदार शर्मा और श्री हरिप्रसाद शर्मा को सीनेट के लिए नोमिनेट किया। इसका मतलब यह है कि २८ अक्टूबर १९६२ को वह रीकान्स्टीट्यूट नहीं हुई, बाद में हुई है। इसलिए रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत रीकान्स्टीट्यूशन होना माना नहीं है। लेजिस्लेचर की भी मंशा नहीं थी, पर एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदन की इच्छाओं का अपमान किया गया है। कोर्ट ने तो कहा है कि सरकार को अधिकार ही नहीं था यह आर्डर निकालने का। तो सरकार इस स्थिति को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

साफ करे। बिल के प्रोविजन्स इस प्रकार के हैं तो इसे सदन में पेश करने का कोई मतलब हीं नहीं, स्क्रेप आफ पेपर हो जायगा, सरकार के २८ अक्टूबर के रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के तहत यूनिवर्सिटी की सीनेट, सिन्डीकेट रीकान्स्टीट्यूट की गई या नहीं....

श्री अध्यक्ष : सरकार की स्थिति साफ है कि जो कुछ हमने किया है सब वैध है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वे प्रायः उठा दिये गये हैं। मुंसिफ के सामने यही प्रश्न उठाया गया, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने यही प्रश्न उठाया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं जो डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला है उसमें से कुछ अन्श प्रस्तुत करता हूं :—

"It is, therefore, held that the senate and syndicate has not been constituted in accordance with the law. This issue has rightly been decided in favour of the plaintiff." अभी आपने जो प्रश्न उठाया है उसे मैं मंजूर करता हूं लेकिन जहां तक सेक्शन १८ ऑफ दी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज़ (फर्स्ट) आर्डर १९६२ है उसके क्लाज (५) में लिखा है :—

Five principals to be elected from that particular constituency. ये पांच प्रिन्सीपल इलेक्शन के माध्यम से आने चाहिए। मगर किया यह गया है कि इलेक्शन से नहीं लिये गये, वे नोमीनेट कर दिये गये।

श्री अध्यक्ष : यह भी रिमूवल ओफ डिफिकल्टी में आता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Yes.

Four persons not being teachers elected by registered graduates. यह भी इलेक्शन के माध्यम से आना चाहिये। लेकिन ये भी नोमीनेशन से किये गये।

Clause 21-18-two principals of degree Colleges—They were also to be elected. इनकी भी एपोइन्टमेंट हो गया जहां तक क्लाज २५ और १८

Four persons elected by the teachers from amongst themselves यह भी एपोइन्टमेंट नोमीनेशन द्वारा हुआ। अब सेन्डीकेट Two members of the Senate to be elected by the Senate one of them must be a registered graduate. यह भी एपोइन्टमेन्ट हो गया।

श्री अध्यक्ष : एक ही आर्डर निकाला था अलग अलग ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक ही आर्डर निकाला था ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : And three members to be elected. यह भी हो गया । एक तो स्थिति अध्यक्ष महोदय यह है । जहां तक इन्हें एपोइन्टमेंट कहा जावे या नोमिनेशन कहा जावे और जहां इनके नोमिनेशन का प्रश्न है इसका वाइन्स चान्सलर और चान्सलर ही कर सकते हैं । यह आर्डर रिमूवल आफ डिफिकल्टीज १९६२ के सेक्शन २१ में है । तो प्रश्न यह हुआ कि जो नोमिनेशन या एपोइन्टमेन्ट हुए रीमूवल ओफ डिफिकल्टीज, १९६२ का एमेन्डिंग एक्ट है उसके अन्दर तो कहा कि यह नोमिनेशन हो गया । That means the full phase is a mixture of both. तो इस प्रश्न का सारा का सारा प्रश्न मुन्सिफ कोर्ट के सामने रखा गया, उसको डिस्ट्रिक्ट जज के सामने रखा गया । दोनों की इस सम्बन्ध में फाइन्डिंग है इसलिए सारे के सारे प्रश्न को देखते हुए यह आर्डीनेन्स लाना पड़ा और यह इन सारी स्थितियों को देखते हुए किया है कि यह प्रावधान दोनों स्थितियों की पूर्ति करता है और अध्यक्ष महोदय, "Not withstanding contained intheprincipal Act anything orin any judgement, decree or order of any court or any defect in the Removal of Difficulties order--

(i) the reconstituted authorities shall be and shall be deemed always to have been validly constituted and shall function and shall be deemed always to have functioned as validly constituted bodies till another senate & syndicate are constituted.

यह प्रेजेन्ट पास्ट और फ्यूचर तीनों को कवर करती है । इसलिए कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर रहता नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने एमेन्डमेंट मूव किया है । आप तो यह कह दें २८ अक्टूबर, १९६२ के ऑर्डर के अन्तर्गत सीनेट रीकॉन्स्टीट्यूट हो गई और यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर ने आज्ञा प्रसारित की ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने आपको जो प्रोविज़न था पढ़कर सुनाया Still do you think it is inadequate to cure all errors. यह सुन लीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is for you to consider your Depertment and then to give your opinion before the House.

मेरा तो पोइन्ट ओफ ऑर्डर बिल्कुल स्पष्ट है वह यह कि सरकार ने यह मान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लिया है कि रीमुलक-ग्रोफ डिफिकल्टीज़ ग्रौर्डर ६२ के अन्तर्गत यह सीनेट रीकान्स्टीट्यूट हो गई ग्रौर अगर नहीं हुई है तो बेकार है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप दो घोड़ों की सवारी करना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : परिवर्तन में एक घोड़ा कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को जो अधिकार उनके थे। Letters were issued, regarding reconstitution of senate for the University of Rajasthan. ग्रौर अब क्लॉजके बारेमें लिखाहै वह यह लिखाहै The Senate has been reconstituted from 29th Nov. 1962, ये जो वाइस चान्सलर ने लेटर निकाले हैं। आपने लेटर्स नहीं निकाले। आपने ग्रॉर्डर निकाला ग्रौर वाइस चान्सलर को भेज दिया। उन सारे लोगों को वाइस चान्सलर ने ग्रॉर्डर इश्यू किया।

२९ नवम्बर को सीनेट से उनको यह लेटर जारी किया है। आपने लेटर्स इश्यू नहीं किये हैं। जिसका नोमिनेशन किया गया उनको भी लेटर जारी किये। इसलिए यह कहना कि २८ अक्टूबर या नवम्बर जो भी है यह सीनेट कॉन्स्टीट्यूट हो गई। इसके लिए मेरा तो इतना ही पोइन्ट ग्रोफ ग्रॉर्डर है इसकी तहत में खुद माननीय मंत्री ने सरकूलेट किया है कि यह एमेंडिंग एक्ट के बाद में हुआ है। तो यह सब रखते हुए उनको तरफ़ मीन नहीं दिया। स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रोब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में यह है उसको रखते हैं तो प्रीएम्बल ग्रौर टाइटल स्टेन्ड नहीं हो सकता। मेरा यह इतना ही संकेत है कि इसी प्रीएम्बल में आपने इसको लाने के कारण दिये हैं ग्रौर स्टेटमेंट ग्रॉफ ग्रोबजेक्ट्स में दूसरे कारण दिये हैं जो एक दूसरे के प्रतिकूल है। इसलिए इनको रीकोन्साइल किये बिना यह ठीक नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्र ने आपत्ति उठाई है उनका संकेत इस बात से है कि विधेयक का ड्राफ्टिंग हुआ है उससे जो मन्शा इस बिल की है वह पूरी नहीं होती है ग्रौर इस बात को सरकार ने स्वीकार करते हुए एक संशोधन निकालने का प्रावधान किया है। प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्टेटमेंट ग्रोफ ग्रोबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स के बीच में मैं समझता हूं कि इसमें एमेन्डमेंट किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। एमेन्डमेंट हो वह केवल ग्रोरिजनल क्लाज है उन पर हो। इन सारी बातों पर विचार करने से जैसी माननीय सदस्य की स्वयं की इच्छा है वह पूरी हो जावेगी। इस लिए मैं समझता हूं कि अब इस पर बहस नहीं की जानी चाहिए। जहां तक स्टेटमेंट ग्राफ ग्राब्जेक्ट्स के संशोधन का प्रश्न है, इनका संशोधन नहीं हो, यह मैं स्वीकार करता हूं

(श्री अध्यक्ष)

और उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(१२ मध्यान्ह)

The Government will be grateful that you have pointed out this,

नहीं तो आइन्दा जाकर बात आती तो ठीक नहीं होता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But the Dy. Minister is not courteous enough to give me that thanks even....

श्री निरंजननाथ आचार्य : I will extend that courtesy of thanking him.

श्री अध्यक्ष : They will take wrong turn.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यादेश सदन में प्रस्तुत हुआ है और जिसके सम्बन्ध में एक विधेयक सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है उस सम्बन्ध में मैं सदन को पुनः दो मार्च से प्रारम्भ होने वाले उस सप्ताह की ओर ले जाना चाहता हूं जिस सप्ताह में सदन में हम लोगों ने राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अध्यादेशों पर विचार किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस सदन में हरेक माननीय सदस्य ने राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने की प्रवृति की घोर भर्तसना की और उसका परिणाम यह निकला कि सरकार के एक मन्त्री सदन की भावनाओं का आदर करते हुए इस बात पर मजबूर हुये कि अध्यादेश जारी करने की परंपराओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया। इतना ही नहीं सदन को यह भी विश्वास दिलाया कि भविष्य में सरकार इस सम्बन्ध में अधिक जागरूक रहेगी और इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने की नौबत न आए, इस सम्बन्ध में कदम उठाएगी। अध्यादेश जो जारी किया गया उस सम्बन्ध में सरकार की ओर से खेद प्रकट किया गया और मैं इतना भी कह दूं कि एक माननीय उपमन्त्री महोदय ने सारी परिस्थितियों के लिए एक क्षमायाचना भी की। उस समय जो वाद-विवाद हुआ उसमें हमने इस बात का विरोध किया कि सरकार जो अध्यादेशों के आधार पर चलना चाहती है वह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अध्यादेशों के आधार पर सरकार को चलाना उचित नहीं है। आखिर हमने हिन्दुस्तान में पालियामेंटरी फार्म आफ गवर्नमेंट स्वीकार किया है और उस हालत में यह सदन राज्य के लिए कानून बनाता है। मैं अपने विचार रखूं उससे पहले सदन के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह परिस्थिति आध्यादेश के बारे में क्यों पैदा हुई। १९६२ के सितम्बर माह में सरकार ने इस सदन में कानून पेश किया-राजस्थान विश्वविद्यालय विधेयक संशोधन करने की दृष्टि से। उस संशोधन विधेयक पर २४ सितंबर और २५ सितंबर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को सदन में विचार हुआ। जिस समय विचार हो रहा था उस समय सिंडीकेट और सीनेट की स्थापना के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं थीं, जो मूल कानून में थीं उनमें संशोधन करके नए कानून के तहत नए तरीके से मनोनीत करने का प्रावधान किया जा रहा था।

उदाहरण के लिए प्रिन्सीपलों को नोमीनेट करने का अधिकार वाइस चान्सलर को था, लेकिन इस सदन की भावनाएं नोमीनेशन के विरुद्ध थीं और इसलिए सदन के माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किया कि नमीनेशन के स्थान पर इलेक्शन होना चाहिए और इसलिए ५ प्रिन्सीपलों को जो नामीनेट करने की व्यवस्था थी उनकी इलेक्शन के बारे में हमने यहां व्यवस्था की वह धारा १८ के क्लाज १५ में है। वह संशोधन इस सदन में स्वीकार किया गया। उसके आधार पर हमने इलेक्शन की और भी व्यवस्थाएं कीं और उसके बाद में वह कानून १२ नवम्बर १९६२ को लागू हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय सारे झगड़े की जड़ धारा ११ (२) जिसके तहत रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर है। जब मामले अदालतों में गए तो राज्य सरकार ने ११(२) के तहत रिमूवल आफ डिफीकल्टीज आर्डर जारी किया। जब वह आध्यादेश सरकार ने जारी किया। फिर माननीय मन्त्री महोदय ने सदन में एक संशोधन प्रस्ताव रखा था। उस संशोधन के प्रस्ताव को माननीय सदस्यों ने जानना चाहा कि आखिर बात क्या है? मैं तारीफ करूंगा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य की जो कानून को कुछ भी नहीं समझते, इस सदन में इस बात की मांग की और माननीय सदस्य मन्त्री महोदय को इस बात के लिए डांटा कि आखिर धारा ११(२) जो आप डालना चाहते है, यह है क्या? आखिर आप इसके द्वारा क्या चाहते है? इस सम्बन्ध की मांग उन्होंने सदन में प्रस्तुत की थी। माननीय उपमन्त्री महोदय जो उस समय श्री निरंजननाथ आचार्य थे, नसीराबाद से आने वाले माननीय सस्दय ने उनसे यह कहा कि आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। धारा ११ (२) के बारे में कहा कि इसकी मन्शा यह है कि वाइस चांसलर जिस तरह से चाहेंगे एप्लाइ करेंगे। किस टुकड़े को लागू करेंगे, किसको रखेंगे इसके लिए स्पष्ट हाऊस को...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं तो आपको कानून पढ़ा सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको किसने बहका दिया। मैंने तो आपकी तारीफ की है। मुझे दुख है कि उनमें इतनी समझ नहीं है कि मैं तारीफ कर रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैंने भी उन्हीं शब्दों में आपकी तारीफ की है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : ये तो शब्दों का अर्थ कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस दिन उनके दिमाग में यह बात आई कि सरकार से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्लैरीफिकेशन चाहा और चाहा कि आखिर सरकार की मन्शा क्या है। उसमें श्रीमान भैरोंसिहजी ने भी आपत्ति की और कहा कि बड़ा इन्पोर्टेंट अमेंडमेंट है विचार किया जाय, अभी सरक्यूलेट हुआ है, समय दिया जाय। लेकिन श्री निरंजननाथ आचार्य ने कहा था कि क्या है, क्लाज़ ११ (२) चल सकता है, कोई एम्बीग्यूटी न रह जाय इसलिए अमेंडमेंट्स पेश की हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो वापस ले लेता हूं। जिस चीज को वापस लेने को तैयार थे, जिस चीज को आप इन्सिगनीफिकंट और इगनोरेबल समझते थे यहां तक कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो वापस ले लूं, उस सारी चीज को आधार बनाकर आपने सारी मुसीबत पैदा की। आपने इस प्रकार का आर्डर जारी किया, आपने कानूनों को लूंगी लगाई, कानून के आधीन आपने अधिकार ले लिए। आखिर हुआ क्या? होता क्या? सरकार तो स्थिति स्पष्ट करे। २८ नवम्बर, १९६२ से यह कानून लागू हो गया। उसके बाद में आपको यह ऑर्डर निकालने की नौबत क्या आई? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिक्कत हो जाती अगर इलेक्शन हो जाता? सेक्रेटेरियेट में कुछ समय लगता। उसका बाद में सिंडीकेट और सीनेट कॉन्स्टीट्यूट होते। क्या आपकी वैलिडली रीकांस्टीट्यूटेड सिंडीकेट नहीं थी? आपके पास थी। लेकिन क्या बात थी? क्या यूनिवर्सिटी का काम रुका रहता? इलेक्शन में अगर दो महीने का समय लगता तो क्या होता? जो वाइस चान्सलर महोदय ने आपको लिखकर भेजा उस आधार पर आपने रीकॉन्स्टीट्यूट किया। क्यों किया? क्या जरूरत थी? आप समझाइये सदन को। सिवा इसके कि जो पुरानी सिंडीकेट थी वह पुरानी सिंडीकेट श्री मोहनसिंह मेहता के पक्ष में नहीं थी। उनका टर्म आपके हिसाब से ४ जनवरी १९६० को खत्म हो रहा था। मैंने उस समय कहा था कि कार्यकाल १ नवंबर १९५९ को खत्म हो रहा है। सरकार ने नहीं माना। वह ४ जनवारी, १९६० मान कर चली। आपको क्या दिक्कत थी यदि वह पुरानी सिंडीकेट रहती? सिलेक्शन कमेटी के बारेमें वह कॉन्स्टीट्यूशन करते, वाइस चान्सलर दूसरे आ जाते। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं था। आप अमेंडिंग बिल इसी भावना से लाये इसलिए चेंज किया, यह आरोप हमने २४ सितम्बर, १९६२ को लगाया था कि यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, यह अमेंडिंग बिल नहीं है, यह तो रीअपोइन्टमेंट ऑफ डॉक्टर मोहनसिंह मेहता बिल है, लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय ने सदन में हस्तक्षेप किया और कहा कि सदन किधर जा रहा है, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डा० मोहनसिंह मेहता की रीएपाइंटमेंट का सवाल नहीं है। सवाल नहीं था तो फिर रिमूवल ऑफ डिफीकल्टीज़ आर्डर क्यों निकाला गया? पुरानी सिंडीकेट काम कर रही थी। वह सिन्डिकेट सिलेक्शन कमेटी बना कर चान्सलर के पास नाम भेज देती, सारा काम हो जाता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है इस बात का कि केवल इस दृष्टि से यह सारा काम हो, जल्दी से जल्दी सिन्डिकेट न बन जाय, मर्जी के आदमी आ जांय, जिन आदमियों का नाम वाइस चांसलर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

महोदय ने आपको भेजा नोमिनेट के लिए, इलेक्शन का प्रोसेस छोड़ा, उनको सरकार ने नोमिनेट कर लिया। आपने अपनी बुद्धि नहीं लगायी, आपने अपनी अक्ल से काम नहीं लिया। वाइस चांसलर ने आपको डिक्टेट किया और जिन लोगों के नाम भेजे उनको नोमिनेट कर दिया। कानून के लूंगी लगा दी और अध्यक्ष महोदय, पांच प्रिन्सिपल्स के मामले में तो इस सदन में संशोधन स्वीकार किया, इलेक्शन होना चाहिये, नोमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज सदन जो भाव व्यक्त कर रहा है, सदन को भी अधिकार नहीं है कि दो महीने में, एक महीने में या छः महीने में उनको बदल दे। लेकिन आपने एक महीने के बाद एक स्ट्रोक ओफ पेन से वाइस चांसलर के कहने पर वाइस चांसलर के सेल्फ इन्ट्रेस्ट में, उस सरकारी कानून का दुरुपयोग किया, सदन की भावना का दुरुपयोग किया, सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा का दुरुपयोग किया, लोक तन्त्र का गला घोटा और एक तानाशाह की तरह से उपकुलपति को बनाने के लिए ऑर्डर जारी किया। आपकी सिन्डीकेट नयी बना गई। १३ दिसम्बर को मीटिंग हुई। १३ दिसम्बर की मिटिंग में सिलेक्शन कमेटी बन गयी और उसने नाम की सिफारिश कर दी और दुबारा वाइस चांसलर बन गये। उस सारी कार्यवाही को अदालत में चेलेन्ज किया गया। अदालत ने फैसला दिया। सारी चीज गैर कानूनी करार दी। युनिवर्सटी ने अपील की। अपील के समय, अध्यक्ष महोदय मैं उन सारी चीजों नहीं जाना चाहता, राजस्थान सरकार "का लॉ डिपार्टमेंट, लॉ ऑफिसर्स आज अदालतों के बारे में क्या रवैया अपनाते हैं। क्यों नहीं होगा? सरकार का रवैया हो तो अफसर का क्यों नहीं होगा? एडवोकेट जनरल ने बहस की। कानून का कोई मुद्दा नहीं। कहा नीचे की मुन्सिफ अदालत ने सस्ती पब्लिसिटी गेन करने के लिए चीप पोपुलेरिटी गेन करने के लिए दे दिया। डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील हुई। वह भी वैसा ही फैसला हुआ। हाईकोर्ट के पास दे रखा है। कह दीजिए उसके लिए भी यही। आखिर, मैं समझता हूं, न्यायालयों के प्रति ये उपेक्षा के भाव ऑफिसर्स का क्यों है? सरकार के ये भाव हैं ऑफिसर्स का क्यों नहीं होगा। सरकार के यह भाव हैं, सरकार अदालतों को फैसलों पर बांधना चाहती है, सरकार अदालतें फैसला दें उससे पहले ही रीवेलिडेशन बिल लाना चाहती हैं? मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसा उदाहरण बता सकते है कि कोई अपील पेन्डिग हो और वेलिडेटिंग बिल लाया गया हो? डिसिजन के बाद ही लाया जाता है। सरकार बताये, कोई सूट पेन्डिग है, कोई वेलिडेटिंग बिल लाया गया हो, ऐसा उदाहरण सदन के सामने रख दिया जाय। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह जहां एक ओर गलत परम्परा है वहां दूसरी ओर सरकार द्वारा ऑर्डिनेन्स जारी करना, ३ फरवरी को फैसला हुआ, ४ फरवरी को ऑर्डिनेन्स निकालो, मेरा तो सरकार पर यह चार्ज है, अध्यक्ष महोदय, ४ फरवरी को यह ऑर्डिनेन्स निकला, सरकार का ऑर्डिनेन्स में यह लिखना........

श्री हरिराम (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, ३ फरवरी, १९६२ को डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला हुआ और ४ फरवरी को ऑर्डिनेन्स निकला मैं माननीय उप शिक्षा मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह ऑर्डिनेन्स निकालने का तब ही निर्णय लिया जब कि फैसला हुआ और निर्णय लिया तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऑर्डिनेन्स कब निकालने का फैसला लिया ? कब यह आर्डिनेन्स राज्यपाल के पास भेजा ? कब इस ऑर्डिनेन्स पर राज्यपाल महोदय ने दस्तखत किये ? कौनसी तारीख को राज्यपाल महोदय को दस्तखत करने के लिये भेजा और कौनसी तारीख को राज्यपाल महोदम ने इस ऑर्डिनेन्स पर दस्तखत किये ? मैं तो अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने एक नजरिया यह भी रखना चाहता हूं यह जो आर्डिनेन्स जारी किया गया है, जो सदन के सामने है, यह ऑर्डिनेन्स संविधान की धारा २१३ के विरुद्ध है। आप, अध्यक्ष महोदय, इस ऑर्डिनेन्स को देखेंगे, उसको देखने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेगे कि संविधान की जिस धारा २१३ की व्यवस्थायें हैं उनका पालन नहीं हुआ है। आर्डिनेन्स आपको जल्दीमें जारी करना था यही कारण हो सकता है। आपको संविधान की धाराओं का कोई ज्ञान नहीं, यह कारण हो सकता है, लेकिन संविधान की धाराओं का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो उसका प्रिएम्बल है इसमें जो कुछभी आप पढ़ेंगे इसमें आखिर में लिखा है :

"Whereas the Rajasthan Legislative Assembly is not at present in Session aud whereas the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take action in this behalf........

मैं नहीं पढ़ना चाहता आगे। यह आपने ऑर्डिनेन्स निकाला। ऑर्डिनेन्स संविधान की धारा २१३ में किस प्रकार निकलना चाहिये, मैं उस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान एक ऐसे ही ऑर्डिनेन्स बिहार की सरकार ने निकाला. उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उस ऑर्डिनेन्स में संविधान की धारा २१३ में क्या शर्त है और क्या चीज लिखनी चाहिये थी, एक चीज़ लिखनी रह गई प्रिएम्बल में उसी आधार पर सारे आर्डिनेन्स को ही वॉइड करार दे दिया। यह सन् १९५० का पटना हाई कोर्ट का फैसला है। बिहार की सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स निकाला और अध्यक्ष महोदय, उस ऑर्डिनेन्स में जो भाषा थी हमारे ऑर्डिनेन्स की भी वैसी ही भाषा है। कम्प्लीटली वही भाषा। लेकिन उसमें जो एक चीज रह गयी थी, हाई कोर्ट के जज थे मारिटचीफ जज थे, उनका जजमेन्ट है। पेज ३३९ पर मैं आपको सूचना के लिए पढ़ना चाहता हूं।

"I now come the ground of attach which has caused me personally most difficulty and anxiety.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

It is that the Preamble to the Ordinance does not show that the necessary conditions for its promulgation, as requried by Art. 213, really existed. The conditions for the promulgation of an Ordinance as set out in Art. 213 (1) are—

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require..."

यही हमारे यहां पर है।

"Whereas the Houses of the Legislature of the State of Bihar are not in session;

And whereas the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to provide for the preventive detention in connection with the public safety...and maintenance of public order is in the State of Bihar.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by cl. (1) of Art. 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make and promulgate the following Ordinance."

यहां उसके बाद हमारे यहां भी यही लिखा हुआ है।

The same thing has been here in our case.

बिहार के ऑर्डिनेन्स की लैंग्वेज थी यही राजस्थान के ऑर्डिनेन्स की लैंग्वेज है। मैं समझता हूं कि इससे कोई अन्तर हो तो माननीय उपमंत्री महोदय मुझे यहीं पर करेक्ट कर दें। आगे क्या कहता है? आगे कहता है :

"For a vaild Ordinance, two conditions are necessary under Art. 213;

(1) That the Governor is satisfied that circumstances exist which require immediate action, and (2) that in his opinion the circumstances require such an Ordinance as he promulgates. The preamble makes it clear that the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

first of these conditions is satisfied.

It is stated that the Governor is satisfied of the necessity of immediate action. But the second condition is not satisfied. The Governor has not stated, as he should have done, that in his opinion the circumstances required an Ordinance in these terms. The preamble should have been, "And whereas the Governor of Bihar is satisfied that circumstances, exist which render it necessary for him to take immediate action to provide for preventive detentoin in connection with the public safety and maintenance of public order in the State of Bihar; and whereas these circumstances, in the opinion of the Governor, requires the promulgation of an Ordinance in the following terms; now, therefore etc. etc."

This point at first glance may appear highly technical or even trivial. Yet, in my opinion, this is the rock upon which this Ordinance must founder. A slender pinnacle of rock is sometimes the sharpest and most effective in sinking the ship. We are apt to lose sight of the importance of the point simply because we almost inevitably think of the matter in the light of the existing circumstances and the existing cordinance and find it difficult to ignore the fact that the present Ordinance is quite clearly one appropriate to the circumstances.

Then it says, Sir, ' In other words, there must be a certificate by the Governor—a certificate which shows that he has applied his mind to the matter and has honestly formed an opinion—a bonafied opinion, that not only do the circumstances require immediate action, but the circumstances also require such an Ordinance as he promulgates."

While giving an argument they have further said :

"An example will make this clear, if we are to test the validity of the preamble, we must clearly consider below if not this particular preventive Detention Oridnance, but any possible preventive Detention Ordinance we can think of. Suppose the preamble had been followed by an ordinance to the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

effect that all persons wearing beards would be detained. This is by no means so absurd as it sounds. Such a measure has not always been too ridiculous for Government to contemplate, for example, Peter the Great of Russia put a tax upon beards, and every beardman in his dominions had to wear a disattached to the beard to show that he had paid his tax. If this is the Ordinance before us, must we uphold it on the terms of this particular preamble? Quite obviously not. It would be a proper case for declaring the Ordinance void because the certificate was not there that in the opinion of the Governor the circumstances required it. If that is so, we must reject the present Ordinance, however reasonable it may appear, upon the very same grounds.

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं माननीय मन्त्री महोदय यह बात रखना नहीं चाहते । बिहार आर्डिनेन्स की लेंग्वेज और राजस्थान के आर्डिनेन्स की लैंग्वेज ये दोनों बिल्कुल एक है ऐसी मेरी मान्यता है । जो पटना हाई कोर्ट कहता है सेकन्ड आर्डिनेन्स में मिसिंग है । संविधान की धारा २१३ ए. की कन्डीशन फुलफिल नहीं करता इसलिये ऑर्डिनेन्स वेलिड नहीं है । पटना हाईकोर्ट ने इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स को नल एण्ड वॉइड करार दिया है । जो ओब्जर्वेशन्स थे हाई कोर्ट के वे मैंने सदन के सामने पढ़ कर सुनाये हैं । इसलिए जो यह ऑर्डिनेन्स इश्यु किया गया है वह कोई माने नहीं रखता है और केवल स्क्रैप ऑफ पेपर है ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह कानून सब पर लागू किया है । डीन्स के अपॉइन्टमेंट्स को वेलिडेट किया है । डीन्स को वेलिडेट करने की आथोरिटी नहीं है । युनिवर्सिटी की क्या क्या ऑथोरिटीज है वह अलग दी हुई हैं । युनिवर्सिटी ऑथोरिटीज कौन कौन सी है, यह अलग से दी हुई है । Authorities of the University are defined in clause 17, यह धारा १७ है ।

डीन्स क्या हैं, वह भी धारा ६ में बताया गया है । The following shall be the officers of the University-Chancellor, Vice-Chancellor, so on and fo forth.

तो मैं यह पूछना चाहता हूं यह जो ऑर्डिनेन्स निकाला है वेलिडेशन ऑफ दी सीनेट एन्ड सिन्डीकेट इसमें डीन्स नहीं आते हैं । जिस टर्म्स द्वारा इनको अपॉइन्ट किया था इनको हटा नहीं सकते यह इतना इलीगल है । इसको आप जो इस कानून द्वारा वेलिडेट कर रहे हैं वह गलत है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर आप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस सबन्ध में विचार करें कि डीन्स का वेलिडेशन नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस समय जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक पर बहस हो रही थी पिछले सितम्बर, ६२ में, उस समय सदन में अमेन्डिग बिल पेश किया था। उसमें इस बात के लिये सरकार ने लिखा था कि जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल को मोडल बिल मानकर राजस्थान के यूनिवर्सिटी एक्ट को लाना चाहते हैं। मैं पूंछना चाहता हूं कि हमने उस समय मुख्य मन्त्री से कहा था कि जोधपुर विश्व विद्यालय के कानून मे फाइनेन्शियल लाएबिलिटीज़ और इर्रेगुलेरिटीज़ के बारे में व्यवस्था है। उसमें सरकार के द्वारा ऑडिटरों की नियुक्ति की व्यवस्था है। ऑडिटरों की नियुक्ति सरकार करती है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में कौन व्यक्ति नियुक्त करता है? अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार को अधिकार नहीं है नियुक्त करने का।

इसमें वाइस चान्सलर नियुक्त करते हैं, या यूनिवर्सिटी की सिंडीकेट करती होगी, जो उन्ही की है। मैं पूछना चाहता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय में फाइनेन्शियल लाएबिलिटीज़ और इर्रेगुलरिटीज़ के लिये सख्त प्रावधान है। अगर वहां पैसे का कोई दुरुपयोग करे, धन का अपव्यय करे, तो इसके लिए रेस्पोन्सिबिलिटी सरकार फिक्स अप कर सकती है। क्या इस कानून में राजस्थान विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था आपने की है जिसके द्वारा यदि धन का अपव्यय या दुरुपयोग करे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके?

अध्यक्ष महोदय, सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि आखिर राजस्थान विश्वमें विद्यालयमें जिसको हमने इस साल लगभग ५५ लाख की ग्रान्ट इन एड दी है और ३॥ लाख न्यू एक्सपेन्डीचर के लिये दिया है, आप दीजिये ग्रान्ट इन एड. मुझे आपत्ति नहीं, पर हिसाब के ऑडिट का इन्तजाम नहीं है।

राजस्थान विश्व विद्यालय की आर्थिक हालत किस तरह से डिटीरियोरेट हो रही है बहस के दर्मियान इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। आप केवल इन सारी बातों को टालना चाहते हैं। आपको मालूम है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्व विद्यालय के ऊपर ६२-६३ में १३,३७,२३६) रुपयों का घाटा था, डेफीसिट बजट था रेवेन्यू केपिटल साइड में और अब ६३-६४ में १७,६० १२६) रु०का और हो गया। और अब ६४-६५ में २१ लाख के डेफीसिट का एस्टीमेट है। इन तीन सालों में कुल मिलाकर इस विश्व विद्यालय को ५२ लाख का घाटा है। अब यह घाटा कौन चुकावेगा? कहां से चुकावेंगे? कैसे चुकावेंगे? चुकाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

अब कोशिश की जा रही है और मैं कहना चाहता हूं सदन में कि कोशिश यह की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जा रही है। राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा कि आपने चार कॉलेज इस विश्व विद्यालय को ट्रान्सफर किये। किस लिये किये ? इसलिये किये कि स्टेन्डर्ड आफ टीचिंग बढ जावे। फेकल्टी वाले इनको चलावें। यह कन्डीशन थी और एक्चुअल फेकल्टीवाइज टीचिंग हो। पर वह नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा चार कालेजों के बारे में राजस्थान की युनिवर्सिटी फेकल्टीवाइज टीचिंग करने को तैयार नहीं हैं। और अगर तैयार नहीं है इसके लिये तो मैं सरकार से कहूंगा कि वह इन चार कालेजों को इनसे वापिस ले लीजिये आपकी शर्तो को इसने पूरा नहीं किया। फेकल्टीवाइज टीचिंग नहीं किया। इसके लिये राजी नहीं हो रही है युनिवर्सिटी कहती है वहां पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग हो रहा है, नीचे का कालेजों में टीचिंग होता हैं पर कॉलेजों में पढ़ाई का स्टेण्डर्ड नहीं बढ़ा।

अब युनिवर्सिटी किस फिराक में है ? वाइस चान्सलर सोच रहा है। ५२ लाख का इस पर कर्जा है. इसे कैसे चुकाया जाय ? कोई चुकाने का रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, अध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि महाराजा कॉलिज और महारानी कॉलिज की बिल्डिगें हैं, उनको मोरगेज कर दिया जाय। गिरवी रख दिया जावे उनको। सरकार कहेगी कि कैसे रख दिया जावेगा ?

वह प्रोसेस ऐसा है श्रीमान्, सरकार ने उनसे यह कहा कि ये सारी बिल्डिगें के १) महीने में किराये ले लीजिये। एक करोड़ से ज्यादा की जायदाद सरकार एक रूपया महीने पर विश्वविद्यालय को देने की बात कहे, पर युनिर्वसिटी लेना न चाहे। इसमें क्या भेद है ? एक करोड़ की बिल्डिग एक रुपया महीने पर नहीं लेना चाहती। कोई पूछे इसमें क्या नुकसान है ? सरकार बराबर कह रही है ले लो, पर वह लेने को तैयार नहीं है। ले लो और एक रुपये महीने के किराये पर लीज एग्जीक्यूट कर दो। कहती है वह नहीं लेते क्योंकि लीज डीड में प्रोप्राइट्रीशिप राइट नहीं मिलते। ऑनरशिप नहीं होती। उसके टाइटल युनिर्वसिटी को ट्रान्सफर नहीं होते। और यह सब नहीं होता तो उन बिल्डिगों को विश्वविद्यालय मोर्टगेज नहीं कर सकती।

अब सरकार यह कहेगी कि मोर्टगेज का क्या सवाल पैदा हुआ ? कौन सवाल कर रहा है इसके लिये ? ऐसे ही हाउस में बातें मैन्युफेक्चर करते हो। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का आगामी अधिवेशन आवेगा, सरकार बिल लावेगी, अमेन्डमेन्ट बिल लावेगी और कहेगी कि युनिवर्सिटी को अधिकार दो ? किसका अधिकार, किस लिये अधिकार, कैसा अधिकार? उसको रूपया उधार देने के लिये दो। जायदाद को गिरवो रखने का अधिकार दो। यह युनिर्वसिटी अमेन्डमेन्ट प्रपोज कर रही है। माननीय मन्त्री महोदय चाहें तो मैं उनको सुना देता हूं, युनिवर्सिटी क्या अमेन्डमेन्ट लाना चाहती है, सरकार को वह क्या अमेन्डमेन्ट प्रोपोज करने जा रही हैं सिंडीकेट में क्या पास हुआ है, चाहें आप तो, चूंकि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मसला खड़ा किया है मैंने, मैं वह फ्रेजोलॉजी आपको सुना देता हूं :

"To borrow money or to obtain overdrafts from the Bank or from any Corporation or individual or Trust or benevolent funds for the purposes of the University on interest or otherwise and to mortgage, charge and hypothecate its movable or immovable properties by way of security for payment of the same."

यह अमेन्डमेन्ट आवेगा सदन में। छः महीने बाद आवेगा। युनिवर्सिटी ने प्रोपोज किया है १४ सितम्बर, ६३ की मीटिंग में। सीनेट से सरकार के पास जावेगा। एक ही भावना है इसके पीछे। चार कालेजों की एक करोड़ की प्रोपर्टी युनिवर्सिटी में आ जावे, फिर उसे रहन रख देंगे, गिरवी रख देंगे। वाइस चान्सलर का क्या हाल है ? वे यही सोच रहे हैं। तो आप विचार करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अन्त में इतना ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय की आर्थिक दशा खराब हो रही है और सरकार की ओर से यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम क्या करें। आप कुछ नहीं कर सकते। आप यह कर सकते हैं कि तीन फरवरी को अदालत का फैसला है और ४ फरवरी को आर्डिनेन्स निकाल दें, सदन इस बात के लिये निर्णय करे कि ५ मेम्बरों का इलेक्शन और और आप उन पांचों को नॉमीनेट कर दें, आप यह कर सकते हैं, आप सदन की भावनाओं का निरादर कर सकते हैं, ये काम आप बड़े मजे से और तुरन्त कर सकते हैं, वाइस चान्सलर को बनाये रखने के लिये सिंडीकेट को मर्जी माफिक बनाये रखने के लिये आप यह कानून यहां ला सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आखिर राज्यपाल महोदय ने आपके कहने से आर्डिनेन्स मन्जूर किया। वे आज चान्सलर भी हैं इसके।

इसमें एक बात और है, अध्यक्ष महोदय, इसमें एक धारा है, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल महोदय अगर चाहें तो युनिवर्सिटी के बारे में इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, । धारा १० में यह है :

"The Governor of Rajasthan shall be the Chancellor and the Chancellor shall have the right to cause an inspection...."

अध्यक्ष महोदय, युनिवर्सिटी एक्ट की धारा १३, १० और ३१ की तहत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय को आप निवेदन करिये कि सदन की बड़ी भारी इच्छा है कि आज राजस्थान में युनिवर्सिटी एज्यूकेशन सक्सैसफुल हो। जो आज उसका स्टेण्डर्ड गिरता जा रहा है, वह बढ़े। आज युनिवर्सिटी की जो हालत है सदन बर्दाश्त

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं कर सकता। कोई शिक्षा में रुचि रखने वाला नागरिक नहीं कर सकता। हम चाहते हैं विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। पर कैसे हो? आज जो हालत है जो-एजुकेशन का स्टेण्डर्ड है जो फाइनेन्शियल इर्रेगुलरिटीज है, परचेजेज में घोटाले हैं, इर्रेगुलेरिटीज है, फाइनेन्शियल लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, इन सारी दृष्टियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्यपाल महोदय से जो चान्सलर हैं कह कर इस प्रकार का हाई पावर कमीशन मुकर्रर करावें, युनिवर्सिटी का उससे इन्सपेक्शन करावें। मैं तो कहूंगा कि जोधपुर विश्वविद्यालय का भी कराइये आप और इनको सुधारें इस तरह। राजस्थान में इस तरह की परम्परा कायम करें कि आज की तरह इसकी एजूकेशन को कण्डम करने की नौबत नहीं आवे। मैं समझता हूं सरकार गम्भीरता से इस पर विचार करेगी। राजस्थान के विश्वविद्यालय की हालत को हमें सुधारना है। इसके लिये आप अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालय की तरह इस विश्वविद्यालय की भी जांच करने के लिये एक इन्स्पेक्शन जांच कमीशन बिठाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय अपना प्रस्ताव करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी युनिवर्सिटी आफ राजस्थान (अमेन्डिंग एण्ड वेलीडेटिंग) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) पूरा पढ़िये ना।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी युनिवर्सिटी आफ राजस्थान (अमेन्डिंग एण्ड वेलीडेटिंग) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इतने दबे हुए क्यों बोलते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय...,

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सम्भवतः माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह बहस चले, क्योंकि इस बहस के दौरान में माननीय सदस्य ज्यादा बोलना चाहते हैं बनिस्बत और किसी के। इसलिए सवा बजे तक इस पर बहस चलेगी और उसके बाद सारा मतदान इत्यादि होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम रह गया। पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर में ज्यादा समय चला गया और बाकी के दो मोशन्स थे एडजोर्नमेन्ट उनमें समय चला

(श्री भैरोंसिंह)

गया और युनिवर्सिटी का बिल बहुत इम्पॉरटेन्ट है और काफी मेम्बर्स बोलना चाहेंगे। इसलिए समय एक्सटेन्ड किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जो भी विचार हैं वह पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर के द्वारा या बहस के द्वारा सदन में ग्रा चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो कानूनी बहस ग्राई है।

श्री अध्यक्ष : ग्रौर भी बातें ग्राई हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे तो बहुत कम ग्राई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, ग्राज सदन के ग्रन्दर युनिवर्सिटी ग्राफ राजस्थान (वेलिडेशन ग्राफ दी री-कान्सटीट्यूटेड ग्रॉथोरिटीज) ग्रॉर्डिनेन्स, १९६४ जो कि ४ फरवरी को प्रोमल्गेट हुग्रा रेगूलेराइज़ कराने के लिए सदन के सामने कुछ ग्रमेंन्डमेन्ट्स के साथ उपस्थित किया गया है। ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्रमेन्डमेन्ट बिल जिस समय सदन के ग्रन्दर पेश हुग्रा उस समय कुछ गम्भीर तथ्य भी सदन के समक्ष ग्राये थे। जब इस बिल की एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी, ग्रॉथोरिटीज़, ग्रॉफिशियल्स ग्रौर दूसरी चीजें जिनके ऊपर सरकार ग्रमेन्डमेन्ट करना चाहती है स्पेशली इस बिल के ग्रन्दर सीनेट ग्रौर सिन्डीकेट जिनको कि सरकार ने नये तरीके से कान्सटीट्यूट किया ग्रौर वाइस चान्सलर के ग्रपाईन्टमेन्ट की जो कमेटी थी उसमें भी सरकार ने संशोधन किया तो इन बिलों के ग्रन्दर लगातार चर्चे हुए। सन् १९४६ का राजस्थान युनिवर्सिटी बिल था उसमें जो सिंडीकेट ग्रौर सीनेट मौजूद थी उसके ग्रलावा एक नयी सिन्डीकेट ग्रौर सीनेट इस दलील को ग्राधार बनाकर लाई गई कि एक तो जोधपुर युनिवर्सिटी का जो बिल पेश किया है उसको ग्राइडियल मानकर हम इस बिल के पैटर्न को पेश कर रहे हैं।

दूसरे, राजस्थान युनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। राजस्थान युनिवर्सिटी रेज़ीडेन्शल कम एफीलियेटिंग युनिवर्सिटी बन गयी है इसलिए परम ग्रावश्यक है कि बहुत जल्दी नई परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान में नयी नयी चेयर्स का निर्माण हो रहा है, राजस्थान युनिवर्सिटी का स्कोप बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को ग्राधार बनाते हुए एक ग्रमेन्डिग बिल सदन के ग्रन्दर पेश किया गया। इस बिल की बॉडी के ऊपर इस सदन के ग्रन्दर काफी ग्रमेन्डमेट्स पेश हुए ग्रौर हर ग्रमेन्डमेन्ट के ऊपर बहुत गम्भीरता से चर्चा हुई। सदन के माननीय सदस्यों ने इस ग्रोर विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि इलेक्टेड मेम्बर्स की गिनती को ग्राप ४६ के ग्रोरीजिनल बिल से भी कम कर रहे हैं जहां कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट का नम्बर पहले ५ था ग्रापने सिन्डीकेट के ग्रन्दर कम करके ४ कर दिया ग्रोर इसके साथ-साथ ग्रापने इस बिल की ग्रधिक से ग्रधिक क्लॉजेज के ग्रन्दर वाइस चान्सलर को ये राइट्स दिये हैं कि वह ग्रॉथोरिटीज़ को नॉमीनेट करे, वह लोगों को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नॉमीनेट करे। चाहे वह प्रिन्सिपल का सवाल हो, चाहे टीचर्स का सवाल हो, चाहे डीन्स का सवाल हो, चाहे टीचर्स को अपॉइन्ट करने का सवाल हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ को अपॉइन्ट करने का सवाल हो। एक के बाद दूसरे अधिकारों के अन्दर आप वाइस चान्सलर को यह अधिकार देते हैं कि वही इनको नॉमीनेट करे और उसके बाद यह सिंडीकेट एक मेम्बर का अपॉइन्टमेंट करे युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन एक मेम्बर को अपॉइन्ट करे और चान्सलर एक मेम्बर को अपॉइन्ट करे और तीनों वाइस चांसलर को इलेक्ट करें उसके टर्म को एस्टेब्लिश करें और साथ ही साथ उसके टर्म्स बदले नहीं जायेंगे यह प्रावधान भी आप रखते हैं।

इस सदन के अन्दर इस पर चर्चा हुई और सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी राय को बहुत गम्भीरता से व्यक्त किया और बिल के अन्दर काफी सुधार किये गये जहां कि ५ मेम्बर्स को नॉमीनेट करने का प्रश्न था वहां पर उनको चुनने का प्रावधान किया गया, जहां कि इसमें सदन का एक माननीय सदस्य जाता था वहां अमेन्डमेंट हुआ कि दो सदस्य जायेंगे, जहां ३ प्रिन्सिपल्स आफ दी कॉलेज को नॉमीनेट करने का सवाल था वहां पर उनको इलेक्ट करने का प्रश्न आया। माननीय सदस्यों ने इस बिल के स्कोप को अधिक से अधिक डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयत्न किया और उसके साथ ही साथ माननीय सदस्य ने इस ओर भी गम्भीरता से संकेत किया कि युनिवर्सिटी की स्थिति को सुधारने के लिए और उसके स्टेन्डर्ड को ऊंचा करने में और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकेडेमिक लोग आयें। लेकिन इसके बावजूद भी, हाउस के काफी रेजिस्ट करने के बावजूद भी ऐसे मेम्बर्स की संख्या ज्यादा रही जो कि वाइस चान्सलर के द्वारा नॉमीनेट होते हैं। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जब सरकार को एक वेलीडेटिंग बिल लाना पड़ा। यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? यह परिस्थिति किसके कारण हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ३ तारीख फरवरी को एक जजमेन्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में और ४ फरवरी को एक वैलीडेटिंग बिल लाया जाता है कुछ डिफिकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए, कुछ लोगों को वेलीडेट करने के लिए। कुछ डीन्स को जिनकी कि टर्म्स बाकी थीं उन डीन्स की टर्म्स और बाकी रहने के बावजूद भी नये डीन्स का अपॉइन्टमेन्ट कर दिया गया। कुछ ग्रेजुएट्स जो कि ड्यूली इलेक्टेड होने चाहिए थे उनको नॉमीनेट कर दिया गया। कुछ मेम्बर्स जो कि ड्यूली इलेक्टेड होने चाहिए थे इनको नॉमीनेट कर दिया गया। वे प्रवृत्तियां जिनकी ओर कि सदन के सदस्यों ने बड़ी गम्भीरता से संकेत किया वही की वही स्थिति उभर कर सामने आई और परिस्थितियों ने सदस्यों के एप्रीहेन्शन को सत्य साबित कर दिया और यह साबित कर दिया कि उसमें तथ्य था। सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा बारबार यह कहा गया था कि जो युनिवर्सिटी की परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए, आज युनिवर्सिटी के बजट को देखते हुए सदस्यों ने इस ओर संकेत किया था कि आप

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अधिक से अधिक युनिवर्सिटीज़ के निर्माण को अपने हाथ में न लें। आप राजस्थान युनिवर्सिटी की आंतड़ियों से नयी युनिवर्सिटी का निर्माण न करें। जो फण्ड्स आप युनिवर्सिटीज़ में डाइवर्ट कर रहे है जितनी एनर्जी एक युनिवर्सिटी में लगा सकते हैं उसके बाद भी उस युनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हो पा रहा है उस युनिवर्सिटी में वह विकास नहीं हो पा रहा है। आपके रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं। ऐसे रिसोर्सेज़ को देखते हुए आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी का विकास करने की कोशिश करें। माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रान्तों की ओर संकेत करते हुए यह बात कही थी कि इससे ज्यादा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होते हुए भी राजस्थान के अन्दर बहुत से प्रान्तों के अन्दर इस प्रवृति के कारण नुकसान हुआ है। लोगों ने रियेलाइज़ किया है और कुछ ही प्रान्तों ने रियेलाइज़ किया है कि कुछ ही यूनिवर्सिटी में कन्सैन्ट्रेट करके उनके स्टेन्डर्ड को रेज़ किया जाये। आज जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस तथ्य को उठाया है कि यूनिवर्सिटी का बजट डेफिसिट बजट चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस वेलीडेटिंग बिल के साथ में यह चीज कही कि केवल एक व्यक्ति को यूनिवर्सिटी में रखने के लिए जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने बराबर इस ओर संकेत किया कि एक अमेन्डिंग बिल लाया गया है और उसके बाद कोर्ट के अन्दर केस हुआ और कोर्ट के अन्दर केस यूनिवर्सिटी के खिलाफ हुआ और इन प्रवृतियों ने इसको एस्टेब्लिश किया कि एक ही व्यक्ति को कायम रखने के कारण यह सारे कानूनी खिलवाड़ किये गये और मैं भी सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उस समय सदन के अन्दर यह तथ्य भी बड़ी गम्भीरतापूर्वक रखे गये थे उन लोगों की ओर से रखे गये थे और उनमें से मैं भी एक था और आज भी निश्चित राय को व्यक्त करता हूं कि जहां इस प्रवृति का घोर विरोध करते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को कोई प्रोत्साहन देने के लिए सारे कानून से खिलवाड़ किया जाय, इस लेजिस्लेटिव असेम्बली के हकों का मजाक उड़ाया जाय वहां इस बात की ओर भी इंगित करना चाहूंगा कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी को राजनैतिक अखाड़ा बना देना चाहते हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, कुछ लोग वहां ऑथोरिटी बनने के कारण वाइस चान्सलर बनने के कारण अपने विशेष स्वार्थों के कारण कुछ राजनैतिक खेल खेलते हैं और एक राजनैतिक वातावरण पैदा करते हैं और उस समय वह इस दृष्टिकोण को भूल जाते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य युनिवर्सिटी का विकास होना चाहिए और एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था की ओर ध्यान होना चाहिए, सरस्वती के मन्दिर को अधिक सुवासित और अलंकृत करने की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय भी यह संकेत किया था कि सरकार जो ग्रान्ट्स दे रही है जिसको कि माननीय सदस्य ने ५५ लाख के करीब बताया, लेकिन जो आंकड़ें मैंने पहले सदन में प्रस्तुत किये हैं उन आंकड़ों को देखते हुए वह उतने नहीं हैं। वह नान-प्लान एक्सपेन्डीचर के अन्दर वह १५.१० लाख के हैं और प्लान एक्सपेन्डीचर के अन्दर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

राजस्थान युनिवर्सिटी में १२.६० लाख (कुल मिला कर २८ लाख के करीब देते हैं। इसके अन्दर युनिवर्सिटी के मेन्टीनेन्स के लिए कितना देते हैं, अगर इस ओर भी माननीय सदस्य ध्यान देने की कोशिश करें तो इसके प्रतिरूप रिलेटिव आंकड़े भी मैं सदन के अन्दर रखना चाहूंगा कि दूसरे प्रोविन्सेज में इस दशा के अन्दर क्या देते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे साधन काफी कम हैं। राजस्थान युनिवर्सिटी के अन्दर जहां एक्सपेन्डीचर ओन दी हैड आफ मेन्टीनेन्स का ६०-६१ में ११.८० लाख, ६१-६२ में १३.५६ लाख, ६२-६३ में १८ १६ लाख, ६३-६४ में २१.५२ लाख और ६४-६५ में २३.६२ लाख हैं। वहां अगर आप इनकम के आइटम लें जो आउट आफ फंड्स करने का होता है तो ६० ६१ में १.७५ लाख, ६१-६२ में २.१२ लाख, ६२-६३ में २.३७ लाख, ६३-६४ में २ ८३ लाख और ६४-६५ में २.५६ लाख थे। इसके अन्दर प्लान्स का अगर आप लें तो ६० ६१ मे १०.०५ लाख, ६१-६२ में ११.४१ लाख, ६२-६३ का १५.४६ लाख, ६३-६४ का १६.०६ लाख और ६४-६५ मे २०.६३ लाख। इसका अगर मेन्टीनेन्स के अन्दर जो ग्रान्ट सरकार देती है, जनरल मेन्टीनेन्स की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊं तो ५६-६० में ४.२४ लाख, ६०-६१ में ३.५० लाख, ६१-६२ में ३.५० लाख, ६२-६३ में ३.५० लाख, ६३-६४ में ३.५० लाख और ६४-६५ में ३.५० लाख है। इनको सब्स्ट्रेक्ट करके युनिवर्सिटी का डेफिसिट निकालें तो ६०-६१ में ५.८१ लाख, ६१-६२ में ७.६१ लाख, ६२-६३ में १२.३६ लाख, ६३-६४ में १५.५६ लाख, और आज युनिवर्सिटी में ६४-६५ में १७.४३ का है। सारे डेफिसिट को एड करें तो युनिवर्सिटी ६०-७० लाख के डेफिसिट के अन्दर रन कर रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को अपनी युनिवर्सिटी की चिन्ता है, जो प्रान्त रिसर्च के काम को बढ़ाना चाहते हैं, युनिवर्सिटी की शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जिन प्रान्तों में आइडियल युनिवर्सिटी हैं उन प्रान्तों के द्वारा किये जाने वाले खर्चे के आंकड़ों को मैं सदन के सम्मुख उपस्थित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बड़ी गम्भीरता से महसूस करता हूं कि यह स्थिति भी गलत है कि वाइस चान्सलर को एपॉइन्ट करना चाहते हैं तो कानून के जरिये करना चाहते हैं। यह स्थिति भी गलत है कि लोग हमारी शिक्षा-संस्थाओं को राजनैतिक अखाड़ा बना दें, राजनैतिक गढ़ बना दें। उन सारी चीजों को अपनी आंखों से ओझल करके उन सारी परिस्थितियों को नजरअन्दाज करके जो युनिवर्सिटी के विकास के लिए आवश्यक है वह न करें। इलाहाबाद युनिवर्सिटी में ३८,६६,१४३) रु० विकास के लिए दिये गये हैं। लखनऊ युनिवर्सिटी मे ३७,३२,८८८) रु०, केरल युनिवर्सिटी में २५,१४,०००)रु० श्री वेंकटेश्वर युनिवर्सिटी में १६ ५०,०००, रु० सागर युनिवर्सिटी में १० लाख रुपये, युनिवर्सिटी आफ बॉम्बे मे १० लाख रुपये दिये जाते हैं। यह वह आंकड़ें हैं जो विकास के लिए युनिवर्सिटीज को दिये जाते हैं। अगर आप मध्यप्रदेश की ओर इस बात का संकेत करें कि वहां पर बहुत सी युनिवर्सिटीज हैं और अपने निश्चित प्रोवीजन्स को देखलें कि उन युनिवर्सिटीज को बहुत बड़ी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ग्रान्ट देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह तो उस युनिर्वासिटी की दशा है और उसके साथ-साथ मैं उन आंकड़ों की ओर विशेष संकेत करूंगा जब कि इस अमेंडिंग बिल को सदन के अन्दर उपस्थित किया था उस समय यह प्रश्न भी हमारे सम्मुख आया था। एफिलियेटिंग कालेज का प्रश्न, विद्यार्थियों की फीस का प्रश्न हमारे सम्मुख आया था। फेकल्टीज़ाइज टीचिंग का प्रश्न आया था। युनिर्वासिटी के अन्दर प्रोफेसर के अन्दर पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग के नाम पर, डिग्री कॉलेज के टीचिंग के नाम पर स्ट्रेटिफिकेशन का प्रश्न आया था।

उस समय जब कि जयपुर के चार कालेजेज़ को एफिलियेट करने का प्रश्न था, और तब माननीय सदस्यों ने इस ओर इंगित किया था कि इनका स्टैण्डर्ड गिर जायगा और विद्यार्थियों की फीस बढ़ जायगी। उसके बाद विद्यार्थियों की फीस बढ़ाई थी तो माननीय मुख्य मंत्री ने विशेष आश्वासन दिया था। उन्होंने यह बात कही थी कि हम इस बात को देखेंगे कि अगर यह कालेजेज़ एफिलियेट हो जाते हैं और विद्यार्थियों की एक्ज़ामिनेशन फीस, ट्यूटोरियल फीस वह नहीं बढ़ाई जायगी। लेकिन उसके बावजूद आज फीस बढ़ी हुई है। आज युनिर्वासिटी को ऑटोनामस बॉडी कहते हैं। आज युनिर्वासिटी के अन्दर कालेजेज़ एफिलियेट कर दिये और युनिर्वासिटी के अन्दर जो फन्ड्स थे, जब युनिर्वासिटी के अन्दर सरकारी हाई स्कूल कई थे, हाई स्कूल की फीस प्राप्त होती थी तब युनिर्वासिटी के फण्ड्स थे वे बढ़े हुए थे। युनिर्वासिटी को जो ग्रान्ट देते हैं उनको एड करके आप युनिर्वासिटी के फण्ड्स को देखिये तो आप एक ओर नारा देते हैं कि ७० लाख के अन्दर युनिर्वासिटी डेफिसिटमें चल रही है, आज युनिर्वासिटी के अन्दर निर्माण-कार्य चल रहा है, आज युनिर्वासिटी के अन्दर बिल्डिंग्स बढ़ रही है, तो आपको यह भी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री ने जो विद्यार्थियों को वचन दिया था कि उनकी फीस नहीं बढ़ेगी, उस वचन का पालन करने के लिए उन्होंने युनिर्वासिटी को कौन सा फण्ड एलॉट किया ? कौन सा फण्ड एलोकेट किया जिससे कि युनिर्वासिटी विद्यार्थियों की फीस में कमी कर सकती थी। आज युनिर्वासिटी डेफिसिट में रन कर रही है। जिसका डेफिसिट रेकरिंग बढ़ता जा रहा है। जिस युनिर्वासिटी का अपना निर्माण कार्य चल रहा है, जिस युनिर्वासिटी में ५० लाख की बिल्डिंग का निर्माण--कार्य किया गया है जिसके डिटेल्ड आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, उस युनिर्वासिटी को आप फण्ड्स एलोकेट नहीं करेंगे, वहां विद्यार्थी स्ट्राइक करें, मांग करें और माननीय मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दे दिया और उन विद्यार्थियों की फीस उसी तरह से बढ़ी रहे। अध्यक्ष महोदय, इस परिस्थिति के नतीजे के तौर पर आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जो कॉलिज एज्युकेशन के लिए एक विद्यार्थी को प्रति वर्ष खर्च करने पड़ते हैं। सन् ५०-५१ को बेस मानते हुए और भारत सरकार के आंकड़ों को देखते हुए वह आज कहां पर पहुंच गई है ? मैं आपके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सामने अर्ज करूंगा कि ६२--६३ के अन्दर जनरल एज्युकेशन के लिए, कालेज एज्युकेशन के लिए, युनिवर्सिटी एज्युकेशन के लिए ४६०) रुपये खर्च करने पड़ते थे वहां ६३-६४ में यह आंकड़े ५३५ के करीब पहुंच गये हैं। अध्यक्ष महोदय, ६०–६१ में ३०२.०४ रुपये एक विद्यार्थी को कॉलेज एज्यूकेशन के लिए खर्च करना पड़ता था। यह आंकड़े ५०--५१ के अन्दर २३२ प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी थे! आज यह बहुत कठिन हो गया है इस बढ़ी हुई फीस के कारण, इन बढ़ी हुई कीमतों के कारण, और आपके सामने एक ही दृष्टिकोण है कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन दिया जाय, किसी व्यक्ति विशेष को इस बात की आज्ञा दी जाय कि किस प्रकार से अपनी घरवाली की एप्लीकेशन को लेकर और किसी तरह से युनिवर्सिटी को राजनैतिक अखाड़ा बना दें। अध्यक्ष महोदय, इस वेलिडेटिंग बिल की आवश्यकता पड़े। इस बिल के मसले का प्रश्न खड़ा किया गया।

(समय--समाप्ति--सूचक घन्टी)

आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई? किसी कोर्ट के अन्दर गया और कोर्ट के अन्दर उस पर इश्यूज़ फ्रेम हुए और सारे के सारे इश्यूज़ आपके अगेन्स्ट में डिसाइड हुए। वाइस चान्सलर का टर्म खत्म हो चुका था। १२ की क्लाज़ में इसका स्पष्ट इंगित था कि वाइस चान्सलर अपने टर्म को एक्जास्ट कर चुके हैं। उसके बावजूद नॉमिनेशन्स किये गये हैं हर प्रकार के और इस प्रकार से अभी तक किये गये तो क्यों नहीं सरकार इस ओर ध्यान देती है कि युनिवर्सिटी के अन्दर ज्यादे से ज्यादा लोग लायें। इसमें एक परिस्थिति यह भी थी कि जो एक कन्स्टीट्यूटेड सीनेट और सिन्डीकेट ने १३--१२-६२ को एक मीटिंग के अन्दर जो फैसला लिया वह फैसला सारे का सारा रद्द होता था, क्योंकि यह बॉडी सारी की सारी इल्लीगल एनाउन्स हो गई। १३-१२ ६२ को उसके द्वारा एक फैसला ले लिया गया जिसके बारे में वह चिन्तित थी, वाइस चान्सलर चिंतित थे और यूनिवर्सिटी चिन्तित थी।

(१.०० म० प०)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि आज युनिवर्सिटी के अंदर, हमारी राजस्थान युनिवर्सिटी के अंदर बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं। आज हमारे यहां श्री आई. एन. खोसला और तीन तीन एफ. एन. आई. मौजूद हैं। डाक्टर पांडे जैसे आदमी मौजूद हैं। आज राजस्थान युनिवर्सिटी में योग्यतम आदमी मौजूद हैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। ५० लाख रुपये युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से यह युनिवर्सिटी प्राप्त कर सकी है। फोर्ड फाउन्डेशन से १ लाख २७ हजार डॉलर्स रेडियो टेक्नोलोजी के लिए प्राप्त कर सके हैं। लेकिन इसमें गंभीर अनियमितताएं भी हैं। कुछ ऐसे लोग अपॉइन्ट नहीं हो सके हैं जो हमारे लिए एसेट्स थे। डाक्टर श्रीवास्तव....

श्री अध्यक्ष : Please don't make any personal reference.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बेलेंस के साथ कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के मुताबिक मंत्रीजी को सूचित करना चाहिए था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह कहूंगा कि ऐसे बहुत से लोग जो यहां अपॉइन्ट किये गये उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग युनिवर्सिटी में आते और विकास में हैल्प करते और नॉमिनेटेड कमेटी के द्वारा जिन वाइस चान्सलर का अपॉइन्टमेंट रेगुलेराइज किया गया वह ऐसा लगा कि अपॉइन्टमेन्ट रेगुलेराइज तो किया गया लेकिन जो राजनीति का अखाड़ा युनिवर्सिटी बन चुकी है उसको रेगुलेराइज कर दिया जाय ताकि आगे चल कर जो विभूतियां यहां आती उनको जानकारी नहीं हो सके इस बात की भी बड़ी भारी चिन्ता है आपको। अंत में मैं यह कहूंगा कि मैं नहीं चाहता कि युनिवर्सिटी में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा करदी जाय। एक ओर आप वेलिडेट करने के लिए हाउस में बिल लाते हैं और एक ओर हाई कोर्ट में युनिवर्सिटी की अपील दायर है और कोर्ट के खिलाफ एक ओर सदन में बिल लाकर अनियमितताओं को रेगुलेराइज करना चाहते हैं और दूसरी ओर हाईकोर्ट से फैसला चाहते हैं यह एक प्रकार से लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेज को कम करने के लिये युनिवर्सिटी इस रूप में आती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि युनिवर्सिटी के कार्य किस प्रकार के हैं उन्हें यहां रखूं लेकिन मैं निश्चित तौर से इस पक्ष में हूं, हालांकि यह भी स्पष्ट है कि वेलिडेशन नहीं भी हो तो फॉरमली इलेक्टेड सिन्डीकेट और सीनेट हैं। कोरम मौजूद है इसलिये कार्य चलाने में कोई कठिनाई नहीं है, फिर भी कठिनाई महसूस करते हैं तो है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी भी है जब ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में कोई बात कहना चाहते हैं, कोई मेम्बर जानकारी करना चाहते हैं तथ्य रखना चाहते हैं, तो ऑटोनोमस बॉडी के नाम पर रोक दिया जाता है।

मैं अन्त में यह कहूंगा कि इस युनिवर्सिटी के विकास के लिए तीन चार मुख्य समस्याएं है। जहां हम वेलिडेशन बिल पास करें वहां उन्हें भी हम गम्भीरता से लें। एक तो फेकल्टीवाइज टीचिंग के बारे में सरकार ने आश्वासन दिया है वह नहीं हो पाई। आज टीचर्स का स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया। लेक्चरार्स हैं, रीडर हैं, प्रोफेसर्स हैं जहां तक तो ठीक है लेकिन एसोशियेट प्रोफेसर्स, एसोशियेट रीडर्स क्रिएट करने की बात चल रही है और ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, पोस्ट ग्रेज्युएट टीचर्स और ग्रेज्युएट के डिफरेन्स को खत्म करना जरूरी था वह समाप्त नहीं किया। आज बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिनमें डाक्टर्स हैं और लोग भी हैं उनके बारे में स्वयं वाइस चान्सलर ने अपनी एन्युअल रिपोर्ट में क्या कहा यह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।....

श्री केदारनाथ : दूसरे लोग भी बोलना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं समाप्त कर रहा हूं।

वाइस चान्सलर का ग्रोब्जर्वेशन सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं जो उन्होंने एन्युग्रल रिपोर्ट ६२ ६३ के सम्बन्ध में है उसमें उन्होंने कहा है :

"Waste of human time and effort on account of large percentage of failure in examinations is a matter of serious concern. This is parctiularly noted in B. Sc. Examinations and B. Com Pre., LL. B. first year..."

ये ग्रोब्जर्वेशन्स युनिवर्सिटी के खुद वाइस चान्सलर के हैं। इन एफर्ट्स के बावजूद ग्राज युनिवर्सिटी का स्तर गिरता जा रहा है। एक ग्रोर खर्चा बढ़ता जा रहा है. मै सदन के सामने कांक्रीट एग्जाम्पल रखूं। महाराजा कॉलेज १०० वर्ष पुराना कॉलेज है, ग्राज वहाँ की लेबोरेटरी में पानी नहीं चढ़ता, वहा पर केमिकल्स नही हैं, स्टडी के लिये पूरी टीचिंग फेसिलिटी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि वे युनिवर्सिटी को चलाना चाहते हैं यदि वे विकास करना चाहते हैं तो बाकी युनिवर्सिटीज़ क्रिएट करने पर पाबन्दी की जाय। उदयपुर में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम की थी उस समय कहा गया था कि मल्टी फेकल्टी युनिवर्सिटी नहीं होगी। पहले एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बनाया गया उसके बाद ग्रॉर्डिनेन्स लाया गया ग्रौर उसको मल्टी फेकल्टी बना रहे हैं। किसी तरह से पहले बेक डोर एन्ट्री की जाय ग्रौर फिर उसके लिए रिसोरसेज पैदा किये जायं, विकास के साधन इकट्ठे किये जायं यह ग्रनडेमोक्रेटिक तरीका है....

श्री ग्रध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस ग्रागस्ट हाउस का एक मेम्बर होने की हैसियत से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुग्रा कि मैं हाउस की मंशा से हाउस की नुमायन्दगी राजस्थान युनिवर्सिटी में करूं। मुझे पिछले डेढ़ साल में कई मीटिंग्ज़ ग्रटेन्ड करने का मौका मिला ग्रौर वहां की रिपोर्ट्स, मीटिंग्ज के डेलिब्रेशन्स में हिस्सा लेने का मौका मिला। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि राजस्थान युनिवर्सिटी के ग्रफेयर्स ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। युनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की स्टडी, वहां का स्टाफ ग्रौर दूसरे ग्रफेयर्स के बारे में मेरी यह पक्की धारणा हो गई है कि युनिवर्सिटी के मामले में राजस्थान सरकार को गवर्नर महोदय की मार्फत जो इस युनिवर्सिटी के चान्सलर भी है इस की जांच करनी चाहिए। यदि सरकार ने समय के मुताबिक इस बात को नहीं सुना तो मैं सोचता हूं युनिवर्सिटी के ग्रफेयर्स ग्रौर बिगड़ जायेंगे ग्रौर हालत बहुत खराब हो जायगी।

इसके पहले कि मैं ग्राज जो बिल हमारे सामने है इस बारे में कुछ कहूं, ग्रादरणीय डाक्टर राधाकृष्णन् की चेयरमेनशिप को तहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन (University Education Commission)

(श्री केदारनाथ)

नियुक्त किया था सन् ४८-४९ में। उन्होंने युनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा उनका कम्पोजीशन हो, सीनेट-सिन्डीकेट के बारे में वाइस चान्सलर की पर्सनलिटी कैसी हो इस बारे में इनके फंक्शन्स क्या हों, इस बारे में आदि हरेक बात पर उच्च कोटि का अपना फैसला दिया है। उसको पैटर्न मान कर आज सारे हिन्दुस्तान में स्टेट्स अपनी नई-नई युनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं। नये-नये कानून बना रहे हैं और एक्ट में अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। मै सोचता हूं, अगर यह बाइबल है और मेरे ख्याल से जो पढ़े-लिखे आदमी हैं जिनका हायर स्टडीज़ से वास्ता है वे उसको बाइबल मानते हैं और कमीशन की रिपोर्ट युनिवर्सिटी के लिए, युनिवर्सिटी स्टैन्डर्ड के लिए, युनिवर्सिटी टीचर्स के लिए और युनिवर्सिटी अफेयर्स के लिए एक बाइबल के रूप में मानी जाती है, जैसा कि उसमें कहा है, चेप्टर में से मैं पढ़ कर सुना देता हूं....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह सरकार का दायित्व है, अगर वह इसे पास कराना चाहती है।

श्री केदारनाथ : "It is his (vice Chancellor's) duty to know the senior members of the staff and students. He must command their confidence both by adequate academic reputation and by strength of personality".

(श्री निरंजननाथ, आचार्य उप मंत्री, शिक्षा के बाहर जाने पर)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आप चले जायेंगे तो कोरम खत्म हो जायगा।

श्री केदारनाथ : "He must know his University well enough to be able to foster its points of strength and to foresee possible points of weakness before they become acute."

(गणपूरक घंटी)

"He must be the 'keeper of the University's conscience', both setting the highest standard by example and dealing promptly and firmly or matetractice with indiscipline or made practice of any kind."

यह स्टेन्डर्ड है उस कमीशन का।

"All this he must do and it can be done as constiutional ruler; he has not, and should not have autocratic power."

अगर उस स्टेन्डर्ड को मान कर हम अपने माननीय मेहता, जो वाइस चान्सलर हैं, का कम्पेरीजन करें कि क्या वह वाइस चान्सलर अपने पिछले टर्म में अपनी युनिवर्सिटी के स्टूडेन्ट्स में इन्टेलेक्चुअल क्यूरोसिटी क्रियेट कर सका है, क्या वह युनिवर्सिटी के

(श्री केदारनाथ)

प्रति लोगों में इन्ट्रेस्ट क्रियेट कर सका है, क्या वह अपनी टर्म में स्टाफ और स्टूडेन्ट्स के बीच एक रिलेशनशिप पैदा कर सका है, क्या डिपार्टमेंट्स में वह कोऑर्डिनेशन पैदा कर सका है और क्या वह इस पेटर्न पेटर्न के लिहाज से कोई चीज पैदा कर सका है ? मैं अफसोस से कहना चाहता हूं, यह शख्स बहुत उच्च स्टेटस और बहुत अच्छे सोर्सेज वाला हो सकता है। He, like a Colossus, doth over-ride the Acts, Statutes and Ordinances of the University.

जो शख्स अपने आपकी पॉवर्स को एक्सर्साईज़ करे ऑटोक्रेटिक तरीके से, वह जो कार्य करे उनको मंजूर न करवाये और सीनेट को कान्फीडेंस में न ले और न सिंडीकेट को, अपनी मर्जी से काम करवाये, अपनी मर्जी से खर्च कर ले और लोगों को अपॉइन्टमेन्ट दे दे उसके बाद वह ममले एप्रूवल के लिए आयें। और अगर सिंडीकेट अपनी पावर के मुताबिक उनको एप्रूवन करे तो डिफरेन्स पैदा हो जायें। अध्यक्ष महोदय, यह मैन कारण था पिछले वर्ष १९६१-६२ में जो अमेंडिग बिल लाये थे उसका यही मतलब था क्योंकि सिंडीकेट, जिनमें ज्यादा मेम्बर उसके बनाये हुए थे, वाइस चान्सलर उनका कॉन्फीडेंस खो बैठा और वह सैकंड टर्म के लिए अपना अपॉइन्टमेंट नही करा सकता था इसलिए अमेंडिग बिल आया। उसके बाद वाइस चान्सलर साहब को अपॉइन्ट करने के लिए अमेंडिग एक्ट के मुताबिक नई सिंडीकेट और सीनेट कॉन्स्टीट्यूट होती, तो लीगल तरीके से कुछ टाइम लगता इसलिए उसके बीच में इन्वोक किया सैक्शन ११ (२) रिमूवल आफ डिफीकल्टीज़ आर्डर के नाम से। इसको इन्वोक करने की क्यों जरूरत पड़ी ? इसीलिए कि नियमों के मुताबिक सिंडीकेट सैकंड टर्म के लिए वाइस चान्सलर को अपॉइन्ट कर सकती इसके बीच कई प्रकार के डिफरेन्स हो सकते थे और उनको यहां अपॉइन्ट न मिल सकता था, इसलिए इस तरीके से अन्डरहैंड तरीके से सारी चीजों को अन्डर रेट करते हुए अपनी पोज़ीशन को एस्टेब्लिश किया गया, अपनी सीट को पर्पीचुएट किया गया, सरकार से गलत आर्डर निकलवा कर, एक्ट में अमेंडमेंट मूव करवा कर और हाई कोर्ट तक पहुंचने की बात कर। मैं सोचता हूं कि अगर यह चीज चलती रही और इस तरीके से वेलीडेडिंग और अमेंडिंग बिल पास कराया गया तो हिन्दुस्तान की एज्यूकेशन लाइन में, एज्यूकेशन वर्ड में गन्दे ट्रेडीशन पेश कर दें। आज तक युनिवर्सिटी के मामले में ऐसी चीजें सामने नहीं आई हैं। कोई मसला सरकार के पास साइट करने के लिए नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आॅटोनॉमस बॉडी का नाम लेकर सरकार कहती है कि हम दखल नही दे सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्स्टान्स पेश करना चाहता हूं, एक बार जब माननीय के. एम. मुन्शी, यू. पी के गवर्नर थे वे युनिवर्सिटी के चान्सलर थे, उस समय एक क्राइसेज पैदा हुआ। उस समय उनके द्वारा एक फैसला हुआ था कि युनिवर्सिटी के इन्टरनल अफेयर्स में जहां सवाल आता है स्टूडेन्ट और टीचर्स का और जहां

(श्री केदरनाथ)

टीचर्स को पटवारी और तहसीलदार की तरह ट्रीट किया जाता है, वहां सरकार चान्सलर की मार्फत दखल दे सकती है, इन्क्वायरी करा सकती है। दिल्ली युनिवर्सिटी में भी यही हुआ, बनारस युनिवर्सिटी के लिए भी कमीशन बैठा, अलीगढ़ युनिवर्सिटी के लिए कमीशन बैठा। यह उदाहरण हैं और मैं सोचता हूं जैसा मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने सेक्शन साइट किये और कोट किये उसके तहत हमारे चान्सलर इन्स्पेक्शन कर सकते हैं, इन्क्वायरी लागू कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इन सारी बातों को देखते हुए लाजिमी इस तरह का एश्योरेन्स देगी कि हम अपनी तरफ से चान्सलर महोदय को इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के लिए लाजमी कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बात कह रहा था कि हम आर्डिनेन्स न लाते तो क्या नुकसान रहता? मैंने एक कट मोशन में एक पॉइन्ट रेज किया था उसके जवाब में डिप्टी मिनिस्टर ने कहा था कि नुकसान यह होता कि दो महीने चार दिन की तनख्वाह का झगड़ा पड़ता और कोई नुकसान नहीं होने वाला था। इस टर्म में सिंडीकेट को कोर्ट ने इल्लीगल एलान किया, डीन्स को इल्लीगल एलान किया और वाइस चान्सलर की डेट आफ अपॉइन्टमेंट को इल्लीगल एलान किया। ये तीन बातें थी। मैं सोचता हूं कि सिन्डीकेट, न्यूली कॉन्स्टीट्यूटेड सिंडीकेट लीगल है तो वाइस--चान्सलर, तीन डील और दो प्रोफेसर को वेकेन्सी ट्रीट करते तो सारा काम चल सकता था, इसमें कोई लेकुना नहीं है। इसमें जो प्रॉवीजन्स हैं वे साफ जाहिर करते हैं कि हम कोर्ट के फैसले के पहले अमेंडिंग बिल न भी लायें तो सारी की सारी सिंडीकेट, जो आज के दिन है वह सारा का सारा वाइस चान्सलर का किया हुआ कामएक्जामिनेशन होल्ड करनेका,जो डिग्रीज दी हुई हैं, जो प्रमाण पत्र दिये हैं--उनको लीगल कर सकती है, रेक्टीफाई कर सकती है, फिर अमेंडिंग बिल लाने की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति के लिए अमेंडिंग बिल लाना, कोई ऑर्डिनेन्स प्रोमलगेट करना और अमेंडिंग एण्ड वेलिडेटिंग बिल लाना--मैं नहीं सोचता--कोई ऑटोनामी के प्रति रेस्पेक्ट शो करना है या कोई प्रजातंत्र के बारे में आस्था शो करना है। मैं सोचता हूं कि ऑटोनॉमस बॉडी में यह इन्क्वायरी करना जरूरी है कि उनके, वाइस चान्सलर, के वहां रहने से, उनके वहां काम करने से और कोर्ट के फैसले से क्या असर हुआ है। आप वहां जाकर पूछिये, अध्यक्ष महोदय, कभी मौका हो तो वहां के प्रोफेसर्स से बात कीजिए। इतना डिमोरेलाइजेशन हुआ है, इतना डिस्सेटिस्फेक्शन है, इतना तीन--चार महीने में स्टेंडर्ड पर असर पड़ा है, इतना टीचर्स के ऊपर असर पड़ा है। फिर भी इस सस्पेंशन के पीरियड में, इस असन्तोष के पीरियड में न सरकार खुद सही रास्ता देखती है और न सही रास्ता दिखाना चाहती है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि सरकार आज इस वेलीडेटिंग अमेंडिंग बिल को न ले, इसे वापिस ले ले। इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। चान्सलर को पावर्स हैं। इसी वाइस चान्सलर को नियुक्त करना चाहते हैं तो टेम्प्रेरी बेसिस पर अपॉइन्ट कर सकते हैं। जो युनिवर्सिटी में कमियां

(श्री केदारनाथ)

और खामियां हमारी अदालतों ने हमारे सामने पेश कीं, युनिवर्सिटी अफेयर्स के बारे में, तीन डीन्स और दो प्रोफेसरों के बारे में, वाइस चान्सलर के अपॉइन्टमेंट के बारे में- इन तीन कमियों को बिना इस बिल को लाये हुए रेक्टीफाई कर सकते हैं, इनको दुरुस्त कर सकते है--तो मैं नहीं समझता कि कोई सेक्शन्स इन्वोक करें, आर्डिनेन्स प्रोमलगेट करें या अमेंडिंग बिल लायें और एक आदमी की सीट पर्पीचुएट करने के लिए यह सब हो--इससे मुझे वास्ता नहीं लेकिन हिन्दुस्तान के 'एजुकेशन' वर्ल्ड में एक अनहैपी ट्रेडीशन पैदा करने जा रहे हैं। इसके बारे में एक और बात कहूं कि युनिवर्सिटीज के बारे में जो दूसरी रिपोर्ट हमारे सामने हैं जो जोन मेन्स फील्ड ने एक बार कहा है, मेन्सफील्ड जब इंग्लैंड की युनिवर्सिटीज को ट्रिब्यूट दे रहे थे तब उन्होंने कहा है :

"There are few earthly things more beautiful than a University"

अगर युनिवर्सिटी के बारे में इतनी ऊंची राय है, इतना ऊंचा कन्सेप्शन है--हमारी युनिवर्सिटी उनके मुकाबले में कहां ठहरती है ? इसके बारे मे हेरोल्ड लास्की क्या कहते हैं :

'The teacher of a University is a University in itself."

हमारे यहां टीचर्स की क्या हालत है, लेक्चरर्स की क्या हालत है, रीडर्स की क्या हालत है, प्रोफेसर्स की क्या हालत है, अध्यक्ष महोदय, सिलेक्शन कमेटी इस ढंग से फ्रेम हुई, सिलेक्शन इस ढंग से हुआ जो ठीक नहीं कहा जा सकता जब कि चार कॉलेज हैंड ओवर हुए--मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन फ्लेगरेन्ट वायोलेशन आफ द स्टेट्यूज़ किये गये हैं। यह बहुत बुरी बात है, इसमें बहुत बड़ी अनियमिततायें हुई हैं। फ्लेगरेन्ट वायोलेशन आफ द स्टेट्यूज़ किये गये हैं। मैं एक दूसरी मिसाल पेश कर सकता हूं, मेरे पास मिनिट्स हैं, मुझे वहां बोलने का मौका दिया गया है। वहां दर्जनों केसेज ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद कोई व्यक्ति, जिनको युनिवर्सिटी के बारे में, युनिवर्सिटी एज्यूकेशन के बारे में प्रेम है, मोह है, वह कहेगा कि इस वाइस चान्सलर का वहां ठहरना उचित नही है। मैं चाहता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए था। राधाकृष्णन् की रिपोर्ट में एक बात लिखी है :

"The whole idea of 'standing as a candidate' for the Vice-Chancellor-ship must be suppressed. The executive must in no way be limited to consider the names of would-be candidates."

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय जब तक यह बिजनेस समाप्त न हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री केदारनाथ : इस रिपोर्ट को हम बाइबल के रूप में पढ़ते हैं उसमें साफ है कि जो इस बात का संकेत करे कि मैं केन्डीडेट

(श्री केदारनाथ)

हूं दुबारा टर्म के लिये उसके लिये जो रिमार्क हैं, जो आइडिया है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं :

"On the contrary they should regard a man's declared intention of seeking the Vice-Chancellor-ship as prima facie evidence of his unfitness for the purpose."

अगर उनकी मंशा जाहिर हो जावे कि वह दुबारा सैकन्ड टर्म के लिये अपने आप को केन्डीडेट के रूप में पेश कर रहा है तो सबसे बड़ा रिमार्क उनका था कि उसको फौरन अनफिट डिक्लेअर किया जाए। यह रिपोर्ट का हवाला मैंने आपको दिया है। अगर आप इस रिपोर्ट के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इस तरह से आदमियों को भेजने के लिये एक को अपना नाम जाहिर करना कि मैं दुबारा टर्म के चुनावों के लिये केन्डीडेट हूं, मैं समझता हूं कि सारी की सारी चुनाव की डीसेन्सी, सारा का सारा डेकोरम और वाईस चान्सलर के चुनाव में सारे के सारे प्रोसेस को वाइलेट करता है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं लेकिन समय सीमित है, अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आखिरी बात और कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से प्रोसेस चलता रहा और Facalties और वाइस चान्सलर में बेरियर बढ़ता गया तो हमारी युनिवर्सिटी की क्या हालत होगी। College को University को handover किया है उसकी क्या हालत है ? जो हालत अभी है वह नहीं रहेगी। इसके अलावा टीचर्स, प्रोफेसर्स और लेक्चरार को जिस प्रकार सबोर्डीनेट सर्विसेज़ की तरह ट्रीट किया जाए यह उचित नहीं हो सकता। चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरियेट के बारे में आप कह सकते है लेकिन वाइस चान्सलर और टीचर्स और प्रोफेसर्स की पोजिशन भिन्न है। कलेक्टर और पटवारी की सी पोजिशन नहीं हो सकती। अगर आप कलेक्टर और पटवारी की जो पोज़िशन और रिलेशन्स हैं उसी तरह से टीचर्स और प्रोफेसर के लिये रखते हैं तो युनिवर्सिटी एज्युकेशन कभी भी ऊपर नहीं उठ सकेगी। वाइस चान्सलर और टीचर्स और प्रोफेसरों के आपस में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिये। क्योंकि जब तक उनमें सेल्फ कॉन्फीडेन्स नहीं हो, इनटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी जो बहुत ऊंची चीज है उनमें नहीं आ सकती।

दूसरी बात, अध्यक्ष मोहदय, युनिवर्सिटी के सर्विसेज की है। वहां सर्विसेज़ में कितना डिससेटिस्फेक्शन है उसको आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इसकेबाद कितना डिमारेलाइजेशन इन तीन चार महीनों में हुआ है और इसका स्टेन्डर्ड पर और टीचर्स पर क्या असर पड़ा है ? इस डिस्सेटिसफेक्शन को देखते हुए वाइस चान्सलर ने आपको लिख कर दिया और सरकार ने यह फैसला किया और ऑर्डिनेन्स पास किया। उसमें यह पॉवर्स वेस्ट किये। ये सारे ऑटोक्रेटिक तरीके से किया गया। यदि आपसे कोई पूछे कि आपने यह कैसे किया तो आपके पास कोई जवाब नहीं। अगर इस वेलीडेरिंग बिल को इसी तरह पास कर देते हैं तो आपको फिर ऑर्डिनेन्स इन-

(श्री केदारनाथ)

वोक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कमी रह जावेगी। जिनको तीन वर्षों का टर्म खतम होने से पहले हटा नहीं सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह लेकुना रहेगा और फिर दुबारा कोर्ट में जावेंगे और फिर मालूम नहीं क्या हालत होगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसको आप पास न करें। मैं यह कहूंगा कि या तो सारे जुडीशियर कोर्ट को अन्डर माइन करने की हमारी मन्शा है और हम यह चाहते हैं कि डा० मेहता सेकन्ड टर्म पर भी वाइस चान्सलर बने रहें तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि इसके लिये और भी प्रोवीजिशन है, तरीके हैं जिनके मारफत आप उनको रख सकते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि इसको लाने के लिए कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है। जब हम कॉन्सटीट्यूशनल हिस्ट्री को देखते हैं तो मालूम होता है कि यह ब्रिटिश और यहां पर हिन्दुस्तान की लोक सभा और दूसरे प्रान्तों की Parliamentary life में भी यह वेलिडेटिंग बिल पहली बार जारी हुआ है। मैं समझता हूं कि सरकार को अभी भी मौका है और अब भी वह इसको विथड्रा कर ले। अब मैं यह कहूंगा कि यह आॅटोनॉमस बॉडी है मगर इसमें जो प्रोफेसर्स को और टीचर्स तहसीलदार की तरह ट्रीट किये जाते हैं वह नहीं कर सकते। आप एक आदमी को रखने के लिये हमारे सारे कार्यक्रम को बदलें और सारी ताकत अपने आपकी को खतम करें, यह उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को कहने के लिये अभी समय नहीं है, समय समाप्त हो रहा है। इसलिए आखिर बात मैं यही कहूंगा कि मेरी आपके जरिये यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने सेक्शन साइट किये और कोट किये जिसके तहत हमारे चांसलर इन्सपेक्शन कर सकते हैं, इन्क्वायरी लागू करवा सकते हैं, अगर आपने यह रखा तो मैं समझता हूं कि कोई अच्छी चीज नहीं होगी। लोकसभा में भी इस प्रश्न पर बहस हुई और यह कहा गया कि स्टेट इस मामले में गलत रास्ते जा रही है। युनिवर्सिटी का क्या स्टेट्स हो। इसके लिए सारे हिन्दुस्तान की युनिवर्सिटीज़ का लेवल एक हो इसके लिए यह कहा गया कि जांच कमेटी बैठेगी जो देखेगी कि हिन्दुस्तान की युनिवर्सिटी का इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इमोशनल इन्टीग्रेशन में बहुत कम देने है। लाजमी ऐसे पॉइन्ट हैं जिन पर हिन्दुस्तान की सरकार और राज्य की, सरकारें नई रोशनी से, नये विज्ञन से और नये तरीकों से सोचे, तो मैं यह कहूंगा कि इन वाइस चान्सलर का हमारे लिये युनिवर्सिटी में रहना, युनिवर्सिटी के लिये, शिक्षा के लिये और टीचर्स के लिये खतरनाक है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस अमेन्डमेंट वेलिडेटिंग बिल को न लावें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : होम मिनिस्टर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बाद में भी यदि राज्य सरकार चाहे तो इन्क्वायरी कराने की बात....

श्री अध्यक्ष : अब कोई बहस नही होगी। यह आ चुका है । यह कोई नई बात नहीं है। It is out of order what you are saying.

(विराम)

Home Minister

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया और एक प्रश्न यह उठाया कि कोई ऑर्डिनेन्स जारी करने का अधिकार था या नहीं। उनका कहना यह है कि कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने एक आर्डिनेन्स को पास कर दिया। इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने कॉन्टेन्ट्स को ताईद करने का प्रयत्न किया । अध्यक्ष महोदय, यह कॉन्सटीट्यूशनल इश्यू इस महत्व का नही है। इस पर भारतवर्ष की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इस प्रकार के डिस्प्यूटों को उठाने पर मन्तव्य और व्यवस्थाएं दी है। उनको मैं सदन के सामने रखूंगा लेकिन इससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ऑर्डिनेन्स पर बहस की गई है वह कॉन्सटीट्यून का आर्टिकल है उसको सेटिसफाई नहीं करती है :

"And whereas the Governor is satisfied that circumstances exist which make it necessary to take immediate action in this behalf......"

यह ऑर्डिनेन्स रखने का आधार है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गवर्नर महोदय सेटिस्फाइड हैं तो उस सेटिस्फेक्शन के एनेलेसिस का कहीं प्रश्न पैदा नहीं होता। अगर कोई हाई कोर्ट या माननीय सदस्य इस सेटिस्फेक्शन को एनेलाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो वह हाई कोर्ट की व्यवस्था के खिलाफ है । सेटिस्फेक्शन आज तक कभी एनेलाइज़ नहीं किया गया है। फेडरल कोर्ट के एक जजमेंट में इन डिसीज़न्स को साइट किया है, उसको मैं यहां रखना चाहूंगा :

"It was held by the Privy Council................that the emergency which calls for immediate action has to be judged by the Governor—General alone. On promulgating an Ordinance, the Governor-General is not bound as a matter of law to expound the reasons therefor, nor is he bound to prove affirmatively in a court of law that a state of emergency did actually exist The language of section 88 postulates only one condition, namely, the satisfaction of the Governor as to the existence of justifying circumstances, and the Preamble to the Ordinance expresses it in clear terms that this condition has been fulfilled."

जैसा कि मैंने निवेदन किया गवर्नर महोदय सेटिस्फाइड हैं तो इस सेटिस्फेक्शन को एनेलिसिस करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि ऐसा मामला मामूली तौर से रेक्टिफाइ हो सकता था ऑर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता नहीं थी, इनके कथन के अनुसार इसके लिये ऑर्डिनेन्स नहीं निकलना चाहिये था। इस कन्टेन्शन के विपरित में सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न State of Orissa Vs. Bopinder Kumar Bose, उसको यहां प्रस्तुत करना उपयुक्त समझूंगा :

"Certain irregularities in the elec'oral rolls were discovered and it was thought that public exchequer would be involv in undue expenditure and problems would arise. That is why the Ordiance was promulgated."

वह तो म्युनिसिपलिटी का प्रश्न था, यह युनिवर्सिटी का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में जो कानूनी मुद्दे, ये पॉइन्ट माननीय सदस्य ने उठाये हैं उनका आधार यहां उपस्थित नहीं होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह कहा गया कि यह वाइस चान्सलर को एडजस्ट करने का प्रश्न था उसके लिए आर्डिनेन्स निकाला, न इसके लिए निकाला गया है और न यह इसका उद्देश्य ही रहा है। मैं दो तथ्य रखना चाहता हूं पहला यह कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट के जजमेंट के होने के बाद गवर्नर महोदय चाहते तो आर्डिनेन्स निकाल सकते थे, पर उन्होंने उस समय ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला हुआ, उसके बाद ऑर्डिनेन्स निकाला। इन दो सर्कम्सटान्सेज को देखा जाय तो आर्डिनेन्स निकालने के प्रश्न पर गवर्नर महोदय आतुर थे पर ऐसे आतुर नहीं थे कि किसी दूसरे के फैसले को नहीं देखा जाय। तो जो ऑर्डिनेन्स निकाला गया वह इन दोनों फैसलों के आधार पर निकाला गया और सारी स्थिति को देखते हुए निकाला गया।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, इस बातको बार-बार रखा गया कि आर्डिनेन्स का आधार नहीं था। जैसा कि मैंने निवेदन किया वाइस चान्सलर के अपॉइन्टमेंट की तारीख दूसरी थी और वाइस चान्सलर के चार्ज लेने की तारीख दूसरी थी। इन दोनों तारीखों का विवाद खड़ा हुआ कि जिस रोज अपॉइन्टमेंट हुआ उसी तारीख को अपॉइन्टमेंट की तारीख माना जाय या जिस तारीख को उन्होंने चार्ज लिया उस तारीख को अपॉइन्टमेंट की तारीख माना जाय। इस विवाद के आधार पर वेकूम पैदा हुआ लास्ट टू मन्थ्स में उस तारीख को उनकी अपॉइन्टमेंट की तारीख मान लिया जाता जब कि वे यू० एस० ए० में थे और उनको नियुक्ति-पत्र दिया गया चान्सलर की तरफ से। उसको मान लिया जाता है तो दो महीने पहले वाइस चान्सलर का टर्म खत्म हो जाता है। टेकिंग आफ दी चार्ज की तारीख से अपॉइन्टमेन्ट मान लें तो दो महीने के वेकूम के अन्तर्गत जितने सिलेक्शन, अपॉइन्टमेंट्स और जितने दूसरे कार्य हुए हैं यूनिवर्सिटी में वे सब इन्वेलिड करार दिये जा सकते हैं और दिया गया है। तो ऐसी दशा में इसके लिए आर्डिनेन्स के सिवाय और कोई चारा नहीं था।

अपॉइन्टमेंट ऑफ वाइस चान्सलर के लिए माननीय सदस्यों ने कहा कि किसी व्यक्ति को एडजस्ट करने के लिए ऑर्डिनेन्स

(श्रीनिरंजननाथ आचार्य)

निकाला इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय ज़ाकिर हुसैनजी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी अपॉइन्ट की गई थी, उस कमेटी की रिकमन्डेशन्स चान्सलर के पास आई, उन रिकमन्डेशन्स के आधार पर डा० मोहनसिंह मेहता को नियुक्त किया गया। तो यह कहना कि इनकी नियुक्ति किसी विशेष आधार पर की गई यह सारी कमेटी के मेम्बर्स और इस कमेटी के चेयरमैन के प्रति इन्साफ करना नहीं होसकता। इस तरह मेरा यह निवेदन करना है कि जो मोटिव किसी व्यक्ति विशेष को एड्जस्ट करने का लगाया गया, वह निराधार है।

जहां तक युनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है यही कहूं कि यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स पर हांडाजी ने काफी प्रकाश डाला कि यहां का स्टाफ बाहर विदेशों में नाम पाया हुआ है। तो इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता।

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इसमें घाटा है, घाटे के आधार पर यह आशंकाएं प्रकट की कि कहीं इसकी प्रोपर्टी गिरवे कहीं रख दी जाय, बेच नहीं दिया जाय। पर मेरा विश्वास है कि युनिवर्सिटी में घाटा है तो वह इस बात की ओर संकेत करता है कि वह प्रोग्रेस पर है, जिस युनिवर्सिटी पर कर्जा हो वह संकेत है इस तथ्य का कि वह प्रोग्रेस कर रही है।....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : युनिवर्सिटी दिवालियापन दिखा देती तब तो मान लिया जाना चाहिए कि प्रोग्रेस की चरम सीमा पर पहुंच गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यही हमारे प्लानिंग में भी है, तटस्थ होकर चुपचाप बैठ जायं तो घाटे का सवाल ही नहीं। जो डेटाज़ मुझे प्राप्त हुए हैं उनकी ओर संकेत करना चाहूंगा। आज जहां विशाल इमारत युनिवर्सिटी की है वह स्थान किस तरह का था यह आपसे किसी से छुपा नहीं है। रेगिस्तान की तरह जहां टीबे और ऊंची नीची जमीन थी, अब उस जमीन पर इस विशाल इमारत को देख कर विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि नार्दन इण्डिया की युनिवर्सिटीज में से किसी युनिवर्सिटी की बिल्डिंग ऐसी नहीं है। यह तथ्य है, आकर्षण भी है. इन सब चीजों से वायुमण्डल बनता है और एज्युकेशन एटमास्फीयर ऊंचा उठता है। घाटे पर आपत्तियां उठाई गईं उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस युनिवर्सिटी की लायब्रेरी माननीय सदस्यों ने देखी होगी, माननीय केदार जो सीनेट के मेम्बर हैं उन्होंने तो उसका उपयोग भी किया होगा ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : बिल्डिंग देखी है, और गार्डन के २५ हजार के खर्चे को भी देखा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गार्डन के प्रश्न पर कहा जाता है ज्यादा खर्च हुआ पर यह नहीं कहा कि स्वयं ने २५ हजार रुपया अपनी जेब से लगाया है। खैर, मैं व्यक्तिगत रूपसे नहीं जाना चाहता। जो इमारतें सदियों

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तक कायम रहेंगी, यहां के वातावरण को बनाते हुए और आने वाली पुश्तों को सीख भी देंगी। ये इमारतें खत्म होने वाली नहीं हैं।

1 School of Humanities.

2. Swimming Pool.

3. Open Air Theatre.

4. Staff Quarters.

5. University Guest House.

6. Bank and Post Office.

7. Extension of Academic Block.

8. Extension of Administrative Block.

9. University Press.

10. Cycle Shed.

घाटा इस आधार पर हुआ कि हम प्रगति कर रहे हैं, घाटा इस आधार पर हुआ कि हम अपना भविष्य बना रहे हैं तो मैं कहता हूं कि उस घाटे का बनना....

श्री अध्यक्ष : आप इसकी ज्यादा चर्चा न करें। You can avoid these, if you like.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am saying it wiih authority.

श्री अध्यक्ष : It may not be difficult for you to reconcile it subsequently.

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि यह क्लाज २ सेक्शन ११ का सब क्लाज २ जो हमने इस्तेमाल किया है यह सिर्फ पुरानी सिंडीकेट को आऊस्ट करने का प्रयास किया है। अगर बोनाफाइडी आधार पर कोई कदम लिया जाय और जिसका आधार है तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि किसी को एड्जस्ट करने के लिए यह कदम उठाया गया, तो यह उचित नही मालूम पड़ता। मैं सिर्फ इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेक्शन ११ के क्लाजेज् टू एण्ड वन इन दोनों को इंटरप्रेटेशन के आधार पर लिया जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट क्या व्यू ले। अगर लीगली दोनों का इन्टरप्रेटेशन ले तो बहुत कम फर्क आता है। सेक्शन ११ का दो भी और सेक्शन ११ का वन भी इस्तेमाल हो सकता है। यह प्रश्न अभी विवादग्रस्त है। इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, लीगल इन्टरप्रेटेशन पॉइंट है। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई कदम इस संबंध में लिया गया तो बोनाफाइडी था। जब १९६२ अमेंडिंग एक्ट पास हुआ तब उसके प्रीएम्बल से मालूम होता था कि जैसे अभी से लागू हो जायगा। मालूम होता है कि युनिवर्सिटी ने समझा कि जल्दी लागू होना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने कदम

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

लेना आरंभ किया और कदम लेने के आधार भी हैं, क्योंकि जब क्लाज़ २ को इस्तेमाल करना चाहते थे उस वक्त तक १७ मेम्बर्स से करीब-करीब ६ मेम्बर्स का टर्म एक्सपायर हो चुका था या एक दो महीना बाकी था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जब आर्डर निकाला ?

श्री निरजननाथ आचार्य : हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस दिन तक ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Three Members out of the Principals of Colleges; viz. Shri V. V. John, Shri R. S. Gupta and Mrs. S. Bharatiya; their term was to expire December, 1962.

The term of one of the Members elected from the Syndicate from non-Teachers was to expire on 10th December.

Term of two Members nominated dy the Vice-Chancellor was to expire on 8th January.

इस तरह से ८ जनवरी, १९६३ के पहले-पहले इतने मेम्बर्स का टर्म एक्सपायर हो रहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तथ्य इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि यदि कोई कदम लिया गया रिकांस्टीट्यूट करने का, तो वह मैलाफइडी नहीं कहा जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १५ आदमी नोमीनेट किए गए इनमें से जो ४ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स थे जिनका इलेक्शन ११-२-६१, ३-४-६१ और चार टीचर्स को ३-६-६१, उनकी टर्म पांच साल की थी।

श्री निरन्जाननाथ आचार्य : मैंने जो आधार रखे हैं वे भी चैलेंजेबल नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चैलेंजेबल हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : In all 11 members of the Syndicate were to vacate.

तो मैंने सिर्फ यह अर्ज किया कि अब नए ऐक्ट में १५ मेम्बर्स का प्रावधान सिंडीकेट में है जिसमें वाइस चांसलर, डाइरेक्टर आफ कॉलेज एजूकेशन एवम आफिशियो आफीसर्स हैं, ३ एजूकेशनिस्ट्स नॉमीनेटेड बाइ दी Chancellor,, और इस तरह से Two Professors nominated by the Vice-Chancellor.

The election of members from affiliated colleges could be done in a period of one and a half month.

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

एक ही प्रश्न रहता है । सीनेट के दो मेम्बर्स को इलेक्ट किया जाना, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स होना, इस बुनियाद पर कान्स्टीट्यूट की गई बॉडी के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि किसी को एडजस्ट करने के लिए यह किया गया. यह मेलाफाइडी नहीं है, बोनाफाइडी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लीयर मैलाफाइडी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is interpretation of law whether clause 10 is applicable or 2 is applicable.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक ही प्रकार से है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Because the Court has said. What the High Court will say cannot be envisaged at present.

वह प्रोब्लेम वहां सोल्व हो जायगी । इस बीच में जो वैकुम क्रीएट हुआ है रीअपोइंटमेंट ऑफ दी वाइस चांसलर उसको प्रोप्राइटी का क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता । वह रीअपोइंटमेंट जब हो चुका है तो सैकंड पोज़ीशन पर इसका असर पड़ता है । दो महीने के वैकुम में क्या क्या स्थिति है युनिवर्सिटी की और रेज़ीड्युअरी पॉवर्स थे । कई प्रश्न हैं, जो वैलिडेट हो सकते हैं लेकिन यह प्रश्न वाइस चांसलर की रीअपो टमेंट अ दी ड्यूली इलेक्टेड कांस्टीट्यूशनल ॉडी, जिसका डाक्टर जाकिर हुसेन चेयरमैन हो और दो महीने का वैकुम, इसको दूस माध्यम से भी तो नहीं हल किया जा कता । दूसरी बात आर्डर सिंडीकेट को कॉन्स्टीट्यूट करने के बारे में यहां कही गई । लेकिन यह पोज़ीशन लेजिस्लेचर के पास लाने के बाद भी हल नहीं हो सकती ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल वाइस चांसलर ही ?

श्री निरंजननाथ आचा : नोट दी वाइसचांसलर । दुर्भाग्य से । सौभाग्य से कोई दूसरा भी होता तो भी दो महीने के वैकुम को भरना पड़ता ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of information......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सेक्शन १२ पहले क्लॉज के अनुसार दूसरा इस चांसलर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवा : पहले जो रजिस्ट्रार थे के० एल० वर्मा साहब वे भी इस पद पर रह चुके हैं चार म ने ।

श्री निरंजननाथ आ ार्य : दूसरा पोइंट जिस पर माननीय दस्यों ने जोर दिया है, बनारस का जिक्र या, अलीगढ़ का जिक्र किया, दिल्ली युनि सिटी का जिक्र किया कि इसमें इन्क्वायरी क ीशन के द्वारा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हो सकती है । मैं मानता हूं, सेक्शन १० इसी एक्ट का है, विजिटेशन का प्रोवीज़न है । वांसलर महोदय इन्क्वायरी करा सकता है, विज़ीट कर सकता है, फाइनन्शियल पोज़ीशन को देख सकता है । लेकिन सेक्शन १० का आपने जो हवाला दिया है उस आधार पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो फरमाया मालए-मिडिन्स्ट्रेशन के संबंध में, मैं कम से कम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि अभी तक मालएडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का है जिससे चांसलर महोदय सेक्शन १० को काम में लेकर किसी चीज पर इन्क्वायरी कराए सिवाय इसके कि, जैसे माननीय सदस्य हांडा ने इसके अचीवमेंट्स के बारे में कहा, उनको ठीक तरह से मान लिया जाय तो कहना पड़ेगा कि युनिवर्सिटी प्रगति पर है ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : व्यवस्था का सवाल है । इसी सत्र में जब कुछ दिनों पहले जोधपुर विश्वविद्यालय के संबंध में एक अमेंडिंग एक्ट आया था उस समय में जोधपुर युनिवर्सिटी के अन्दर जो भयंकर इर्रेग्युलैरिटीज़ हुई हैं उनका फैक्ट्स के साथ में यहां पर हवाला दिया गया था, उस समय माननीय उप शिक्षा मंत्री ने टाल दिया था कि यह ओटोनोमस बॉडी है । इसमें हम दरख्वास्त नहीं दे सकते और जो आपने प्रोग्रेस बताई थी उस संबंध में हमने जो चैलेंज दिया तो आपने कह दिया कि हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते । इसलिए मैं जानना चाहता हूं आज भी अगर राजस्थान युनिवर्सिटी और जोधपुर युनिवर्सिटी के बारे में आपको फैक्ट्स के साथ में वहां पर जो भयंकर इर्रेग्युलेरिटीज़ हुई हैं उन बारे में आपको बताएं तो आप उसके लिए गवर्नर महोदय को अपनी ओर से लिखकर....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जल्दी ही समाप्त करें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय जैसा माननीय श्री हांडाजी ने कहा, "Three professors have been honoured in F. N. I." और उनमेंसे कई ऐसे हैं जो ब्रॉड वे के हैं, ख्याति प्राप्त प्रोफेसर्स हैं । कई साइन्स और विज्ञान में विशेषज्ञ हैं । ऐसी हालत में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया के अन्दर दिल्ली के अतिरिक्त यह एक बहुत ही अच्छी युनिवर्सिटीज़ में है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : This does not mean that the work should continue.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am not touching that point .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो इर्रे-गुलेरीटज़ हैं उनके बारे में कहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप दिल्ली अथवा अलीगढ़ अथवा बनारस युनिव-सिटीज़ का उदाहरण लाते हैं । कमिश्नर की रिपोर्ट को मुलाहिजा करें । इरेगुलेरिटीज़ दिखायी गयी हैं उनको देख कर हम किसी तथ्य पर पहुंच सकते हैं कि दरअसल उनको

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

एन्टर्टेन करना जरूरी था। यहां पर माननीय सदस्यो ने एक्स्पेंडीचर पर कहा, अथवा इधर के ओमिशन एन्ड कमीशन हैं, अथवा यह कहा कि ओटोक्रेटिक तरीका अख्तियार कर लेते है या सिन्डीकेट से करा लेते हैं, ये ऐसे तथ्य है जिन पर किसी खास निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे तथ्य हों और माननीय सदस्यों की यह भावना हो कि चान्सलर महोदय ध्यान दें, तो जैसा जोधपुर युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में बहस के वक्त में मैंने निवेदन किया था कि चान्सलर महोदय को प्रोसिडिंग्ज़ को देखने का अवसर मिलता है, राजस्थान के सारे प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी निगाह रखते हैं, राजस्थान विधान में माननीय सदस्यों ने जो यह भावना व्यक्त की है उसको सुओ मोटो देख सकते हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि अलग अलग माननीय सदस्यों ने जो यहां सदन में भावना रखी है और तथ्यों का आभास नहीं मिला है तब भी मैं आपकी भावनाओं को प्रोसीडिंग्ज़ से निकाल कर चान्सलर महोदय के पास भेज दूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सेक्शन १० के अन्तर्गत इन्क्वायरी कराने के लिए बहुत बड़े तथ्यों की आवश्यकता है और छोटे-मोटे तथ्यों के आधार पर ओटोनोमस बोडी के कम्पेक्ट पर इस तरह की इन्क्वायरी नहीं बिठायी जा सकती है। दूसरी युनिवर्सिटीज़ में जिस प्रकार कमिश्नर बैठे हैं उसी प्रकार इस युनिवर्सिटी में भी बैठे, उनसे इसका कम्पेरिज़न नहीं कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने बनारस और अलीगढ़ युनिवर्सिटीज़ में कमिश्नर बिठाये थे इसलिए कि वहां पर स्केन्डुलस मेटर्स बहुत थे। यहां भी बहुत स्केन्डुलस मेटर्स हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं और अचीवमेन्ट्स रखना चाहता हूं। माननीय श्री हांडा उसको भूल गये थे। युनिवर्सिटी के एक्स्पान्शन के विषय में लास्ट तीन-चार वर्ष में क्या क्या स्टेप लिये गये हैं, यह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा?

	१९५९	१९६३
नम्बर ऑफ कॉलेजेज़	४६	७०
नम्बर ऑफ रिसर्च स्कोलर्स	२३	६२
नम्बर ऑफ टीचर्स	२६	३६७
नम्बर ऑफ स्टुडेन्ट्स	६६८	६१५४
नम्बर ऑफ डिपार्टमेंट्स	५	२१
नम्बर ऑफ एग्ज़ामिनेशन्स	४६	६२
नम्बर ऑफ एग्ज़ामिनीज़	१३४१७	३७८५०
नम्बर ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स	२०	४१
नम्बर ऑफ रिसर्च स्टुडेंट्स	५२	११०

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता इससे कि यह युनिवर्सिटी बिलकुल ही उच्च प्रगति के शिखर पर हो, लेकिन माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि आरम्भ है और शुभारम्भ है प्रगति के पथ पर। ऐसी बातें जब माननीय सदस्यों के ध्यान में आती हैं तो हमारा कर्तव्य है युनिवर्सिटी में जो अचीवमेन्ट्स हुए हैं, जो नये नये डिपार्टमेन्ट्स खुले हैं, रिसर्च वर्क हो रहा है, उनका भी विश्लेषण रखते। यदि यह विश्लेषण भी साथ साथ रखते तो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दोनो पक्षों का विश्लेषण अच्छी तरह से हो सकता था और युनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके अचीवमेन्ट्स को सामने रख कर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अचीवमेंन्ट्स है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं मुबारकबाद देता हूं माननीय श्री हांडाजी को कि आपने यह कहा है। एक बात आप भूल गये थे कहना वह मैंने कह दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इर्रेगुलेरीटीज के बारे में आप कहिये। अचीवमेन्ट्स तो ठीक हैं.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९५६ में ५।। लाख का सरप्लस था, वहां ५२।। लाख का युनर्वसिटी में डेफिसिट है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मिसयूज हुआ है तो बतायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खर्चे की सिन्डीकेट की सेन्क्शन नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह बात तो अलग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बात कैसे अलग है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि युनर्वसिटी के बारे में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हों, आंकड़े हों, जैसा कि अभी विचार-विमर्श के दौरान बताया गया; तो उनको माननीय सदस्यों के अन्दर बांट दिया जाय। इस समय नहीं हो तो अगले सत्र में इस प्रकार किया जा सकता है। इसकी सारी व्यवस्था पर विचार हो सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो खर्चा युनिवर्सिटी का होता है उस खर्चे को भी हाउस की टेबल पर रखा जाय। सरकार इस प्रश्न का विश्लेषण कर रही है।

श्री अध्यक्ष : खर्चे के लिए नही कह रहा हूं। वह बात अलग है कि रखें या नहीं; लेकिन just an administrative report which the House may consider.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I assure the House that I shall contact the Vice Chancellor........

श्री अध्यक्ष : the Annual Report is a public document. It is printed.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I shall do accordingly, Sir.

श्री अध्यक्ष : Thank you.

(विराम)

अब जो प्रस्ताव है उन सब पर अलग

(श्री अध्यक्ष)

अलग मतदान किया जाय या एक पर ही किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : एक पर ही ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : जो विचारार्थ लिया जाय उस पर करा लेते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पहले तो रिज़ोल्यूशन लेना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो (संकल्प) माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

प्रस्ताव इस प्रकार है :

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय (पुनर्ठित सत्ताओं का वैधकरण) अध्यादेश, १९६४ (सं० ३, सन् १९६४) को अस्वीकृत करता है ।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६४ विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री हांडा ने अपना प्रस्ताव औपचारिक रूप से तो नहीं रखा जिसको सर्कुलेट किया जाता । ऐसा समझा जाय कि उन्होंने बहस में भाग लिया है ।

अब क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : छोटा सा विधेयक है, इसलिए इसको भी कल ही ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २; श्री आचार्य ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : क्लॉज़ २ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है ।

"In sub-clause (iv), for the words 'reconstituted under the Removal of Difficulties Order,' substitute words 'as first reconstituted after the commencement of the amending Act."

(२.०० म० प०)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन जो क्लॉज़ २ में है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, संशोधनानुसार, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३,४,५ व ६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ३,४,५ व ६ विधेयक में अंग रूप में जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

लोंग टाइटल में उप-मन्त्री महोदय का संशोधन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : लोंग टाइटल में संशोधन इस प्रकार है :-

"In the long-title, for the words, brackets and figures, 'senate and syndicate as re-constituted under the University of Rajasthan (Removal of Difficulties) (First) Order, 1962,' substitute the words 'reconstituted Senate and Syndicate,"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन लोंग टाइटल में मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित लोंग टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

संशोधित लोंग टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (अमेंडिंग एण्ड वैलिडेटिंग) बिल, १९६४ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. २ बज कर ३ मिनट पर दिनांक ३१ मार्च, में १९६४ के म.पू. ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, दिनांक ३० मार्च, १९६४)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

चिप बोर्ड फैक्ट्री-बाँसवाड़ा।

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ व कठूमर द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अनुदान।

आयुर्वेदिक परीक्षाओं के उत्तीर्ण स्नातकों का पंजीयन।

जैतपुर-तलनाम सड़क में आये जंगल का ठेका।

मिनिमम वेजेज रिवीजन कमेटी ऑफ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स।

बस सर्विस-भवानी मंडी-सोयत व भवानी मन्डी-धुवालिया।

ट्रान्सपोर्ट सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायतें-अलवर।

रवीन्द्र मंच का किराया।

कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर के विरुद्ध गबन की शिकायतें।

बान्सी रेन्ज के कृषकों को जमीन।

ग्राम पारसोला के लिए बस सर्विस।

पलड़िया-शाहबाद.सड़क निर्माण में घोटाला।

स्तम्भ

गैस प्लान्ट, वाटर पम्प के लिए तकावी।

भेड़ और बकरियों के बाहर जाने पर टैक्स।

खादी बुनकर सहकारी समिति लि०, हिन्डौन।

वेस्पा स्कूटर्स के रजिस्ट्रेशन के वक्त दुर्घटना।

विस्थापित स्वर्णकार।

सरप्लस अध्यापकों का एब्जार्पशन

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर्मचारियों का सेवा-काल।

जयपुर-भरतपुर रूट पर यात्रियों को असुविधायें।

रजिस्ट्रेशन कार्य-अलवर

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६४)

सीमावर्ती इलाकों के गैर सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें।

अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७४

सरकारी शिक्षण संस्थाओं में फीस।

पिछड़े वर्ग के लिये नई कॉलोनीज

कुओं के लिए ऋण एवं अनुदान-बांसवाड़ा।

जमीन बिक्री की मिसल में काट-छांट।

कृषि फार्म-पंचायत समिति, टोडारायसिंह।

कन्ट्रोल्ड कार।

३. उप-मंत्री द्वारा वक्तव्य

(१) बारां में एक नाकेदार की हत्या के मामले पर श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-गृह मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया। ८०

(२) सीमावर्ती स्कूलों में पाकिस्तानी पुस्तकें पढ़ाई जाने के संबन्ध में उप-मंत्री, शिक्षा विभाग ने एक वक्तव्य दिया।

४. विशेषाधिकार प्रश्न-अध्यक्षीय निर्णय

(१) बजट साहित्य, सदस्यों को देने के पूर्व, दिल्ली में पत्र प्रतिनिधियों को वितरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा के विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति नहीं दी गई। १०९

(२) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९४६ के कतिपय प्रावधानों के उलंघन के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा के विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। १३३

५. विधाई कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) एवं वैध करण विधेयक, १९६४ १३५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान ने निम्नांकित परिनियता (Statutory) का संकल्प प्रस्तुत कियाः—

"यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय (पुनर्गठित सत्ताओं का वैधकरण) अध्यादेश, १९६४ (सं० ३, सन् १९६४) को अस्वीकृत करता है।"

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप-शिक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

वाद-विवाद के पश्चात् श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

खण्डश: विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

मंगलवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६४ की कार्य-सूची

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४-विचार-विमर्श एवं पारण।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न सं० ७३६ का उत्तर देखिए)

Independent Member

1. Shri R. N. Bageshi, Principal, Government College, Beawar. Chairman.

Employers Representatives

1. General Manager, Rajasthan Roadways, Jaipur or other representative appointed by him,
2. The Manager, Green Bus Service, Udaipur.
3. Proprietor, Sanik Motors, Jodhpur.

Employees Representatives

1. Shri Ashraf Fauzdar, General Secretary, Jaipur Region, Motor Mazdoor Union, Jodhpur.
2. The General Secretary, Transport Workers Union, Kota.
3. Shri D. Durgawat, General Secretary, INTUC, Rajasthan.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न सं ७५५ का उत्तर देखिये)

TIME TABLE OF JAIPUR-BHARATPUR-AGRA ROUTE :

S. No.	Ajmer	Jaipur Arr./Dep.	Dausa Arr./Dep.	Mahuwa Arr./Dep.	Bharatpur Arr./Dep.	Agra
1.	—	6.15	7.45	9.35	11.15	12.45
2.	—	6.45	8.45	10 45	12.00	—
3.	—	9.15	10.45	12.35	14.15	15.45
4.	—	10.15	12.00		15.15	
5.	7.30	10.30/11.00	12.30	14.20	16.00	17.30
6.		12.45	14.15	16.05	17.45	19.15
7.		13.15	14.45	16.45	18.15	—
8.		16.00	17.30	19.15	21.00	22.30
9.		16.45	18.45	20.45	21.45	—

TIME TABLE OF AGRA-BHARATPUR-JAIPUR ROUTE :

S. No.	Agra Dep.	Bharatpur Arr./Dep.	Mahuwa Arr./Dep.	Dausa Arr./Dep.	Jaipur Arr./Dep.	Ajmer Arr.
1.	—	6.00	7.20	9.20	11.00	—
2.	—	7.15	9.00	11.00	12.25	—
3.	—	8.30		12.15	13.30	—
4.	8.00	9.40	11.00	13.00	14.45 15.15	18.45
5.		11.30	13.30	15.15	16.30	—
6.	11.00	12.40	14.00	16.00	17.30	—
7.	13.00	14.40	16.00	18.00	19.30	—
8.	14.30	16.10	17.30	19.30	21.00	—
9.	15.45	17.15	18.30	20.30	22.00	—

———

*शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ३० माच, १९६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	६	आबकारी वित्त	आबकारी, वित्त
११	१ व २४	श्री हरीप्रसाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
१२	५, ६ व २३	,, ,, ,,	,, ,, ,,
१३	१६	,, ,, ,,	,, ,, ,,
१४	१८ व अन्तिम से ४	,, ,, ,,	,, ,, ,,
३५	शीर्ष	—	(श्री भीमसिंह)
३७-४०	शीर्षक	—१६ मार्च, १९६४—	३० मार्च, १९६४
४९	६	(लसाड़िया) : [श्री	(लसाड़िया) [श्री
,,	७	गया।]	गया] :
५३	अन्तिम से२-१	(श्री दौलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण):
५४	२१-२२	: (तिजारा)	(तिजारा) :
५५	१०	एवंकर	एवं कर
५६	१६	(हिन्डोन) :	(हिन्डोन)
,,	१८	गया]	गया] :
७४	अन्तिम से ६	(अतारांकित प्रश्नोत्तर)	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७६	अन्तिम से ४	(बागीदुरा)	(बागीडोरा)
७९-८०	शीर्षक	बारां में नाकेदार की -३० मार्च, १९६४- हत्या : शासकीय वक्तव्य	अतारांकित प्रश्नोत्तर-३० मार्च, १९६४-अतारांकित प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
८३-८४	शीर्षक	पाकिस्तानी पुस्तकें-३० मार्च, १९६४- शासकीय- वक्तव्य	बारां में नाकेदार की हत्या-३० मार्च, १९६४-शासकीय वक्तव्य
८४	१७	पुस्तक	पुस्तकें
१०१	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१०६	शीर्षक	आयव्यक साहित्य)	शासकीय वक्तव्य
११३	१६	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
११७	शीर्ष	(रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
१२१	,,	(बालकृष्ण कौल)	(श्री बालकृष्ण कौल)
१२७	,,	(श्री मानिकचन्द सुग्राणा)	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१३१	३	श्री माणिकचन्द	श्री मानिकचन्द
,,	५	श्री सतीशचन्द	श्री सतीशचन्द्र
१३३	शीर्षक	राजस्थान विश्व विद्यालय	विशेषाधिकार प्रश्न
,,	२०	विश्वविद्यालय १९६४	विश्वविद्यालय विधेयक, १९६४
१३५-३६	शीर्षक	संशोधन एव वैधकरण	(संशोधन एवं वैधकरण)
१३६	१८	पतिनिधियों को विपरीत	प्रतिनिधियों को वितरित
१३७	१६	श्री योगेंन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
१३९	शीर्ष	—	(श्री मुरलीधर व्यास)
१४१	शीर्षक	राज० विश्व० (संशोधन एवं	विशेषाधिकार प्रश्न
१४२	,,	वैधकरण) विधेयक	विश्वविद्यालय विधेयक
१७७	प्रथम	रिमुलक	रिमूवल

१	२	३	४
१८८	शीर्षक	वैधकरण विधेयक	वैधकरण) विधेयक
२१२	,,	एव वैधकरण)	एव वैधकरण
२१३	शीर्ष	(श्री योगेन्प्रनाथ)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
२२३	,,	(श्री केदरनाथ)	(श्री केदारनाथ)
२४२	शीर्षक	वियक	विधेयक
,,	२	रीग्रपा ´टममेंट	रिग्रपोइन्टमेन्ट
,,	३	ॉडी,	बॉडी,
,,	६	जा कता	जा सकता
,,	७	कॉन्टीट्यूट	कॉन्स्टीट्यूट
,,	१३	ग्राच	ग्राचार्य
,,	१४	से ।	से या
,,	२०	इस चांसलर	वाइस चांसलर
,,	२१	ग्रग्रवा	ग्रग्रवाल
,,	२३	चार म नें	चार महीने
,,	२४	ग्रा ार्य	ग्राचार्य
,,	२५	दस्यों	सदस्यों
,,	२६	जिक्र या	जिक्र किया
,,	२७	युनि सिटी	युनिवर्सिटी
,,	ग्रन्तिम	क ेशन	कमीशन

१	२	३	४
२४७	शीर्ष	(श्री निरंज नाथ	श्री निरंजननाथ
,,	१	पक्षों व	पक्षों का
,,	२	था अ	था और
,,	५	श्री यो न्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
,,	७	श्री निन्जानाथ	श्री निरंजननाथ
,,	८	देता	देता हूं
,,	९	यह खा	यह रखा
,,	१०	कहना व	कहना वह
,,	११	श्री यो न्द्र	श्री योगेन्द्र
,,	१२	अप कहिये	आप कहिये
,,	१४	श्री स ीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	१६	युनिर्वसि	युनिवर्सिटी
,,	१७	श्री सीशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	१८	सिन्डीकेट सेन्क्शन	सिन्डीकेट की सेन्क्शन
,,	१९	श्री नि ंजननाथ	श्री निरंजननाथ
,,	२१	श्री स शचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	अन्तिम	श्री रिंजननाथ	श्री निरंजननाथ
२५५	११	वक्तव्व दिया ।	वक्तव्य दिया । ८४
,,	१६	निशेषाधिकार	विशेषाधिकार
,,	२०	प्राववानों के उलंघन	प्रावधानों के उल्लंघन
२५६	३-४	(सशोधन) एवं वेद्यकरण	(संशोधन एवं वैधकरण)
२५७	शीर्षक	२५७) परिशिष्ट-३० मार्च, १९६४- परिशिष्ट (२५८-	२५७) परिशिष्ट
२५८	,,	२२९) परिशिष्ट-३० मार्च, १९६४-परिशिष्ट (२६०	२५८) परिशिष्ट

विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।